# लोक-सभा

# वाद-विवाद

## द्वितीय माला

**खण्ड १०, १९५७**

**(९ दिसम्बर से २१ दिसम्बर, १९५७)**

**2nd Lok Sabha**
(Third Session)

**दूसरा सत्र, १९५७**

**(खण्ड १० में अंक २१ से ३२ तक है)**

**लोक-सभा सचिवालय**

**नई दिल्ली**

314 LSD--1

# विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड १०--अंक २१ से ३२--दिनांक ६ दिसम्बर से २१ दिसम्बर, १६५७)

**अंक २१, सोमवार, ६ दिसम्बर, १६५७**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर--** पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ६०० से ६०४, ६०६, ६०७, ६०६, ६१२ से ६१४, ६१६ और ६१८ से ६२१ ... २०८५-२१०७

**प्रश्नों के लिखित उत्तर--**

तारांकित प्रश्न संख्या ६०५, ६१०, ६११, ६१५, ६१७, ६२२ से ६२८ और ४८७ ... २१०८-१३

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६३ से १३७१ और १३७३ से १३७५ ... २११३-५०

**मूंदडा समवाय समूह में जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन के बारे में** ... २१५०

**सभा पटल पर रखे गये पत्र** ... २१५०

**राज्य सभा से संदेश** ... २१५०-५१

**संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय का बढ़ाया जाना** ... २१५१

**कानपुर में श्रम सम्बन्धी स्थिति के विषय में स्थगन प्रस्ताव के बारे में निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक**

विचार के लिए प्रस्ताव ... २१५१-८३

**दैनिक संक्षेपिका** ... २१८४-८८

**अंक २२, मंगलवार, १० दिसम्बर, १६५७**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर--**

तारांकित प्रश्न संख्या ६२६ से ६३६, ६३८ से ६४०, ६४२ से ६४८, ६५२ से ६५४ और ६५६ ... २१८६-२२१५

**प्रश्नों के लिखित उत्तर--**

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४६, ६५१, ६५५, ६५७ से ६६२, ६६२-क, ६६३ से ६७६, ६७६-क, ६८० और ६८१ ... २२१५-२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १३७६ से १३८८ और १३६० से १४६० ... २२२७-६२

| | पृष्ठ |
|---|---|
| **सभा-पटल पर रखे गये पत्र** | २२६२–६३ |
| **कार्य मंत्रणा समिति--** | |
| पन्द्रहवां प्रतिवेदन | २२६३ |
| **निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक--** | |
| विचार के लिए प्रस्ताव | २२६३–२३०१ |
| खण्ड २ और १ | २२८५–२३०० |
| पारित करने के लिए प्रस्ताव | २३०० |
| **मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक --** | |
| विचार के लिए प्रस्ताव | २३०१–०४ |
| **दैनिक संक्षेपिका** | २३०५–१० |
| **अंक २३, बुधवार, ११ दिसम्बर, १९५७** | |
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर—** | |
| तारांकित प्रश्न संख्या ९८३, ९८४, ९८६, ९८७, ९९० से ९९२, ९९४ से ९९६, ९९८ से १०००, १००२, १००४, १००८ से १०१० और १०१४ से १०१९ | २३११–३५ |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर—** | |
| तारांकित प्रश्न संख्या ९८५, ९८९, ९९३, ९९७, १००१, १००३, १००५ से १००७, १०११ से १०१३, १०२० से १०२५ और १०२७ से १०५२ | २३३६–५३ |
| अतारांकित प्रश्न संख्या १४६१ से १५४४ | ३३५३–९० |
| **सभा-पटल पर रखे गये पत्र** | २३९०–९२ |
| **राज्य सभा से सन्देश** | २३९२ |
| **भारतीय रक्षित सेना (संशोधन) विधेयक—** | |
| राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, सभा-पटल पर रखा गया | २३९२ |
| **गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—** | |
| ग्यारहवां प्रतिवेदन | २३९३ |

| | पृष्ठ |
|---|---|
| **कार्य मंत्रणा समिति--** | |
| पंद्रहवां प्रतिवेदन | २३९३ |
| **मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक--** | |
| विचार के लिये प्रस्ताव | २३९३–२४२१ |
| खण्ड २ से ८ और १ | २४१३–२० |
| संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव | २४२० |
| **दिल्ली विकास विधेयक--संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में--** | |
| विचार के लिये प्रस्ताव | २४२१–४३ |
| **दैनिक संक्षेपिका** | २४४४–५० |
| **अंक २४, गुरुवार, १२ दिसम्बर, १९५७** | |
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर--** | |
| तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५५ से १०६१, १०६३, १०६६, १०६७, १०६९ से १०८० | |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर--** | |
| तारांकित प्रश्न संख्या १०५४, १०६२, १०६४, १०६५ और १०६८ | २४७५–७७ |
| अतारांकित प्रश्न संख्या १५४५ से १६०२, १६०४ और १६०५ | २४७७–२५०३ |
| **सभा पटल पर रखे गये पत्र** | २५०३–०४ |
| राज्य सभा से सन्देश | २५०४ |
| **अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--** | |
| ब्योर मिल्स कानपुर में कामगरों की 'भीतर रहो' हड़ताल | २५०४–०५ |
| **समिति के लिये निर्वाचन** | २५०५ |
| **नागरिकता (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित** | २५०५–०६ |
| **सभा का कार्य** | २५०६ |
| **दिल्ली विकास विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में--** | |
| विचार करने का प्रस्ताव | २५०६–५८ |
| खण्ड २ से ६० और १ | २५२०--५६ |
| संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव | २५५६ |

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक

और

सम्पदा-शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायें पर कर (वितरण) विधेयक—
(असमाप्त)

विचार करने का प्रस्ताव २५५७–६६

दैनिक संक्षेपिका २५६७–७०

अंक २५, शुक्रवार, १३ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८१ से १०८६, १०८८ से १०९०, १०९८, १०९९ और ११०३ से १११२ २५७१–९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८७, १०९१, १०९२ से १०९७, ११००, ११०१, और १११३ से ११२५ २५९६–२६०४

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०६ से १६७२ २६०५–३२

सभा का कार्य २६३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६ के उत्तर की शुद्धि २६३२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २६३२

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९५७—पुरःस्थापित २६३३

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक और सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर (संशोधन) विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव २६३३–५३

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक—

खण्ड १ से ६ २६५१

पारित करने का प्रस्ताव २६५१

सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) विधेयक—

खण्ड १ से ६ २६५१

पारित करने का प्रस्ताव २६५१

पृष्ठ

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) २६५३–५५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन २६५६

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प २६५६–६८

प्रदीप में एक बड़ा पत्तन बनाने के बारे में संकल्प २६६८–६९, ३६७२–८०

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधेयक—पुरःस्थापित २६६९–७१

उत्पादन-शुल्क में कमी करने और अतिरिक्त उत्पादन छूट को वापस लेने के बारे में वक्तव्य २६७२

राष्ट्रीयकरण के प्रयोजन से अनुसूचित बैंकों के कार्य संचालन के पुनरीक्षण के लिये एक समिति गठित करने के बारे में संकल्प २६८०

दैनिक संक्षेपिका २६८१–८५

अंक २६, शनिवार, १४ दिसम्बर, १९५७

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २६८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६८७

सभा का कार्य २६८७,२६८८–८९

अनुपूरक अनुदानों की मांगें २६८९–२७०३

भारतीय प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २७०४–२७

खण्ड २, ३ और १ २७२४–२७

पारित करने का प्रस्ताव २७२७

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७२७–३३

दैनिक संक्षेपिका २७३४

अंक २७, सोमवार, १६ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६, ११२८, ११३० से ११३३, ११३७, ११४२, ११४४, ११४७, ११४९, ११५०, ११५२, ११५६, ११५७, ११६०, ११६२, ११६३ और ११६७ से ११६९ २७३५–६०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ २७६०–६२

**प्रश्नों के लिखित उत्तर--** पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६-क, ११२९, ११३४ से ११३६, ११३८ से ११४१, ११४३, ११४५, ११४६, ११४८, ११५१, ११५३ से ११५५, ११५८, ११५९, ११६१, ११६४ से ११६६ और ११७१ से ११८९ २७६२–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या १६७३ से १७३३ २७७७–२८०६

**स्थगन प्रस्ताव--**

हावड़ा में उपनगरीय बिजली की रेलवे व्यवस्था के उद्घाटन के सम्बन्ध में अपर्याप्त प्रबन्ध २८०६–०७

**राज्य-सभा से संदेश** २८०७

**खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक--**

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित २८०७

**अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित** २८०८

**विनियोग (संख्या ५) विधेयक--पुरःस्थापित--**

विचार करने और पारित करने का प्रस्ताव २८०८–१०

**संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक--**

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २८१०–३७

**अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधेयक--**

विचार करने का प्रस्ताव २८३७–४९

**जीवन बीमा निगम की निधियों का विनियोजन** २८४९–६०

**कार्य मंत्रणा समिति--**

सोलहवां प्रतिवेदन २८५३

**दैनिक संक्षेपिका** २८६१–६६

**अंक २८, मंगलवार, १७ दिसम्बर, १९५७**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर--**

तारांकित प्रश्न संख्या ११९० से ११९२, ११९४ से १२०२ और १२०४ २८६७–९१

| | पृष्ठ |
|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर-- | |
| तारांकित प्रश्न संख्या ११६३, १२०३, १२०५ से १२२७ और ६०८ | २८६१-२६०१ |
| अतारांकित प्रश्न संख्या १७३४ से १७८२, १७८४ से १७६५ और १७६७ से १८०२ | २६०२-२६ |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | २६२६-३० |
| कार्य मंत्रणा समिति-- | |
| सोलहवां प्रतिवेदन | २६३०-३१ |
| वेतन आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य | २६३१ |
| सदस्य की दोष-सिद्धि | २६३१ |
| अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक-- | |
| विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव | २६३२ |
| अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव | २६३२-७२ |
| सभा का कार्य | २६५८-५६ |
| दैनिक संक्षेपिका | २६७३-७७ |
| अंक २६, बुधवार, १८ दिसम्बर, १६५७ | |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर-- | |
| तारांकित प्रश्न संख्या १२२८, १२२६, १२३२ से १२३५, १२३७, १२३८, १२४१ से १२४३, १२४५, १२४७ से १२५०, १२५२, १२५४ से १२५६ और १२५८ | २६७६-३००३ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर-- | |
| तारांकित प्रश्न संख्या १२३०, १२३१, १२३६, १२४०, १२४४, १२४६, १२५१, १२५३, १२५७, १२५६, १२७१, १२७१-क १२७२ से १२६०, १२६०-क और १२६१ से १३०० | ३००३-२५ |
| अतारांकित प्रश्न संख्या १८०३ से १८५०, १८५२ से १८८७, १८८७-क, १८८८ से १८६०, १८६२ से १८६६, १८६६-क, और १८६७ से १६०४ | ३०२५-७१ |
| जानकारी के लिये प्रश्न | |
| स्थगन प्रस्ताव-- | |
| हावड़ा में बिजली की रेल सेवा के उद्घाटन के समय हुई घटनायें | ३०७२-७५ |

**सभा-पटल पर रखे गये पत्र** ३०७५-७६, ३११५

**राज्य सभा से संदेश** ३०७६

**दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक---**

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ३०७६

**गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति---**

बारहवां प्रतिवेदन ३०७७

**याचिका समिति---**

दूसरा प्रतिवेदन ३०७७

**प्राक्कलन समिति---**

प्रथम प्रतिवेदन ३०७७

**लोक लेखा समिति---**

दूसरा प्रतिवेदन ३०७७

**अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) विधेयक---**

विचार करने का प्रस्ताव ३०७७-९५

खण्ड २ से ७, अनुसूचियां और खण्ड १ ३०९१-९३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३०९३

**रामनाथपुरम में उपद्रवों के सम्बन्ध में**

**अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखे के सम्बन्ध में** ३०९५-९८

**अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव** ३०९८-३११४

**शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा** ३११५-२३

**दैनिक संक्षेपिका** ३१२३-३०

**अंक ३०, गुरुवार, १९ दिसम्बर, १९५७**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर---**

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३०८, १३११ से १३१३, १३१५ से १३१८, १३२० से १३२३, १३२४-क और १३२८ से १३३० ३१३१-५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ ३१५४-५६

**प्रश्नों के लिखित उत्तर--** **पृष्ठ**

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६, १३१०, १३१४, १३१६, १३२४ से १३२७, १३३१ से १३४२, १३४५ से १३५८, १३६० से १३७८ और १३७८-क ३१५६–७६

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०५ से १६२१, १६२३ से १६२६, १६२६-क, १६३० से १६७७, १६७७-क, १६७८ से १६६३ और १६६५ से २०२७ ३१७६–३२२७

**स्थगन प्रस्ताव--**

दिल्ली राज्य अध्यापक संघ द्वारा हड़ताल की कथित धमकी ३२२७

**सभा पटल पर रखे गये पत्र** ३२२७

**राज्य-सभा से संदेश** ३२२८, ३२७६

**अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव** ३२२६–६५

**भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव** ३२६५–७८

**संघ उत्पादन शुल्क वितरण विधेयक--**

राज्य सभा द्वारा लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया ३२७६

**सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर वितरण विधेयक--**

राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में सभा पटल पर रखा गया ३२७६

**दैनिक संक्षेपिका** ३२८१–८८

**अंक ३१, शुक्रवार, २० दिसम्बर, १६५७**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर--**

तारांकित प्रश्न संख्या १३७६ से १३८७, १३६० से १३६५, १३६७ से १४०१ और १४१४ ३२८६–३३१६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८ ३३१६–२०

**प्रश्नों के लिखित उत्तर--**

तारांकित प्रश्न संख्या १३८८, १३८६, १३६६, १४०२, १४०३-क, १४०४ से १४१३, १४१४-क, १४१५ से १४२५ और १४२७ से १४३३ ३३२०–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या २०२८ से २०५० और २०५२ से २१४० ३३३५–८२

**श्री लिंगराज मिश्र का निधन** ३३८३

**सभा पटल पर रखे गये पत्र** ३३८३–८४

**सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--**

चौथा प्रतिवेदन ३३८४

| | पृष्ठ |
|---|---|
| **अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--** | |
| दिल्ली के पटवारियों द्वारा हड़ताल की धमकी | ३३८४-८५ |
| **अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव** | ३३८५–३४२० |
| **तारांकित प्रश्न संख्या ६७० के उत्तर की शुद्धि** | ३३८५ |
| **सदस्यों के लिखित वक्तव्य** | ३४२०-४४० |
| **गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--** | |
| बारहवां प्रतिवेदन | ३४४० |
| **दिल्ली की शिक्षा संस्थाओं का विनियमन तथा अधीक्षण विधेयक--पुरःस्थापित किया गया** | ३४४०-४१ |
| **दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित किया गया --** | ३४४१ |
| **अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था (संशोधन) विधेयक--वापिस लिया गया** | ३४४१ |
| **राष्ट्रीय उत्सवों तथा त्योहारों को सवेतन छुट्टी विधेयक--** | |
| विचार करने का प्रस्ताव | ३४४१–४६ |
| **स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ के लिए दण्ड सम्बन्धी विधेयक** | ३४४६–६३ |
| **विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति** | ३४६३ |
| **वनस्पति तथा अग्नि शामक पदार्थों के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा** | ३४६३–६६ |
| **दैनिक संक्षेपिका** | ३४६७–७४ |
| **अंक ३२। शनिवार, २१ दिसम्बर, १९५७** | |
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर--** | |
| अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ | ३४७५-७६ |
| **सभा पटल पर रखे गये पत्र** | ३४७६-७७ |
| **अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति--** | |
| दूसरा प्रतिवेदन | ३४७८ |
| **अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--** | |
| कानपुर में मिलों का बन्द होना | ३४७८ |
| **जानकारी का प्रश्न** | ३४७९ |
| **अनुपस्थिति की अनुमति** | ३४७९ |

# लोक-सभा

शनिवार, १४ दिसम्बर, १९५७

---

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।**

---

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

## सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

†**अध्यक्ष महोदय** : जिन माननीय सदस्यों ने शपथ नहीं ली है वे शपथ ले लें ।

**श्री अशोक मेहता**—मुजफ्फरपूर

---

## सभा का कार्य

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जब तक सभा में कोई ऐसी असाधारण बात न हो जाये जिस की पूर्व सूचना नहीं दी जा सकती हो वे किसी ऐसी बात का उल्लेख न किया करें जो क्रम-पत्र में नहीं दी गई ।

---

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र

**सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों पर की गई कार्यवाही के विवरण**

†**वित मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं संसद्-कार्य मंत्री की ओर से विभिन्न सत्रों में जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं और वचनों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

| | |
|---|---|
| (१) अनुपूरक विवरण संख्या ५ | दूसरी लोक-सभा का दूसरा सत्र १९५७ [परिशिष्ट ४ अनुबंध संख्या ३५] |
| (२) अनुपूरक विवरण संख्या ६ | दूसरी लोक-सभा का पहला सत्र १९५७ [परिशिष्ट ४ अनुबंध संख्या ३६] |
| (३) अनुपूरक विवरण संख्या १४ | पहली लोक-सभा का तेरहवां सत्र १९५६ [परिशिष्ट ४ अनुबंध संख्या ३७] |

---

†मूल अंग्रेजी में

## सभा का कार्य

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** में संसद्-कार्य मंत्री की ओर से यह घोषणा करना चाहता हूं कि १६ से २१ दिसम्बर तक कार्य की निम्नलिखित मदें सभा में लाई जायेंगी। जहां कहीं अन्यथा स्पष्ट उपबन्ध हों उस के अतिरिक्त विभिन्न मदों का उल्लेख उस क्रमके अनुसार किया गया है जिस से उन्हें लिया जायेगा ।

(१) अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधेयक, १९५७

(२) आज की कार्यवाही में से कार्य की किसी अस्थागित मद पर विचार

(३) नागरिकता (संशोधन) विधेयक

(४) श्री फीरोज गांधी तथा अन्य सदस्यों द्वारा जीवन बीमा निगम निधि के विनियोजन के विषय में नियम १९३ के अधीन उठाई गई चर्चा—१६ दिसम्बर को ५ बजे मध्याह्न पश्चात् की जायेगी ।

(५) प्रधान मंत्री के प्रस्ताव पर १७ दिसम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा।

(६) गृह-कार्य मंत्री के प्रस्ताव पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के १९५५ तथा १९५६ के प्रतिवेदनों पर, १८ दिसम्बर, को चर्चा ।

(७) १९ दिसम्बर ४ बजे मध्याह्न पश्चात्—भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में श्री विमल घोष का अनियत दिन वाला प्रस्ताव ।

(८) दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक जो इस समय राज्य-सभा के पास विचाराधीन है और जिस के अगले सप्ताह के आरम्भ में पारित होने की आशा है ।

(९) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ।

(१०) रेलवे दुर्घटना जांच समिति के १९५४ के प्रतिवेदन पर श्री फीरोज गांधी द्वारा नियम १९३ के अधीन उठाई जाने वाली चर्चा ।

(११) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्य के बारे में वर्ष १९५४–५५ और १९५५–५६ के प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में श्री नारायणन्कुट्टि मेनन और श्रीमती पार्वती कृष्णन् का अनियत दिन वाला प्रस्ताव ।

†**श्री कासलीवाल** (कोटा) : मेरा यह सुझाव है कि क्योंकि अभी कल ही राज्य-सभा में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा हुई है अतः सभा के मुख्य दल इस चर्चा को अगले सत्र तक स्थगित करने के लिये सहमत हो जायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसी कोई बात नहीं कि यदि दूसरी सभा में किसी विषय पर चर्चा हो तो इस सभा में उस की आवश्यकता नहीं रहती । मैं इस सम्बन्ध में स्वविवेक से निर्णय नहीं दे सकता । यदि सभा की यह इच्छा हो कि यह चर्चा स्थगित की जाये तो ऐसा किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में सरकार की क्या इच्छा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मुझे पता नहीं, परन्तु यदि सभा की ऐसी इच्छा हो तो प्रधान मंत्री को आपत्ति नहीं होगी और सरकार चर्चा के स्थगन के लिये तैयार है।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : माननीय सदस्य तो अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे। दूसरी सभा में इस की चर्चा का यह अभिप्राय नहीं कि यहां चर्चा नहीं होनी चाहिये।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : हम इस स्थिति पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब तक सब दलों के नेता सहमत न हों मैं इस चर्चा को स्थगित करने के लिये तैयार नहीं हूं।

---

## अनुदानों की अनुपूरक मांगें

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा १९५७–५८ के लिये आय-व्ययक (सामान्य) के अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा जारी रखेगी, जो कि ३ दिसम्बर को प्रस्तुत की गई थी। दो घंटे और ४० मिनट शेष हैं। चर्चा के पश्चात् सारी मांगों को इकट्ठे मतदान के लिये रखा जायेगा।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : इन मांगों से मुझे यह पता लगा है कि सरकार की व्यवस्था में कहीं ढीलापन है।

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी):** अनुपूरक मांगों पर बोलने वाले सदस्य यदि उन मांगों की संख्या का उल्लेख कर दें जिन पर वे बोलना चाहते हैं तो हमारे लिये उत्तर के हेतु तथ्य एकत्र करना सुगम हो जायेगा।

†**श्री हेम बरुआ:** मैं नागा पहाड़ी तुएनसांग क्षेत्र की मांग संख्या २३–क पर बोलना चाहता हूं। नागा समस्या की तुलना में इन मांगों को देखा जाये तो प्रतीत होता है कि नागा लोग संघ के पक्ष में नहीं होंगे।

नागा लोग ७० वर्ष तक अंग्रेजी शासन के अधीन रहे परन्तु उन्हों ने इन्हें असभ्यता से निकाल कर आधुनिक सभ्यता प्रदान करने का प्रयत्न नहीं किया। आज उन लोगों में यह भावना पैदा करने के लिये कि वे भारत संघ के ही हैं उन के सहायतार्थ अनुदान करने चाहियें थे। अंग्रेजों ने वहां स्कूल नहीं खोले और कोई विकास कार्य नहीं किया। उन का ध्यान केवल प्रशासन की ओर रहा। वही हालत आज भी है। इन अनुपूरक अनुदानों द्वारा हम वहां कोई विकास कार्य नहीं कर रहे वरन् केवल प्रशासन पर ही बल दिया जा रहा है। परन्तु नागा समस्या एक राजनैतिक समस्या नहीं वरन् उन का मानसिक उत्थान करने की है। हम दिसम्बर से मार्च १९५८ तक प्रशासन पर ११.३५ लाख और पुलिस पर ५३.९६ लाख रुपया व्यय कर रहे हैं जब कि शिक्षा पर केवल ७.३२ लाख रुपये व्यय कर रहे हैं।

हमें इस ओर ध्यान देना चाहिये कि नागा लोगों की आवश्यकतायें क्या हैं। उन लोगों की मुख्य आवश्यकतायें, शिक्षा, चिकित्सा, और संचार आदि हैं न पुलिस प्रशासन।

नागाओं में भी लोकतन्त्रात्मक संस्थायें हैं जैसे कि वृद्धजनों की परिषदें जिन्हें वे अपनी भाषा में तातार कहते हैं। हमें इन संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेम बरूआ]

हम वहां पर पुलिस राज्य स्थापित नहीं कर रहे । यह गलती हम ने पहले की थी । अब उस की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिये । इस की अपेक्षा वहां ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिये जिस से शत्रु दल के नागा लोग भी हमारे मित्र नागायों द्वारा कोहिमा में पारित संकल्प को स्वीकार कर लें ।

नागाओं में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव तथा खाद्यान्न के अभाव के कारण तथा अच्छा भोजन प्राप्त न होने के कारण सभी प्रकार की बीमारियां पाई जाती हैं । अतः वहां पुलिस व्यवस्था की बजाय हस्पतालों की व्यवस्था करनी चाहिये ।

नागा लोग झूम ढंग से खेती करते हैं जिस से वन नष्ट हो जाते हैं । हमें उन्हें आधुनिक ढंग से खेती करना सिखाना चाहिये ।

हम ने सहायता कार्यों के लिये १० लाख रुपये रखे हैं । हमारी पुलिस तथा सेना ने वहां फसलें जला दीं जिस के फलस्वरूप वे अनाज से भी वंचित हो गये । वहां के लोगों ने जो यातनायें सही हैं उस की तुलना में सहायताकार्य थोड़ा है ।

नागा लोग सरकार से इसलिये घृणा करते हैं कि उन से बेगार ली जाती है किन्तु उन्हें दिया कुछ नहीं जाता । अतः मैं सुझाव देता हूं कि वहां पर सुधार के काम किये जायें और खेती बाड़ी पर विशेष ध्यान दिया जाये ।

†**श्री नारायणन्कुट्टि मेनन** (मुकंदपुरम्) : मैं मांग संख्या ३० पर ही बोलूंगा ।

वित्त मंत्री कहते हैं कि ३३००० रुपये की अतिरिक्त राशि आय कर के मुकदमों पर किये गये व्यय को पूरा करने के लिये है । मगर सरकार को इस का पूरा पूरा उत्तर देना चाहिये । अभी कुछ समय पहले श्री कालडोर ने बताया था कि देश में २½ सौ करोड़ रुपये के कर का अपवंचन होता है । हमें यह भी पता लगा है कि सौ करोड़ रुपये आय-कर तो वसूल ही नहीं हुआ ।

एक व्यक्ति १६४२ से आयकर नहीं दे रहा है । आखिर इन बातों के कारण क्या हैं और सरकार को इन लोगों के विरुद्ध अभियोग चलाने में खर्च करना पड़ता है ।

२०० करोड़ रुपये का तो कर अपवंचन हो जाता है और १५० करोड़ रुपया वसूल ही नहीं होता तो हमारी योजनाओं का क्या बनेगा । क्या हम अपवंचकों के विरुद्ध सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही नहीं कर सकते ?

मैं माननीय वित्त मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार कर एकत्रित करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी । वे लोग उच्च न्यायालयों द्वारा बंदी के आदेश ले लेते हैं और भुगतान में विलम्ब करते हैं । हम यही सुझाव दे सकते हैं कि व्यापार की स्वतन्त्रता होनी चाहिये और सरकार को संविधान में यथोचित संशोधन कर देना चाहियें ।

उच्चन्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में कई बार आयकर सम्बन्धी लेख याचिकाओं का चार चार वर्ष तक निर्णय नहीं होता । हम दूसरा तरीका क्यों नहीं ढूंढते ? हमें कोई सख्त कार्यवाही करनी चाहिये । इस से किसी के मूल अधिकारों को छीनने का प्रश्न नहीं है । देश हित के लिये हमें संविधान के अनुच्छेद २२६ और १३६ ग के अन्तर्गत मामलों पर से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च-न्यायालयों का क्षेत्राधिकार हटा देना चाहिये ।

दूसरी बात मैं राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों के बारे में कहना चाहता हूं । हम वास्तव में केन्द्रीय सरकार की नीति जानना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

माननीय वाणिज्य मंत्री ने केरल सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि वहां बहुत अधिक कर लगा रखे हैं अतः वहां औद्योगिक विकास नहीं हो सकता। यह कोई अच्छी बात नहीं है। वहां जो बागान मालिकों पर कर लगा उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिये। केन्द्रीय सरकार ने भी तो धन कर लगाया है। बागान के मालिक करोड़ों रुपया कमाते हैं। उन पर कर कोई अत्याचार नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक पारित मद है जिस का विनयोजन विधेयक द्वारा किया जा चुका है। अब तो केवल इस बात पर चर्चा की जा सकती है कि उस धन राशि का व्यय किस प्रकार किया गया है।

†**श्री नारायणनकुट्टि मेनन** : मैं यह नहीं कह रहा कि पारित मद में कोई कटौती होनी चाहिये मैं तो केवल यह कह रहा था कि राज्यों को आय-व्ययक में सन्तुलन के लिये और केन्द्रीय सरकार की विभिन्न नीतियों के फलस्वरूप किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि राज्यों को और राशि मिलनी चाहिये तो उस के लिये यह असवर नहीं।

†**श्री नौशीर भरुचा** (पूर्व खानदेश) : माननीय सदस्य यह तो कह सकते हैं कि तदर्थ अनुदानों द्वारा राज्यों को और राशि दी जाये।

†**श्री नारायणनकुट्टि मेनन** : राज्यों के लिये ये अनुदान बहुत अपर्याप्त हैं और उन्हें और कुछ देने की बजाय उन के मामलों में केन्द्रीय सरकार के मंत्री हस्तक्षेप करते हैं। उदाहरण के लिये केरल सरकार ने जब बागान स्वामियों पर कर लगाया तो वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने उस की आलोचना की। कहां तो प्रधान मंत्री कहते हैं कि राज्य सरकारों को अपने वित्त के लिये स्वयं व्यवस्था करनी चाहिये। परन्तु जब कोई राज्य सरकार ऐसा प्रयत्न करती है तो उस की आलोचना होती है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से यही जानना चाहता हूं कि लोकतन्त्र किस प्रकार का है जिस में सरकार अपने ऐसे साथियों, जो उन के दल के नहीं हैं, परन्तु मंत्रिमंडल बनाने में सफल हुए हैं, का सहयोग न दें। अन्त में मैं फिर यही कहूंगा कि उन्हें कुछ ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करने चाहियें जिन से आय कर अपवंचन न हो सके और जो बकाया राशि है उसे वसूल किया जा सके।

†**श्री ले० अचौ सिंह** : (आन्तरिक मनीपुर) : मैं मांग संख्या २३-क के सम्बन्ध में ही कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि यह नागा हिल-तुएन-सांग क्षेत्र के बारे में है। मांग को देखने पर पता लगता है कि यह मांग जो ६५ लाख रुपये चार मास के लिये हैं, का ६५ प्रतिशत सामान्य प्रशासन तथा पुलिस पर व्यय होगा। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ६,२४६ वर्ग मील है तथा इस की जनसंख्या ३,४८,००० है। इस का प्रशासन केन्द्रीय सरकार की ओर से आसाम का राज्यपाल करेगा। इस में तीन जिले होंगे जिन के मुख्य कार्यालय कोहिमा, मोकोक चुंग तथा तुएनसांग में होंगे। राज्यपाल की सहायता के लिये एक आयुक्त तथा एक सिचव होगा। इस प्रकार पता लगता है कि प्रशासनिक व्यय बहुत अधिक होगा जिस की अनुमति हमें नहीं देनी चाहिये। मनीपुर, त्रिपुरा तथा नेफा का हमें पर्याप्त अनुभव है कि किस प्रकार सैनिक पदाधिकारियों को इन क्षेत्रों में लगाया जाता है और किस प्रकार उन्हें अधिक धन दिया जाता है। इस के अतिरिक्त स्थानीय पदाधिकारियों तथा इन बाहर से नियुक्त किये पदाधिकारियों में एक अन्तर रखा जाता है जिस से इन दोनों में आपस में बड़ा मनोमालिन्य रहता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ले० अचो सिंह]

मेरा अनुभव है कि इन क्षेत्रों का प्रशासन जिन पदाधिकारियों के हाथ में रहता है वह डिक्टेटर बन जाते हैं और जैसा वैसा जोर जुल्म करते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि जिलों के मुख्यकार्यालयों में एल्डर्स की परिषदों का चुनाव किया जाना चाहिये। जिस से इन पदाधिकारियों को मनमानी करने का अवसर न मिल सके। जो पदाधिकारी आज वहां भेजे जाते हैं वह बड़े भ्रष्ट होते हैं। और यहां की जनता को समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं। इस में बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि वह आलोचनाओं की कोई चिन्ता नहीं करते। इस प्रशासनिक व्यय का भार साधारण जनता पर ही पड़ता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि प्रशासनिक व्यय को कम कर के हमें आदिम जातियों की भलाई के लिये इस धन को सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों पर व्यय किया जाना चाहिये।

पुलिस पर लगभग ५३ लाख रुपया व्यय किया जायेगा। जो कि बहुत बड़ी रकम है। इस धन-राशि को भी कम कर के विकास कार्यों में लग या जाना चाहिये। सरकार ने नागा जाति को दबाने के लिये सेना आदि पर इतना धन व्यय किया। परन्तु वह दबे नहीं, बदला लेते रहे। सरकार को इस से सीखना चाहिए। मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि नागा पहाड़ी की जनता के मन अभी भी कलुषित हैं और इस कलुष को सीधी बातचीत के द्वारा समझौता करके ही खत्म किया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि सेना को वापस बुला लिया जाये और पुलिस का व्यय कम कर दिया जाये। नागा जाति को अपने साथ मिलाने के प्रयत्न करने चाहियें और ऐसा तभी हो सकता है जब इन के प्रति उदार भावना रखी जाये और सेना वापिस बुला ली जाये।

†**श्री थानू पिल्लै** : गत आय-व्ययक सत्र में हम ने दियासलाइयों पर उत्पादन शुल्क बढ़ाया जिस के फलस्वरूप सरकार को पर्याप्त धन मिला परन्तु इन्हें इस का भी ध्यान रखना चाहिये था कि इससे दियासलाई बनाने वाले कितने छोटे छोटे कारखाने बन्द हो गये जिन के कारण दियासलाई कितनी कम बनने लगीं

इस उद्योग के बारे में सरकार से कई बार कहा गया परन्तु सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा निवेदन है कि सरकार को यह समझना चाहिये कि सरकार केवल राजस्व इकट्ठा करने के लिये ही नहीं अपितु जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिये होती है। इसलिये मेरी सरकार से अपील है कि वह दियासलाई उद्योग के करारोपण प्रस्तावों पर पुनः विचार करे। हमने प्रस्ताव किया था कि जब सरकार ने ४० तीलियों की माचिस के लिये ४ नये पैसे रखे तथा ६० तीलियों की माचिस के लिये ६ नये पैसे रखे तब ५० तीलियों की माचिस के लिये ५ नये पैसे रख दिये जायें। परन्तु मैं नहीं जानता सरकार को ऐसा करने में क्या आपत्ति है। हम कोई रियायत नहीं चाहते हैं। सरकार को इस मांग के औचित्य को समझ कर इसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

उत्पादन शुल्क वितरण के बारे में यह कहना चाहता हूं कि मद्रास सरकार आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। और केन्द्रीय सरकार जानती है कि मद्रास राज्य ने ऋण लेने से इसीलिये इन्कार कर दिया क्योंकि वह इस का भुगतान करने में समर्थ नहीं थी। मेरा निवेदन है कि केन्द्र को उद्योगों के लिये आवश्यक अनुदान देने की व्यवस्था करनी चाहिये।

दूसरी बात मैं विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों के बारे में कहना चाहता हूं। हम बार बार कहते रहे हैं कि पिछड़े वर्ग को छात्रवृत्ति देने के लिये ६० प्रतिशत नम्बर लाने की शर्त हटा देनी चाहिये। हमें

---

†मूल अंग्रजी में

पिछड़े वर्ग के लिये इतना कठोर नहीं होना चाहिये क्योंकि वह पिछड़े वर्ग के लोग नहीं होते तो छात्र-वृत्ति की आशा ही नहीं करते। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह और निधियों की व्यवस्था छात्रवृत्ति देने के लिये कर दे जिस से पिछड़े वर्ग के अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : (गुरदासपुर) : मैं ने अपने से पहले दो वक्ताओं के भाषणों को सुना और मुझे खेद है मैं उन के विचारों के विपरीत कुछ कहूंगा। पहली बात यह है कि कहा गया कि नागा हिल क्षेत्र पर धन की अधिक मांग की गई है। मैं बता देना चाहता हूं कि यह मांग तो उस अधिनियम के अधीन की गई है जिस को संसद् ने पारित कर दिया है। यह बताया गया कि उस क्षेत्र से पुलिस तथा सेना को हटा लेना चाहिये। मेरा विचार है कि देश का हित चाहने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है।

यह अधिनियम जनता की इच्छानुसार संसद् द्वारा पारित किया गया और इसके विपरीत कुछ कहना ऐसा ही है जैसा कोई व्यक्ति किसी ऐसे काम को न करने का प्रयत्न करे जो पूरा किया जा चुका हो। इस क्षेत्र में विभाजन के पश्चात् से ऐसे काम होते रहे हैं, जिनको अवैध, तथा समाज विरोधी कहा जा सकता है। अधान मंत्री इस सभा में कई बार कह चुके हैं कि हमारी सेना तथा पुलिस ने शांति स्थापित करने का कई बार प्रयत्न किया परन्तु वहां शांति स्थापित न हो सकी। अन्त में वहां की जनता ने इस प्रकार की व्यवस्था की आकांक्षा की और उसको स्वीकार करके अधिनियमित कर दिया गया। अब उसी अधिनियम के अनुसार व्यय की मांग की जा रही है जिससे वहां पर शांति स्थापित की जा सके।

स्पष्टीकरण टिप्पण में दिया है कि शिक्षा की राशि बढ़ा दी गई है जिसके फलस्वरूप ३२५ प्रारंभिक स्कूल खुलेंगे। मैं चाहता हूं कि शिक्षा पर और अधिक राशि दी जानी चाहिए। किसानों की और भी पूरा ध्यान दिया गया है। वहां पर बीज, खाद, कृष्यकरण की व्यवस्था की गई है। सहायता कार्यों के लिए भी धन की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार हमें पता लगता है कि इस अनुपूरक आय-व्ययक के द्वारा इस क्षेत्र की बहुत सी कठिनाइयां दूर कर दी गई हैं और सभा को इसका स्वागत करना चाहिए।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : मैं मांग संख्या १०६ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ जो प्रतिरक्षा पूंजी व्यय के सम्बन्ध में है। यह रेल ठेकेदार जिसको ४६,००० रुपये दिये जाते हैं, उसके बारे में है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि बहुत समय से प्रतिरक्षा कर्मचारी फेडेरेशन तथा एम० ई० एस० यूनियन के कर्मचारी यह मांग कर रहे हैं कि ठेका पद्धति हटा दी जाये क्योंकि इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अनुपूरक मांगों के समय नीति सम्बन्धी बातें नहीं उठाई जाती हैं।

†**श्री स० म० बनर्जी** : इस मांग के स्पष्टीकरण टिप्पण में दिया हुआ है कि एक छावनी में क्वार्टरस निर्माण के लिए। परन्तु यह नहीं बताया गया कि किस छावनी में यह काम कराया गया तथा ठेकेदार द्वारा कराया गया अथवा विभागीय श्रम द्वारा कराया गया। परन्तु यह काम कराया गया ठेकेदार से ही जबकि एम० ई० एस० के पास २७,००० कर्मचारी हैं। मेरा विचार है कि हमें सभी स्थानों पर विभागीय कर्मचारियों से यह काम कराने चाहिए। मैं बता चुका हूँ कि आगरा में एक काम ३२,००० रुपये में पूरा कराया गया,

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० म० बनर्जी]

जब कि ठेकेदार ने उसके लिए एक लाख रुपये मांगे थे। इसलिए यह कहना एकदम गलत है कि ठेकेदार, सस्ता, अच्छा तथा शीघ्रता से काम कराते हैं। मेरी माननीय उपमंत्री से प्रार्थना है कि वह इस पर विचार करें।

†**श्री पुन्नूस** : कल माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि योजना की आवश्यकता में तथा मांगों का हम वित्त आयोग की सिफारिश पर चर्चा के समय चर्चा नहीं करनी चाहिए। परन्तु सिफारिशों को देखने के पश्चात् मालूम होता है कि उन्होंने विभिन्न राज्यों को आवंटन करते समय योजना की आवश्यकताओं पर ध्यान रखा है। इस कारण हम केरल के सदस्यों का यह विचार है कि उनकी हमारे राज्य के लिए १.७५ करोड़ की सिफारिश बहुत कम है। केरल के साथ सदा से उपेक्षा की जाती रही है। वहां की कांग्रेस सरकार ने भी अधिक धन की मांग की थी परन्तु उनको दिया कम गया था। मालाबार, केरल में मिला दिया गया और मद्रास राज्य ने उसको १९ करोड़ रुपये दिया जब कि जनसंख्या के आधार पर उसको २७ करोड़ रुपया मिलना चाहिए था। वहां की समस्याओं को समस्त देश जानता है और उन्हीं के आधार पर हमने और २० करोड़ रुपये की मांग की थी जो कि उचित थी। परन्तु हमारी मांग स्वीकार नहीं की गई और इसी कारण केरल की कठिनाई बढ़ गई है। मेरी वित्त मंत्री से प्रार्थना है कि वह इस पर विचार करें और उस राज्य की समस्या को समझें।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नबद्वीप) : मैं भारत के भूतत्वीय परिमाप के व्यय पूरे करने के लिए प्रस्तुत मांग संख्या १८ के सम्बन्ध में यह छोटी सी बात कहना चाहती हूँ और वह यह है कि प्राकृतिक तेल तथा गैस आयोग के अस्थाई कर्मचारियों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला है। इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्रालय को इस पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिस से इन कर्मचारियों को पहली तारीख को वेतन मिल जाया करे।

तुएनसांग क्षेत्र के सम्बन्ध में वैदेशिक कार्य मंत्रालय की मांग से हमें बड़ी प्रसन्नता है और मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में हमारे सम्बन्ध उस क्षेत्र से बहुत अच्छे हो जायेंगे। मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि जब भी कभी फिजो तथा उसके परिवार के बारे में कुछ पता लगे, सरकार को उनके साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए जिससे सम्बन्ध और सुन्दर हो जायें।

अन्त में, मैं, मांग संख्या ८८, उड्डयन के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि अनुसूचित रास्तों के लिए केवल एक वर्ष के लिए अनुज्ञप्तियां की दी जाती हैं। मेरे विचार से यदि यह अनुज्ञप्तियां इसी प्रकार दी जाती रहीं तो कोई भी समवाय कार्य नहीं कर सकेगी। मैं आशा करती हूं कि इन सब बातों पर सरकार ध्यान देगी।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर): मैं मांग संख्या ८८ के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि इस मंत्रालय ने अनुपूरक मांग दूसरी बार प्रस्तुत की है। इस मांग की उपयुक्तता के सम्बन्ध में कुछ कहने से पहले यह बता देना आवश्यक है कि इस मंत्रालय में इस मांग पर किस प्रकार काम किया जाता है। कुछ दिन हुए एयरलाइनों में वाइकाउन्ट रखे जाने की तथा कुछ व्यक्तियों को इनका प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई। प्रशिक्षार्थी तीन वर्गों में ब्रिटेन

†मूल अंग्रेजी में

प्रशिक्षण लेने भेजे जायेंगे जिन पर प्रतिव्यक्ति ४/१० पौंड़ व्यय होगा। मेरी शिकायत यह है कि हम इन व्यक्तियों पर इतना धन व्यय करते हैं परन्तु इन व्यक्तियों का पूरा पूरा उपयोग नहीं किया जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को आय-व्ययक की चर्चा तक धैर्य रखना चाहिए जिस कार्य के लिए मांग हो माननीय सदस्यों को अपने विचार उसी तक सीमित रखने चाहिए। मैं नहीं समझता कि वाइकाउन्ट आदि का इससे कोई सम्बन्ध है।

मैं इस समय एक बात यह भी बता देना चाहता हूं कि इस समय दो मांगे प्रस्तुत हैं। एक तुएनसांग जिले के बारे में है तथा दूसरी राष्ट्रीय औजार कारखाने के बारे में हैं। माननीय मंत्री महोदय जानते हैं कि पहले ऐसी व्यवस्था थी कि जब भी कभी किसी नई सेवा के लिए आय-व्ययक अथवा अनुपूरक मांग की व्यवस्था की जाती थी, इस मामले पर स्थायी वित्त समिति में विचार किया जाता था और समिति की उस सेवा के बारे में ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया जाता था जिससे माननीय सदस्यों को उसके बारे में जानकारी हो जाती थी।

मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि भविष्य में इस प्रकार की मांगों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी सदस्यों को दे दिया करें।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मैं एक प्रपत्र बनाऊंगा जिसमें माननीय सदस्यों को पूरी जानकारी दी जाया करेगी।

**अध्यक्ष महोदय :** कौन–कौन माननीय मंत्री इस विवाद में भाग लेना चाहेंगे ?

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** शायद मैं ही सभी की ओर से उत्तर दूंगा।

**श्री भक्त दर्शन** (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, यह जो अनुदानों की अनुपूरक मागें यहां पर सदन में पेश की गई हैं उनका समर्थन करते हुये केवल दो के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सितम्बर ५७ में जो मांगें पेश की गयीं थीं उनमें से डिमांड (मांग) संख्या ९, डिफेंस सर्विसेज, इफैक्टिव आर्मी (प्रभावी सेना) उसके सम्बन्ध में एक थोड़ी सी बात की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसके फुटनोट में यह लिखा है कि एक सैनिक ट्रक के निजी कार से टकरा जाने के मुकदमे में सरकार को २,००० हजार रुपये भरने पड़े हैं।

इस सम्बन्ध में दो बातें निवेदन करनी हैं। पहली बात तो यह है कि यद्यपि यह बहुत दूर आसाम की बात है जहां तक मेरा खयाल है, और मुझ से इस का सीधा सम्बन्ध नहीं है, तथापि इसमें एक सैद्धान्तिक प्रश्न उठता है कि जब वह गलती उस मिलटरी ड्राइवर की रही होगी तो फिर इस मामले को अदालत तक क्यों जाने दिया गया और क्यों नहीं उस व्यक्ति से जिसको कि नुकसान पहुंचा था और जिसकी की गाड़ी चकनाचूर हो गयी थी, उससे पहले ही क्यों नहीं समझौता कर लिया गया ताकि अदालतों में जाकर विभाग और भारत सरकार की बदनामी न होती ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह के मामले आये दिन फौज में होते रहते हैं और इस सम्बन्ध में कड़ाई का रुख लेने की आवश्यकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ]

[श्री भक्त दर्शन]

मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह २,००० रुपये सरकारी खजाने से न दिये जा कर उस व्यक्ति की जेब से दिये जाने चाहियें, अर्थात् उसकी तनख्वाह से काटे जाने चाहियें जिसकी कि गलती की वजह से यह घटना हुई। मैं इस कठोर उपाय के अमल बन करने की इसलिये सलाह दे रहा हूं कि इस तरह की घटनायें अक्सर होती रहती हैं और अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कड़े कदम नहीं उठाये गये है।

मुझे याद है कि कुछ वर्षों पहले प्रतिरक्षा मंत्रालय के एक ड्राइवर साहब के गाड़ी चलाने से नैपाल से आए हुये मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक कुली की जिसे डोंटयाल कहते हैं, मृत्यु हो गयी। जब पुलिस वाले ने कुछ दूर उसका पीछा किया तो उसने मुड़ करके जवाब दिया कि मैंने किसी आदमी को नहीं मारा है, वह तो एक डोंटियाल था। उस मिलिटरी ड्राइवर के दिल के अन्दर एक मनुष्य की इस तरह मृत्यु हो जाने पर कोई करुणा या दया नहीं थी।

इसी तरीके से कुछ दिनों पहले की बात है और यह सौभाग्य की बात है कि इस अवसर पर हमारे पूर्व प्रतिरक्षा संगठन मंत्री श्री त्यागी बैठे हुए हैं, उनके नोटिस में एक बात लाई गई थी कि कोई एक बड़ा फौजी अधिकारी अपनी कार लेकर जा रहा था और उसकी कार के आगे एक साधारण मोटर बस चल रही थी और उसके चलने में जरा देरी हो रही थी, फौजी अफसर ने कई बार हार्न दिय कि अपनी कार को उसके आगे ले जाये और इसमें देरी होते देख कर बजाय इसके कि वे कोई एक सभ्यता का व्यवहार करते, उतर करके उन्होंने उसको तमाचा मार दिया। यह उदाहरण मैं मिलिटरी के एक बड़े अफसर का दे रहा हूं और इस के बारे में फौज के बड़े-बड़े विभागीय हेडों (प्रधानों) को लिखा भी गया लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई।

इसे तरीके से पिछले अधिवेशन में मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए रेलवे मंत्रालय की ओर से यह बतलाया गया था कि मिलिटरी के एक ब्रिगेडियर साहब ने पटना रेलवे स्टेशन पर ९० मिनिट तक इसलिये गाड़ी को रोके रक्खा कि गाडी में चढ़ते समय किसी गिरहकट द्वारा उनके एक छोटा सा जखम लग गया था और हालांकि रेलवे के डाक्टर ने उसको बैंडेज कर दिया था, लेकिन उन्होंने इस पर इसरार किया कि नहीं उनका इलाज मिलिटरी अस्पताल का उनका ही डाक्टर करे, और केवल इस छोटी सी बात के कारण पटना रेलवे स्टेशन पर गाड़ी ९० मिनिट तक रुकी रही और तमाम अन्य रेलवे यात्रियों को उसके कारण परेशान होना पड़ा और दिक्कत उठानी पड़ी।

मैं इसलिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि आये दिन जो इस तरीके की फौजियों द्वारा घटनाएं होती रहती हैं उनके निराकरण का एक ही उपाय हो सकता है कि जिस कर्मचारी के द्वारा जो गलती हो और जिसकी वजह से विभाग की बदनामी होती हो, तो उस जिम्मेदार कर्मचारी की जेब से वह रुपया क्यों न वसूल किया जाये? इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस ड्राइवर की यह गलती है उससे यह दो हजार रुपये लिये जायें न कि सरकारी खजाने से दिये जायें।

इसके अतिरिक्त दिसम्बर, १९५७ में जो मांगें रक्खी गई हैं उनमें से डिमांड संख्या १०६, जिसके ऊपर मेरे मित्र श्री स० म० बनर्जी भी प्रकाश डाल चुके हैं, जो कि ठेके देने के सम्बन्ध में है, उसके सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि अक्सर इस बात की शिकायत है कि ठेकेदारों के कंट्रैक्ट्स की अदायगी करने में बहुत देरी की जाती है और हालांकि वर्षों बीत गये

हैं लेकिन उनके पैसे की अदायगी नहीं हुई है। यहां तक कि पिछली लड़ाई के जमाने में जो ठेके दिये गये थे उनकी अदायगी भी अभी तक नहीं हो पाई है। एक बड़े ताज्जुब की बात यह है कि आर्बिट्रेटर (विवाचक) जिसके कि हाथ में यह मामला दिया गया, ४४,५०० रुपये का वह दावा था, आर्बिट्रेटर को वह केस दिया गया, और उसने ठेकेदार के पक्ष में अपना फैसला दे दिया। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि उस मामले को अदालत में क्यों ले जाया गया? अदालत में जा कर हमारी सरकार को एक तो बदनामी उठानी पड़ी और उसके साथ ही उसमें १,५०० रुपये और जुड़ गये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन अधिकारियों की वजह से इतने वर्षों तक यह मामला इसी तरह लटका रहा ; क्योंकि उन्होंने न्यायपूर्ण फैसला नहीं किया और इसी कारण से ४४,५०० रुपया तो देना ही था लेकिन १,५०० रुपया उसके अतिरिक्त और दिया जा रहा है। यह जो अतिरिक्त रकम देनी पड़ रही है यह हमारे एक्सचेकर के ऊपर वाजिब खर्चा नहीं है और यह उन कर्मचारी की गलती की वजह से हुआ है जो कि डाइलेटरी टैकटिक्स (विलम्बकारी कार्यनीति) इस्तेमाल करते हैं और जिनकी कि वजह से बिलों की अदायगी नहीं होती है।

स्वयं मेरे द्वारा कई मामले प्रतिरक्षा मंत्रालय के ध्यान में लाये गये हैं और रिमाइंडर्स दिये गये हैं ; लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है ; ना तो न कहते हैं और न हां कहते हैं, बस, मामलों को लटकाये रहते हैं। लेकिन जब कोई अदालत में जाकर अपने रुपये का दावा करता है तब वहां पर उसके पक्ष में फैसला होता है और वह फैसला न्याय के पक्ष में होता है क्योंकि आखिर जो उसके ठेके का रुपया है उसकी अदायगी तो होनी ही चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में यह सुझाव देना चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय को यह ध्यान देना चाहिये कि मामला अदालत में जहां तक हो सके न जाये और पार्टी के साथ में ही कोई फैसला कर लिया जाये और इस तरह की बेइज्जती न उठानी पड़े जो कि आज उठानी पड़ती है ; और यहां पर इस सदन में आकर इस तरह की पूरक मांगें पेश न करनी पड़े। इन शब्दों के साथ मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में ध्यान देने की कृपा करेंगे।

**श्रीमती उमा नेहरू** (सीतापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी देर हुई जब मैंने माननीय सदस्य श्री बरुआ की स्पीच सुनी उन की स्पीच को सुन कर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। जो तस्वीर उन्होंने नागाओं की खींची थी वह हमारे लिये बहुत तकलीफ़देह तस्वीर थी। मैं अपनी सरकार से यह ज़रूर कहना चाहती हूं कि मैं उसकी बहुत मशकूर हूं कि सरकार ने नागाओं के लिये बहुत कुछ किया और कर भी रही है लेकिन इस सम्बन्ध में मेरा इतना ही कहना है कि अगर हम को वहां पर सोशल आर्डर पैदा करना है तो यह हमारा धर्म और कर्त्तव्य है कि हम उनकी एजुकेशन और हैल्थ (शिक्षा और स्वास्थ्य) पर ज्यादा गौर करें। वह दो चीजें हैं जो कि इस नक़शे को बदल सकती हैं। वहां पर पुलिस का होना कोई बुरी बात नहीं है और वहां पुलिस का रक्खा जाना बहुत जरूरी भी है लेकिन पुलिस के सम्बन्ध में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूंगी, कि आज जो हमारी पुलिस है और जैसे हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन चलता है और जैसे मैं सरकारी कर्मचारियों को देखती हूं, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे उनको यह पता ही नहीं है कि वेलफ़ेयर स्टेट (कल्याणकारी राज्य) में किस तरह से बिहेव (बर्ताव) करना चाहिये और किस तरह से काम करना चाहिये। पुलिस बज़ात खुद कोई बुरी चीज़ नहीं है और पुलिस अच्छी और उपयोगी होती है लेकिन आज की पुलिस को यह पता ही नहीं है कि एक वेलफ़ेयर स्टेट में उसका क्या काम होता है ? आज की पुलिस को अभी तक कोई वेलफ़ेयर स्टेट की शिक्षा नहीं मिली है और जो पुरानी शिक्षा उनको पकड़ धकड़ करने की और बेइंसाफ़ी करने की मिली हुई है, वह उसी पर चल रही है। इसलिये ज़रूरत इस बात की है कि पुलिस को और ऐडमिनिस्ट्रेशन को हम एक वेलफ़ेयर स्टेट के हिसाब से ट्रेन (प्रशिक्षित) करें और शिक्षा दें।

[श्रीमती उमा नेहरू]

मैं अपने मिनिस्टर (मंत्री) साहब से कहना चाहती हूं कि मुझे हमेशा से नागा लोगों में बड़ी दिलचस्पी रही है। नागा एक बड़ी बहादुर रेस (कौम) है और जैसा मैंने सुना है कि बग़ैर किसी क़ानून के वह अपनी खेती-बाड़ी बहुत कायदे से करते हैं। उन्होंने अपने कानून बड़े आर्डर से बनाये हुए हैं। ऐसे लोगों को हम चाहते हैं कि वे हमसे मिलें—और पुलिस को हमें वहां पर रखना भी है तो पुलिस को उसी तरीक़े से, समझदारी से उनके साथ बर्ताव करना चाहिये।

इस सम्बन्ध हमारे मंत्री महोदय जो कर रहे हैं वह बिलकुल ठीक कर रहे हैं लेकिन मेहरबानी करके इतना ध्यान ज़रूर रक्खें कि जो भी ऐडमिनिस्ट्रेशन वहां पर आपका हो और जो भी अफ़सरान और पुलिस वग़ैरह जायें, उनके सामने एक वेलफ़ेयर स्टेट का नक़शा होना चाहिये न कि एक पुलिस राज्य का।

†चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : अनुदानों की इन अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नागा पहाड़ी क्षेत्र सम्बन्धी हाल के अधिनियम और वित्त आयोग की सिफ़ारिशें स्वीकार करने के फलस्वरूप ही सामने आई हैं। मांग संख्या २६, ३०, ४१, ८८ और १०६ का कुछ भाग मुक़दमेबाज़ी से सम्बन्धित है। मेरा अनुरोध है कि ऐसे मामलों में सरकार को संतोषपूर्ण समझौते करने का प्रयास करना चाहिये। मुकदमेबाज़ी भारत सरकार के लिये शोभनीय नहीं है। सरकार को न्यायालय में जाने से कतराना चाहिये।

नागा क्षेत्र के सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि हमें लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीक़ों से भी काम लेना चाहिये। हमें यथा-सम्भव रूप में अहिंसा का ही पालन करना चाहिये।

नागाओं को अहिंसात्मक तरीक़ों से ही अपनी ओर लाने का प्रयास करना चाहिये, पर यदि अहिंसात्मक तरीक़े सफल नहीं होते तो हमें बल प्रयोग भी करना पड़ेगा और इसका दायित्व नागाओं पर ही होगा, क्योंकि वे ही हिंसा और तोड़फोड़ के असंवैधानिक तरीक़े अपना रहे हैं।

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : श्री भक्तदर्शन ने कहा था कि एक नागरिक की कार से गाड़ी टकराने वाले चालक के मामले को न्यायालय में नहीं ले जाना चाहिये था; उस के बिना ही समझौता हो जाना चाहिये था। मैं तो कहता हूं मंत्रालय सदा ही उचित रूप में न्यायालय के बिना ही समझौते करने को तत्पर रहता है। लेकिन, इस मामले में तो कार का स्वामी ८,००० रुपये से एक कौड़ी भी कम स्वीकार करने को तैयार नहीं था, पर मंत्रालय ने देखा था कि उसकी कार को इतनी अधिक क्षति नहीं पहुंची थी। बाद में, न्यायालय ने भी इसकी पुष्टि की थी। न्यायालय ने भी उस क्षति को २,००० रुपये की बताई थी। उसमें समझौता हो सकता था, लेकिन तभी जबकि कार का स्वामी उचित समझौता करने को तैयार होता। लेकिन जब वैसा नहीं होता, तो न्यायालय में जाना ही पड़ता है। इसलिये, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मंत्रालय ने कार के स्वामी को अनुचित रूप से तंग करने कीं कोई कोशिश नहीं की थी।

माननीय मित्र ने एक दूसरी बात यह भी कही थी कि क्षतिपूर्ति की यह राशि सरकारी कोष से नहीं दी जानी चाहिये बल्कि चालक के वेतन में से काटी जानी चाहिये। मैं चालक की ओर से कोई सफ़ाई नहीं देना चाहता। ग़लती तो उस की थी ही। सभी जानते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष

---

†मूल अंग्रेजी में

की ग़लती के कारण ही दुर्घटनायें होती हैं। इस मामले में ग़लती चालक की थी। वह चालक सरकारी कर्मचारी है और उसके नाते उसे कुछ संरक्षण भी मिले हुए हैं। उसी संरक्षण के अनुसार सरकार या प्रतिरक्षा मंत्रालय को उस चालक की ओर से क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन चालकों को प्रशिक्षित करते समय हम सभी प्रकार की सावधानी रखते हैं। हम उन्हें सड़क सम्बन्धी नियमों से भली भांति परिचित करा देते हैं और उन्हें बड़ी कड़ी परीक्षायें पास करनी पड़ती हैं। लेकिन उन को पास कर लेने का ही यह अर्थ नहीं होता कि प्रत्येक चालक सौ प्रतिशत कार्यक्षमता प्राप्त कर लेता है। दुर्घटनायें तो तब भी होती ही हैं। इतनी अधिक संख्या में चालकों को प्रशिक्षित किया जाता है कि उनमें से कुछ चालक उतने कुशल नहीं बन पाते और उन में सड़क के नियमों का ज्ञान पूरी तौर पर विकसित नहीं हो पाता और दुर्घटनायें होती हैं। लेकिन इन मामलों में समझौते न हो पाने का मुख्य कारण यही है कि कारों इत्यादि के स्वामी उचित समझौते करने पर तैयार नहीं होते। वे अनुचित मांगें करते हैं। वे सरकार पर मुक़दमा चलाने को ही लाभदायक समझते हैं।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी:** कल श्री भरूचा ने दुर्गापुर के इस्पात कारखाने के लिये सम्भरित किये जाने वाले खनिज लोहे का उल्लेख किया था। मैं ठीक-ठीक नहीं समझ सका हूं कि वे कहना क्या चाहते थे। लेकिन, शायद उनकी आपत्ति यह थी कि वह समवाय उन लोगों के सहयोग से निर्मित किया जा रहा है कि जिनके पास उस क्षेत्र विशेष में खनिज लोहा निकालने की अनुज्ञप्तियां मौजूद हैं।

उनका सुझाव था कि अनुज्ञप्तियों को रद्द कर दिया जाना चाहिये और दुर्गापुर इस्पात कारखाने को ही वहां खनन कार्य करना चाहिये। वास्तव में, इस मामले विशेष में हम ने अपनी व्यस्तताओं को देखते हुए यही ठीक समझा था कि खनिज लोहे के खनन-कार्य की देखभाल कोई दूसरा ही अभिकरण करे। वे खानें कारखाने से बहुत दूर पड़ती हैं। भिलाई या रूरकेला में तो खनिज लोहे की खानें केवल ५०—६० मील की दूरी पर ही हैं। दुर्गापुर कारखाना, भिलाई या रूरकेला की भांति, खनिज लोहे पर आधारित कारखाना नहीं है। वह कोयले पर आधारित है। इन सभी बातों पर विचार करने के बाद ही, हमने यह निर्णय किया था कि इसके लिये इस फर्म विशेष जैसी किसी संस्था के साथ सहयोग करना ही अच्छा होगा, और मैं तो समझता हूं इस सहयोग के लिये हमें काफ़ी लाभदायक शर्तें भी मिल गई हैं। सरकार के हित पूरी तौर पर सुरक्षित हैं। हां यह अवश्य है, कि कुछ लोगों की इस सम्बन्ध में दूसरी राय भी हो सकती है। लेकिन, सरकार का दृष्टिकोण यही है कि इसके परिणामस्वरूप बड़ी सुविधाजनक शर्तों पर खनिज लोहे का नियमित सम्भरण सुनिश्चित हो जायेगा।

उन्होंने डिब्बों में बन्द खाद्यान्नों पर आने वाली हानि के बारे में भी कहा था। शायद उनका यह विचार है कि सरकार ने ग़लती से ख़राब खाद्यान्नों को ख़रीद की थी और इसीलिये इस हानि को बट्टे खाते में डाल दिया गया है। बात ऐसी नहीं है। ये वास्तव में युद्ध के समय के स्टोर्स थे, जो यहां अमरीकी सेना छोड़ गई थी। लेखे के हिसाब से तो उनका मूल्य था ही, और मनुष्यों के भोजन के योग्य न होने के कारण जब उनको नष्ट किया गया था, तो स्वाभाविक ही है कि उस सरकारी सम्पत्ति को लेखे में बट्टे खाते में लिखना पड़ा था। इस मामले में सरकार की कोई त्रुटि नहीं है।

इस के बाद, उन्होंने नागा पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली नयी प्रशासनिक इकाई, जो दोनों सभाओं द्वारा पारित एक विधेयक के अनुसार हो रही है, का प्रश्न भी उठाया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

माननीय सदस्यों ने इसके सम्बन्ध में जो भी बातें कही थीं, वे सामान्यतया तो संगत थीं, लेकिन उन्हें यह तो सोचना चाहिये कि हम इस समय वर्तमान आय-व्ययक पर चर्चा कर रहे हैं ; एक ऐसे आय-व्ययक के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें चार महीनों के लिये आवश्यक रूपभेद किये गये हैं । माननीय सदस्यों को यह आशा तो नहीं ही करनी चाहिये थी कि १ दिसम्बर से अब तक, इन चौदह दिनों में, सरकार इस नई इकाई के लिये सामाजिक सेवाओं की एक व्यापक योजना तैयार करने में और उनके लिये व्यय की मांगें सभा में प्रस्तुत करने में समर्थ हो जायेगी । इस समय तो हम सभा से वर्तमान स्थिति का ही अनुमोदन कराना चाह रहे हैं ।

कुछ माननीय सदस्य इस वर्तमान स्थिति को असंतोषजनक भी मान सकते हैं । मैं इस बात को अवश्य ही स्वीकार करता हूं कि इस प्रशासनिक इकाई का निर्माण करने के साथ-साथ हमें वहां के वर्तमान मानसिक वातावरण के सम्बन्ध में और उसे दूर करने में समर्थ साधनों पर अधिक व्यय करके उस वातावरण को हटाने के तरीक़ों पर विचार करना ही पड़ेगा । यह इसलिये कि उस क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक समस्या ने ही वहां की जनता को उत्तेजित करके वहां एक पेचीदा राजनीतिक परिस्थिति पैदा कर दी थी । इस सम्बन्ध में मैं कोई बहस खड़ी नहीं करना चाहता । इसलिये, मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा कही गई सभी बातों का स्वागत करता हूं, चाहे अन्य व्यय की तुलना में पुलिस या सेना सम्बन्धी व्यय के अनुपात विशेष के उनके सुझावों से सहमत होना मेरे लिये कठिन ही क्यों न हो । पुलिस या सेना पर कितना व्यय किया जाये, इसका ठीक-ठीक निर्णय तो वही कर सकते हैं जो उस क्षेत्र के प्रशासन का भार सम्भाले हुए हैं । हमें उनके निर्णय को ही अन्तिम मानना चाहिये, क्योंकि यदि वहां कोई गड़बड़ी होती है तो पुलिस सम्बन्धी व्यय में कमी की मांग करने वाले माननीय सदस्य गण ही सब से पहले प्रशासन की लापरवाही की आलोचना करेंगे । लेकिन, मैं रचनात्मक सुझावों के लिये माननीय सदस्यों का आभारी हूं । उन्होंने सामाजिक सेवाओं, अधिक शिक्षा आदि पर अधिक व्यय करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, हालांकि अभी भी वहां भारत के कई अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा शैक्षणिक सुविधाओं पर काफी व्यय किया जा रहा है ।

अधिक सड़कें बनाने, अस्पतालों और अन्य सुविधाओं की ओर तो ध्यान देना ही पड़ेगा । मैं अवश्य ही सम्बन्धित मंत्रालय से इनकी ओर विशेष ध्यान देने के लिये कहूंगा । और, आशा है कि मार्च में पूरा आय-व्ययक रखते समय हम इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को संतुष्ट कर सकेंगे । मैं अपनी ओर से इस शीर्ष के व्यय की वृद्धि पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाऊंगा । इसलिये कि मैं समझता हूं कि इसे एक पृथक् इकाई का रूप देकर हमने जो उत्तरदायित्व सम्भाला है यह अधिक व्यय उस के संगत ही होगा । हमें सामाजिक सेवाओं पर कुछ अधिक व्यय करना ही पड़ेगा ।

श्री अचौसिंह ने अधिकारियों, उनके वेतनों, भ्रष्टाचार, सहानुभूतिहीनता, इत्यादि का उल्लेख किया था । चूंकि ऐसे दोषारोपण लगातार किये जाते रहे हैं, और अधिकारियों में कोई भी किसी भी अच्छाई को देखने के लिये तैयार ही नहीं रहता, इसलिये ये दोषारोपण बहुधा प्रभावहीन रहते हैं । यह विश्वास करना बहुत ही कठिन है कि सभी अधिकारी बुरे, सहानुभूति-रहित और भ्रष्ट हैं । यह तो सभी को एक लाठी से हांकना है । मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार सभी जगह है । मैं तो यह मानता हूं कि हमारे अधिकारीगण हमारे अपने ही प्रतिबिम्ब हैं । उनमें उतनी ही ईमानदारी, नैतिकता, कार्य-क्षमता और जनसेवा की भावना है जितनी कि हम में । वे नेता नहीं हैं ।

कठिनाई तो यही है कि हम बहुधा उनको नेता मान लेते हैं और उनसे सहायता की आशा करत हैं । लेकिन, वे हमारे साथी-नागरिक ही हैं । यदि हम उन्हें इसी रूप में मानें तो अवश्य ही

वे हमारा नेतृत्व नहीं करेंगे बल्कि हमारे साथ चलेंगे और हमारी सहायता करेंगे । कठिनाई तो इस बात की है कि प्रशासन-कार्य आरम्भ होने से पहले ही न उन पर दोषारोपण आरम्भ हो गया है । श्री ले० अचौ सिंह को अभी कुछ समय तक धैर्य रखना चाहिये । यदि वे अधिकारियों को अनुपयुक्त समझते हैं तो उन्हें उनके उदाहरण पेश करने चाहियें और उन्हें बदल दिया जायेगा । पर, उन्हें स्पष्ट रूप से यह तो बताना चाहिये वे अधिकारी कहां जनता की मनोभावना के प्रतिकूल हैं । यह भी तो सम्भव है कि कोई व्यक्ति अच्छा होता हुआ भी उन परिस्थितियों में अपने को ढाल न पा रहा हो । मैं समझता हूं कि अभी वह समय नहीं आया है जब कि माननीय सदस्य वहां भेजे जाने वाले हमारे अधिकारियों के गुणों, प्रकार या उनकी ईमानदारी के बारे में कोई राय व्यक्त कर सकें । यदि इस प्रकार ऐसी शिकायतें बार-बार दोहराई जायेंगी, तो उससे न तो शिकायत करने वालों का भला होगा और न जिनकी शिकायतें की जाती हैं उनका ही ।

मुझे इस बात की तो बड़ी प्रसन्नता है कि इस कठिन क्षेत्र में पृथक् प्रशासनिक इकाई स्थापित करने के हमारे इस नये परीक्षण में लोगों ने बड़ी रुचि दिखाई है । लेकिन, मेरा अनुरोध है कि आप इस नये प्रशासन को थोड़ा जम तो जाने दीजिये । उसे यह सिद्ध करने का तो अवसर दीजिये कि वह कुछ सफलता भी प्राप्त कर सकता है ।

मैं नहीं समझता कि श्री नारायणन् कुट्टि मेनन मुझसे वास्तव में उत्तर की आशा करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह अन्य किसी संदर्भ में ही संगत माना जा सकता है । मांग संख्या ३० के प्रसंग में नहीं ।

श्री थानू पिल्लै ने भी कुछ ऐसी बातें कहीं थीं जो इस मांग विशेष से सम्बन्ध नहीं रखतीं, क्योंकि यह मांग विशेष तो एक बहुत छोटी सी है । यह मांग तो संघ उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत ४,००० रुपयों की व्यवस्था के सम्बन्ध में ही की गई है । वह भी इसलिये कि हमें न्यायालय में लगाये गये कुछ अभियोगों के सम्बन्ध में इस राशि की व्यवस्था करने पर विवश होना पड़ा है । मुझे श्री थानू पिल्लै द्वारा की गई आलोचना के सम्बन्ध में कुछ कहना ही पड़ा है, अन्यथा सदस्यगण समझते उनकी बात सही है ।

माननीय मित्र ने पूछा था, कि सरकार कुटीर उद्योगों के लिये क्या कर रही है । मैं नहीं समझता कि श्रेणी 'ग' और 'घ', कुटीर उद्योगों और माचिसों के उत्पादन में कोई बड़ी कमी आई है । ६० सलाइयों वाली माचिसों का उत्पादन १७,००० ग्रॉस से बढ़ कर ४३,००० हो गया है । हां, ४० सलाइयों वाली माचिसों के उत्पादन में कुछ कमी हुई है । श्रेणी 'घ' के कारखानों में ४० और ६० सलाइयों वाली दोनों प्रकार की माचिसों के उत्पादन में वृद्धि हुई है । और यदि वास्तव में 'घ' या 'ग' श्रेणी के कारखानों के उत्पादन में कोई कमी आई है तो माननीय सदस्य मुझे उसके आंकड़े बता दें । मैं उस सम्बन्ध में कार्यवाही करने को तैयार हूं, उनकी कुछ सहायता करने को तैयार हूं, क्योंकि हमें कुटीर उद्योगों और माचिसों के कारखानों की चिन्ता है ।

लेकिन, उन्होंने जो शिकायत की है वह 'ख' श्रेणी के सम्बन्ध में है, जो कुटीर उद्योगों की श्रेणी नहीं है । यह तो सम्भव है कि गांवों में कुटीर उद्योगों पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति उसमें काम करते हों, लेकिन वास्तव में वह उद्योग पूंजीपतियों के स्वामित्व में ही है और उसमें अवश्य लगता है कि उत्पादन में कुछ गिरावट आई है । माननीय सदस्य ने एक सुझाव रखा है । ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उनको एक माचिस की डिब्बी में ५० सलाइयां रखने और उसे ६० सलाइयों वाली डिब्बी बताकर ६० सलाइयों की डिब्बी का ही शुल्क अदा करने से रोका जा सके ।

सरकार को तो केवल शुल्क से ही मतलब है । हां इस शुल्क की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि उसका एक खास खुदरा मूल्य हो जाये । और, माननीय सदस्य जानते ही हैं कि खुदरा मूल्यों पर

[श्री ति० त० कृष्णामाचारी]

कोई नियन्त्रण नहीं है। जो भी हो, स्थिति यही है। वैसे सुझाव तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन यदि सभी सुझावों को मान लिया जाये तो हम कहीं भी नही पहुंचेंगे।

मैं इस स्थिति को समझता हूं। पर, मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता। सीधी सी बात यह है कि यदि कोई सुझाव दिया जायेगा तो, अवश्य ही उस पर विचार करेंगे कि उसमें कितना सार है। यदि जनता वास्तव में ५० सलाइयों वाली माचिसों को ६० सलाइयों वाली डिब्बी मानने को तैयार नहीं होगी, तो होगा यह कि खरीददार लोग ६० सलाइयों के आधार पर भी ५० सलाइयों वाली माचिसें खरीदेंगे। हो सकता है कि इसे निर्माता न करें और खुदरा व्यापारी ही करें। जो भी हो, लेकिन वर्ष के मध्य में अब इस सम्बन्ध में कोई प्रबन्ध नहीं किया जा सकता। यदि इस सुझाव में कुछ सार भी हो, तो सरकार शुल्क में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में वर्ष के अन्त में ही विचार करेगी। जहां तक किसी स्वतन्त्र कार्यवाही का सम्बन्ध है, वह तो वे चाहे जब कर सकते हैं। श्रेणी 'ग' और 'घ' को कोई हानि नहीं पहुंचती। इसलिये कुटीर उद्योगों सम्बन्धी हमारी नीति अब भी ठीक ही है, क्योंकि मैं 'ग' और 'घ' श्रेणी के कारखानों को सहायता करने को तैयार हूं।

†**श्री थानू पिल्ले** : क्या सरकार श्रेणी 'क' के इन माचिस कारखानों की तुलना में श्रेणी 'ख' के निर्माताओं का दमन करना चाहती है?

†**श्री ति० त० कृष्णामाचारी** : माननीय मित्र मुझे बहस में घसीट रहे हैं। वास्तव में तो यह बात इस मांग के दौरान उठी ही नहीं है। उन्होंने हम पर जो आरोप लगाया है कि हम कुटीर उद्योगों की दुहाई देकर उनकी उपेक्षा करते हैं, उसके सम्बन्ध में मुझे केवल यही कहना है कि हम श्रेणी 'ग' और 'घ' के कारखानों की सहायता करने को बिल्कुल तैयार हैं और ये कारखाने पूरी तौर पर कुटीर उद्योग ही हैं।

श्री स० म० बनर्जी ने सेना में ठेका प्रणाली समाप्त करने के सम्बन्ध में कहा है। सरकार भी इस ओर विचार कर रही है। लेकिन इसका इस विशेष बात से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह विशेष मांग देहली छावनी के ठेकेदार के सम्बन्ध में है और हमें मध्यस्थ के पंचाट को स्वीकार करना है। इसका ठेके समाप्त करने तथा विभागीय रूप से काम करने से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री पुन्नूस ने कल फिर उस आरोप का जिक्र किया। मैं केवल श्री विमल घोष के प्रश्नों का उत्तर दे रहा था जिन्होंने योजना आयोग की तुलना में वित्त आयोग की स्थिति से सम्बन्धित कुछ प्रश्न पूछे थे। मेरे विचार से मेरे द्वारा कही हुई कल की बात इस सम्बन्ध में भी सत्य है।

मेरी माननीय मित्र श्रीमती इला पालचौधरी ने मांग संख्या १८ के सम्बन्ध में बोलते हुए व्याख्या का जिक्र किया है। उन्होंने यह बताया कि मूलतः यह शिक्षा मंत्रालय की मांग थी। लेकिन हमें इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के अधीन रखा गया है। व्याख्या में बताया गया है कि उक्त मद इस्पात, खान और ईंधन के अधीन आ गई है। उन्होंने आगे यह बताया है कि इस स्थानान्तरण से कुछ व्यक्तियों को जो भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी थे, हानि पहुंची है, क्योंकि उनका वेतन नहीं प्राप्त हुआ है।

ऐसा सम्भव हो सकता है क्योंकि नये कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। मेरे विचार से महा-लेखापाल को सूचित नहीं किया गया होगा। यह प्रश्न द्वैध राज्य का है। वेतन वितरण कर्मचारी महा-

---

†मूल अंग्रेजी में

लेखा परीक्षक के अधीन हैं। लेकिन वे मेरी ओर से काम करते हैं और मेरा लेखा रखते हैं। यदि वे हिसाब किताब उचित तरीके से नहीं रख सकते तो मैं उनसे नहीं कह सकता हूं। मैं महालेखा परीक्षक से लिख कर कहूंगा कि आपके व्यक्ति हिसाब किताब उचित तरीके से नहीं रख रहे है। यदि माननीया सदस्या मुझे इस विषय की विस्तृत बातें बतायेंगी तो मैं महालेखा परीक्षक से इसका उपचार करने को कहूंगा। लेकिन यह असंगति कुछ समय तक चलती रहेगी।

मैं श्री नाथ पाई का अल्पाधिक अपमान करने के कारण उनसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं उनकी बातों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे उनकी जानकारी नहीं है। वस्तुतः यह एक पक्षीय चर्चा होती। इसी से मैंने उनसे ये बातें न उठाने को कहा था। क्योंकि मुझे उस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

श्री रघुबीर सिंह ने भी कुछ प्रश्न उठाये। उन्होंने यह भी कहा कि ये बातें उन्होंने अकस्मात् कही हैं क्योंकि यह अनुपूरक मांग निराशाजनक है। इसमें से बहुत सी मदें उन मदों के अन्तर्गत आ जाती हैं जो कि भारित मदें हैं तथा उन पर चर्चा की अनुमति नहीं है।

मैं एक अन्य बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय ने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि किसी भी नई सेवा के सम्बन्ध में हमें सभा को अधिक जानकारी देनी चाहिये। मैंने उन्हें बताया कि मैं भविष्य में अपेक्षाकृत अधिक जानकारी दूंगा।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** (चन्दौली) : गणित सम्बन्धी उपकरण कारखाने, के प्रतीक अनुदान के सम्बन्ध में पर्याप्त बातें नहीं बताई गई हैं जबकि कारखाने को बने हुए छः महीने से अधिक हो गये हैं। माननीय मंत्री जी को बताना चाहिये कि वे इस सम्बन्ध में यथार्थ आंकड़े क्यों नहीं बता सके ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : अध्यक्ष महोदय ने भी इस विशेष मद के सम्बंध में अधिक जानकारी देने की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया था। टिप्पणी में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है और यह व्यय गैर-सरकारी कामों पर नहीं किया जा रहा है। यह किसी विशेष कारखाने में प्रयोजन के लिये पूंजी लगाने का प्रश्न है।

जब कल श्री भरूचा ने यह आपत्ति की थी तो नियम संख्या २१७ का प्रयोग किया गया था जिससे आप प्रतीक अनुदान पा सकते हैं और उसका प्रयोग समायोजन के लिये कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में यह प्रक्रिया उल्लिखित है। यह प्रश्न पूरी राशि बाहर निकालने का नहीं है क्योंकि बचत में से यह राशि चुकाई जायेगी। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने बताया था कि भविष्य में विस्तृत विवरण दिये जाने चाहिएं।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित अनुपूरक मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं।**

| मांग संख्या | मांग का नाम | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| १८ | भूतत्वीय सर्वेक्षण | २०,६५,००० |
| २३क | नागा पहाड़ियां—तुएनसांग क्षेत्र | १,०७,२१,००० |
| ९३ | संभरण | ३,९६,००० |
| १०४ | वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय | १,००० |
| १२६ | इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय का पूंजी व्यय | १०,१०,००० |

†मूल अंग्रेजी में

[1]Mathemetical Instruments Factory.

# भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक

†उद्योग मंत्री ( श्री मनुभाई शाह ) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

मुझे सभा को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इस विधेयक के अधीन आने वाले उद्योगों में से १५ ने पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की जिन तीन उद्योगों की रक्षा करने का उद्देश्य था उन्होंने भी पर्याप्त प्रगति की है। इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय प्रशुल्क अधिनियम १९३४ की पहिली अनुसूची में संशोधन करना है जिससे आयोग की कुछ सिफारिशें क्रियान्वित की जा सकें। विधेयक से संलग्न उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण से यह ज्ञात होगा कि विधेयक का उद्देश्य यह है : (क) सागो, स्टीयरिक एसिड, ओलिक एसिड, टिटानियम डाई आक्साइड, प्लाइवुड टीचैस्ट, शीट ग्लास, मशीन स्क्रूज, नान् फैरस मेटल्स (अर्द्ध निर्माण), ग्राइंडिंग व्हील, बेयर कापर कन्डक्टर और ए० सी० एस० आर०, सूती वस्त्र मशीनें, बाइसिकल पिस्टन जोड़ने, ओटोमेटिक लीफ स्प्रिंग, मोटर गाड़ियों के पहियों में हाथ से हवा भरने के पम्प और डीजल इंजेक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज पर ३१ दिसम्बर, १९५७ के पश्चात् भी संरक्षण रहे।

(ख) परिरक्षित फलों, अ लौह धातुओं (मिश्र धातु तथा निर्मित चीजें) तथा आयल प्रैशर लेम्प उद्योगों पर पहिली जनवरी १९५८ से संरक्षण हटा लिया जायेगा और (ग) इसमें एलुमीनियम कन्डक्टर, रालर चेन $^{1}/_{2}" \times {}^{3}/_{16}"$ आकार की ए० सी० अस० आर० के रक्षित वर्गों में कापर से एलीमेंट डिलीवरी वाल्व और नोज़ल, बेयर वायर कन्डक्टर, बायसिकल चैन।

ए० सी० एस० आर० बेयर कापर कन्डक्टर, वाइसिकल चन तथा डीजल फ्यूअल इंजेक्शन इक्विपमेंट के रक्षित वर्ग में क्रमशः एल्यूमीनियम कन्डक्टर, रालर चेन $^{1}/_{2}" \times {}^{3}/_{16}"$ आकार की, एलीमेंट डिलीवरी वाल्व तथा नोजल शामिल किये जायें।

उक्त अठारह उद्योगों के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन तथा उन पर सरकार की सिफारिश सभा पटल पर रख दी गई है। तथा सदस्यों की जानकारी के लिये प्रत्येक उद्योग पर टिप्पण तथा रक्षण जारी रखने या हटाने के मामले में आयोग की सिफारिश का भी संक्षेप भी उस टिप्पण में दिया गया हैं।

आयल प्रैशर लैम्प उद्योग को सात वर्ष से रक्षण मिला हुआ है। पिछले चार वर्ष में इनके उत्पादन में तीन गुनी वृद्धि हुई है। इस उद्योग के लिये कच्चा माल भी देश में उपलब्ध है। स्वदेशी उत्पादन में विदेशी आयात की तुलना में १०$^{1}/_{2}$ प्रतिशत कम व्यय होता है। इसलिये स्वदेशी उद्योग के लागत के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है इससे रक्षण अवधि के समाप्त होने पर इस उद्योग से रक्षण हटा लिया जायेगा।

परिरक्षित फलों के उद्योग को दस वर्षों से रक्षण मिला हुआ है। १९५३ में इनका उत्पादन १२४५ टन था जो १९५६ में बढ़ कर १७१३ टन हो गया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इसका उत्पादन ३६०० टन होने की आशा है। सुसंगठित कारखानों का उत्पादन संतोषजनक है लेकिन कुछ कारखाने निम्न स्तर की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इससे स्वदेशी उत्पादन के विरुद्ध लोगों में विरोध की भावना फैल गई है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि फल उत्पाद आदेश को

---

†मूल अंग्रेजी में

कठोरता से लागू किया जाय जिससे अकुशल तथा निम्न स्तर का उत्पादन करने वाले कारखानों को या तो बन्द कर दिया जाय या उनमें सुधार किया जाय तथा उचित रूप से वर्गीकृत फलों का संभरण किया जाय और परिवहन की सुविधायें प्रदान की जायं। सरकार उद्योग को उक्त प्रकार की सहायता पहुंचा रही है तथा आगे भी पहुंचायेगी इसलिये इस उद्योग को अग्रेतर रक्षण की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान विदेशी विनिमय की अवस्था देखते हुए निकट भविष्य में वर्तमान आयात नीति को अधिक उदार नहीं बनाया जायेगा इसलिये प्रशुल्क आयोग ने यह सिफारिश की है कि ३१ दिसम्बर, १९५७ के पश्चात् से इस उद्योग को रक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार इस सिफारिश से सहमत हो गई है।

तथापि हम इस उद्योग का विकास करने के लिये जागरूक हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में फल परिरक्षण की एक योजना शामिल है। फल उत्पादन विकास के लिये ३ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। १९६०-६१ तक २ लाख एकड़ अधिक भूमि में फलों के बाग लगाये जायेंगे और ५ लाख एकड़ पुराने बागों में नये बाग लगाये जायेंगे। योजना में बागों तथा उर्वरकों की खरीद के लिये ऋण देने की व्यवस्था भी की गई है। खुले मुंह वाले डिब्बों के बनाने के लिये ५०० रुपये प्रति टन का अनुदान देने की एक योजना बनाई गई है जिस पर जल्द ही निर्णय किया जाने वाला है। निर्यात किये जाने वाले फल उत्पादों के निर्माण में उपयोग होने वाले चीनी पर उत्पादन शुल्क में रियायत देने की व्यवस्था मौजूद है तथा तत्सम्बन्धी नियमों को अधिक उदार बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। १९५३ से फल उत्पादों के निर्यात में १५०० टन अर्थात् २५ लाख की वृद्धि हुई है। इस प्रकार स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात दोनों मामलों में उद्योग में पर्याप्त वृद्धि हो रही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में निर्यात का लक्ष्य ११००० टन रखा गया है। पिछले वर्षों से सरकार की यह नीति रही है कि प्रतिरक्षा सेवाओं की सारी मांग स्वदेशी उत्पादन से पूरी की जाती रही है। वस्तुतः रक्षण हटा लेने के पश्चात् भी इस उद्योग को पूरी पूरी सहायता दी जाती रहेगी।

अब मैं अलौह धातुओं के उद्योग को लेता हूं। हमारा आशय पहिली जनवरी १९५८ से उद्योग के केवल उस अंश से रक्षण हटाना है जो मिश्रित धातु और निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करती है। इस उद्योग का दूसरा विभाग जो अर्द्धनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है उसे १९५९ के अन्त तक रक्षण दे दिया गया है। इस उद्योग को १९४८ से रक्षण प्राप्त है। इस समय रक्षण के रूप में अलौह धातुओं यथा बिना पीटे हुए तांबे, टिन, निकिल तथा अलौह धातुओं और मिश्रित धातुओं के टुकड़ों के आयात पर शुल्क नहीं लगता है। तथा कुछ मिश्रित धातुओं तथा अलौह धातुओं के निर्मित तथा अर्द्धनिर्मित वस्तुओं पर रक्षण शुल्क लगता है। उद्योग के प्रतिनिधियों, उपभोक्ताओं तथा प्रशुल्क आयोग के बीच चर्चा के दौरान इस बात पर लगभग सभी लोग सहमत थे कि गौण धातुओं के निर्माण तथा धातु के टुकड़ों की सफाई और मिश्रित धातुओं के निर्माण का प्रश्न है, कोई रक्षण की आवश्यकता नहीं है सरकार ने प्रशुल्क आयोग की यह सिफारिश स्वीकार कर ली है और विधेयक में उद्योग के इस अंग से रक्षण हटा लिया गया है। आयोग का यह विचार है कि स्वदेश में अलौह धातुओं के निर्माण की पर्याप्त क्षमता है। तथा यह उद्योग उचित मूल्य पर देश की आवश्यकतायें पूरी कर सकता है। इसलिये मिश्रित धातुओं तथा निर्मित वस्तुओं पर से रक्षण हटा लिया गया है। किन्तु इसके कुछ अंश यथा औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोगों में आने वाली चादरें, नलियों तथा नलों पर १९५९ के अंत तक रक्षण दिया जायेगा।

अब मैं उन उद्योगों को लेता हूं जिन पर आगे भी रक्षण जारी रखा जायेगा। साबूदाने (सागो) का उद्योग मुख्यतः मद्रास राज्य के सैलम जिले में केन्द्रित है। इस उद्योग को १९५० से रक्षण प्राप्त है तथा इसके आयात पर प्रतिबन्ध है। तीन वर्षों में अर्थात् १९५३ से १९५६ के बीच इसके उत्पादन में

[श्री मनुभाई शाह]

७००० टन की वृद्धि हुई है। तथापि इस उद्योग को कुछ कठिनाइयों का सामना करना होता ह। १९५३ के पश्चात् से इस उद्योग को टेपिओका के दानों के मिश्रण से बहुत हानि हुई है। उपयुक्त संगठन, टेपिओका की जड़ों का उचित मूल्य में प्राप्त करना, तैयार साबूदाने की बिक्री की सुविधायें, प्रकार नियन्त्रण तथा उत्पादन की स्वास्थ्यप्रद प्रणाली इत्यादि की इस समय इस उद्योग को आवश्यकता है। सरकार इस दिशा में उन्हें पर्याप्त सहयोग प्रदान करेगी। आयोग ने १९५९ के अन्त तक रक्षण शुल्क की वर्तमान दर पर इस उद्योग को रक्षण देने की सिफारिश की है। विधेयक में इस सिफारिश को क्रियान्वित करने की व्यवस्था है। अब मैं टिटैनियम डाय आक्साइड उद्योग की चर्चा करूंगा। विश्व में सबसे अधिक इलमेनाइट का संभरण भारत करता है। फिर भी भारत में टिटैनियम पिगमैंट का उत्पादन १९५१ के अन्त में ही आरम्भ किया गया है। यह पेण्टिंग और छपाई की स्याही में प्रयुक्त किया जाता है। इसके अनेक उपयोग हैं। टिटैनियम डाय आक्साइड का उत्पादन १९५२ में २३४ टन था जो १९५६ में बढ़ कर १७०० टन हो गया है। चार वर्ष में इसका उत्पादन सात गुना हो गया है। इसे १९६०-६१ में बढ़ाकर तिगुना कर देना होगा। तभी हम आत्म निर्भर बन सकते हैं। हम आशा रखते हैं कि इसकी मात्रा बढ़कर ५,००० टन या ६,००० टन हो जायेगी। देश की एकमात्र संस्था, जो इसका उत्पादन कर रही है, ट्रावनकोर टिटैनियम प्राडक्ट्स लिमिटेड अपनी मौजूदा उत्पादन-क्षमता बढ़ाकर दुगुना करने का कार्यक्रम बना रही है। वे इसकी दो भिन्न भिन्न किस्में और सल्फरिक एसिड प्लांट की स्थापना की योजना बना रहे हैं इस उद्योग ने तीन वर्ष की संरक्षण अवधि में आशातीत प्रगति की है। प्रशुल्क आयोग ने सिफारिश की है कि इसका संरक्षण बढ़ाकर १९६१ तक कर दिया जाये। सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है। और यह विधेयक इसी चेष्टा में प्रवृत्त है।

काच की चादरों का उद्योग भी १९५० से संरक्षण प्राप्त कर रहा है। अब इस उद्योग में सब साइज़ और श्रेणियां सम्मिलित कर दी गई हैं जो देश में आवश्यक हैं। अब इस उद्योग के अन्तर्गत श्रेष्ठ किस्म की चद्दरें निर्मित की जा रही हैं। १९५२ में उत्पादन ९० लाख टन वर्ग फीट था अब चालू वर्ष में यह बढ़कर ४८० लाख वर्गफीट हो गया है। काच की चद्दरें १९६०–६१ में हम ७५० लाख वर्गफीट तक बढ़ा देना चाहते हैं। प्रशुल्क आयोग ने सिफारिश की है कि १९६० के अन्त तक इस उद्योग को संरक्षण जारी रहना चाहिये और उस पर संरक्षणात्मक दर की वर्तमान शुल्क बनी रहे। यह दर मूल्य के अनुसार ७० प्रतिशत है। सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है और वह इस विधेयक में सम्मिलित है।

अब मैं मशीन उद्योग का जिक्र करूंगा। यद्यपि यह उद्योग छोटा है तथापि देश के विकास कार्यक्रम में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। १९५४ में इस उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के पश्चात् इसका उत्पादन बढ़ गया है। १९५२ के पश्चात् मशीनों के स्क्रू में आठ गुने उत्पादन बढ़ गया है चालू वर्ष में कदाचित् यह बढ़कर १३ लाख गुरूस हो जायेगी और योजना अवधि के अन्त तक लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात् ५० लाख गुरूस की सीमा तक पहुंचने के लिये हमें पर्याप्त प्रयत्न करने पड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि उद्योग इस आशा को पूरा कर सकेगा। विशिष्ट प्रकार के स्क्रु के बारे में देश शीघ्र ही स्वावलम्बी हो जायेगा। देश जापानी मशीन स्क्रू के मुकाबले में १४० प्रति शत हानि की अवस्था में है। नियन्त्रित आयात नीति के रहते हुए मूल्य के अनुसार ५० प्रतिशत या ६० नये पैसे प्रति पौण्ड—जो भी अधिक हो—के चालू स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। १९५९ तक यही स्थिति बनाये रखने का विचार है और उसके पश्चात इसका पुनरीक्षण किया जायेगा।

अब मैं ग्राइंडिंग व्हील (चक्कियों के पत्थर) उद्योग की ओर निर्देश करूंगा। इस उद्योग को १९४७ से संरक्षण प्राप्त हो गया है सभा इस उद्योग के महत्व से परिचित है। १९५२ से इस

उद्योग का द्रुत उन्नति हुई है । उस समय यह केवल ३८६ टन था । अब चालू वर्ष में इसका उत्पादन बढ़ कर लगभग १५०० टन तक पहुंच गया है यह प्रगति ४०० प्रतिशत है । इस अवधि में उद्योग का पर्याप्त प्रगति हुई है और आत्मनिर्भरता की स्थिति उत्पन्न होकर उत्पाद की किस्म का भी सुधार हुआ है ।

इसके बावजूद कि कीमतों में काफ़ी कमी हो गयी है इस उद्योग को ३० प्रतिशत मूल्यानुसार संरक्षण की आवश्यकता है। हमारी सीमित आयात की नीति के कारण वर्तमान स्तर पर मूल्यानुसार २५ प्रतिशत तक १९५९ के अन्त तक के लिये संरक्षण दिये जाने का प्रस्ताव है ।

मुझे इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं कि तांबे के कंडक्टर, अलुमीनियम और इस्पात के कंडक्टर इत्यादि बनाने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिये। यह विद्युत् की अधिक और कम मात्रा के वितरण और निर्माण के काम आते हैं। इन कंडक्टरों का निर्माण भी १९५२ के बाद काफ़ी मात्रा में बढ़ा। १९५२ में इसका मामूली उत्पादन २३०० टन था परन्तु १९५६ में यह बढ़ कर ११२८५ टन हो गया, और चालू वर्ष में अनुमान है कि यह बढ़ कर १५००० टन तक पहुंच जायेगा। यह छः गुणी वृद्धि है। केवल तांबे के कंडक्टरों के उत्पादन की वृद्धि १९५२ से ५६ तक ५८०० टन से १०,००० टन तक पहुंच गयी। इन दोनों तरह के कंडक्टरों को १९४८ से संरक्षण दिया जा रहा है। परन्तु ए० ए० सी० वाले कंडक्टरों को संरक्षण नहीं था। और इसे भी अब संरक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है । जिस तार से यह बनाये जाते हैं उस पर आयात शुल्क नहीं लिया जाता। परन्तु इस बात का मूल्य कई बार बहुत बढ़ जाता है। मूल्य वृद्धि की इस कठिनाई के कारण इसे १९६० तक मूल्यानुसार ३५ प्रतिशत संरक्षण दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस विधेयक में प्रशुल्क आयोग की इस सिफारिश को सम्मिलित कर लिया गया है ।

अब मैं साइकल उद्योग की ओर आता हूं। सदन में इस उद्योग के बारे में बहुत ही रुचि प्रदर्शित की जाती रही है । यह देश का बहुत महत्वपूर्ण हलका सा इंजिनीयरिंग उद्योग है। इसलिये इस मामले में थोड़ा सा विस्तार से बताने की आशा सदन से चाहूंगा। आजकल बड़े पैमाने पर २४ लाइसैन्स प्राप्त कारखाने चल रहे हैं। १७ इकाइयों में नियमित उत्पादन हो रहा है। १९५७ में साइकलों का कुल उत्पादन बड़े पेमाने वाले क्षेत्र में ८ लाख इकाइयों तक चला गया है। और छोटे पैमाने पर इसका उत्पादन ४०,००० है। १९५२ में कुल मिला कर २ लाख साइकलों का उत्पादन हुआ था। इसलिये गत पांच वर्षों में उत्पादन चार गुणा बढ़ा है। यह विकास बड़ा सन्तोषजनक है ।

१९४८ में, देश में केवल दो कारखानें ५५००० साइकल तैयार करते थे और वे सब आयात हुए पुर्जों के होते थे। स्वतन्त्रता के दस वर्ष बाद के समय में हमारे साइकलों के निर्माण में ५५००० से ८ लाख साइकलों तक की वृद्धि हो गई है। केवल ५–८–० अथवा ७–८–० प्रति साइकल के पुर्जों को छोड़ कर उसमें बाकी सब कुछ स्वदेशी है। उपरोक्त काल में हमें इस बड़ी कमी को दूर करने के लिये आयात भी करने पड़ते थे। परन्तु आज इस मामले में पूर्णआत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली गयी है और अब साइकलों के आयात की अनुमति नहीं दी जाती । सदन को पता ही है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५५–६५ में साइकल उद्योग के सम्बन्ध में जो उत्पादन लक्ष्य रखा गया था, उसे पूर्ण रूप से पूरा कर लिया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९६०–६१ तक साइकल उत्पादन का लक्ष्य १२·५ लाख साइकलें हैं। परन्तु हालात को देखते हुए इसे बढ़ा दिया गया और अब इसे १९६०–६१ तक २० लाख साइकल वार्षिक कर दिया गया है। १२·५ लाख साइकलों का लक्ष्य पुराना हो गया है।

[श्री मनुभाई शाह]

प्रशुल्क आयोग ने जो हाल ही में इस उद्योग की जांच की है, इस मांग का पुनरीक्षण किया है और १९६०-६१ तक १४ लाख साइकलों के बनाये जाने की सिफारिश की है। परन्तु सरकार और मंत्रालय ने विचार कर इसे २० लाख साइकल बनाने का लक्ष्य रखने की सोची है।

इन २० लाख साइकलों के उत्पादन में से ५ लाख का साइकल उत्पादन छोटे पैमाने के उद्योग क्षेत्रों में से होगा। और इसे सुरक्षित रखा जायेगा, ताकि इस पर अधिक जोर दिया जाय, और आगे से प्रयत्न किया जाये कि साइकल और इसके सभी पुर्जे छोटे उद्योग क्षेत्रों में ही तैयार किये जायें। अब नीति भी यही रहेगी कि बड़े पैमाने पर लोग पुर्जे इत्यादि बनायें और छोटे पैमाने के उद्योग केवल उन्हें जोड़ने का काम करें। साथ ही पूरे साइकलों के उत्पादन की वृद्धि के कारण, इस बात का पूरा प्रयत्न किया जायेगा कि साइकल के सभी पुर्जे यहां ही बनाये जायें। कुछ वर्ष पूर्व जो साइकल यहां बनते थे उसमें बहुत से पुर्जे विदेशी होते थे। परन्तु आज महत्व की बात यह है कि अधिक संख्या में पुर्जे यहां के बने हुये हैं। इस वर्ष में भारतीय साइकलों में ५-८-० से लेकर ७-८-० तक से अधिक विदेशी पुर्जे आपको नहीं मिलेंगे। लगभग ९५ प्रतिशत स्वदेशी पुर्जे हैं। और नये पुर्जे डलवाने की मांग भी इस उद्योग के कारखानें पूरा करते हैं। इन साइकल पुर्जों के निर्माण के लिये नयी नयी योजनायें बन रही हैं। और वह दिन दूर नहीं जबकि इसमें भी देश आत्मनिर्भर हो जायेगा। बड़े पैमाने के इस कारखाने में केवल साइकलों के पुर्जे ही बना रहे हैं। इसी काम में लगी छोटे पैमाने के कारखाने लगभग १०० से ऊपर हैं। अनुमान है कि १९५७ में उत्पादित साइकलों की कीमत २·७ करोड़ होगी। १९५२ में कीमत केवल ७७ लाख थी। सचमुच यह विकास बड़ा सन्तोषजनक हुआ है।

साइकल उद्योग को १९४७ में सबसे पहले संरक्षण दिया गया था और इस संरक्षण का समय समय पर पुनरीक्षण होता रहा। प्रशुल्क आयोग का अनुमान है, कि स्वदेशी साइकलों को जापान और इंग्लैंड के मुकावले से बचाने के लिये ४५ से ८८ प्रतिशत तक शुल्क का संरक्षण मिलना चाहिये। आयोग ने सिफारिश की है कि यह संरक्षण वर्तमान दरों पर ३१ दिसम्बर, १९६० तक रहना चाहिये। अर्थात् ६५ प्रतिशत अथवा मूल्यानुसार ८० रुपये प्रति साइकल अथवा जो भी अधिक हो। यह तो इंग्लैंड में बने साइकलों पर होगा। और जो इंग्लैंड में बने हुये नहीं, उस पर मूल्यानुसार १० प्रतिशत शुल्क में, इंग्लैंड में साइकल निर्माण के शुल्क को मिला कर लगेगा। सब बातों को दृष्टि में रख कर यदि हम अपने साइकलों का मुकाबला संसार के अन्य देशों में बने साइकलों से करें तो अन्तर केवल १५ से २० रुपये तक ही है। हालांकि अन्य देशों में उत्पादन की मात्रा बहुत ही अधिक है। हमें भी आशा है कि इस संरक्षण की अवधि समाप्त होने तक, कीमतों का भी हम अच्छा मुकाबला कर सकेंगे। सरकार ने प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और इस विधेयक का उद्देश्य इस निर्णय को कार्यान्वित करने का ही है।

अब मैं डीजल का तेल देने वाले सामान सम्बन्धी उद्योग का उल्लेख करूंगा। इसकी प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि १९५४ में इसके लगभग ४००० पम्प थे, परन्तु १९५७ में २०,००० हो गये। नोजल होल्डर १९५४ में हम कुल ३८०० ही बना सके थे, परन्तु १९५७ में इसकी संख्या ४१,००० है। १९५४ में जिन चीजों का नाम सुनने में नहीं आता था उसको काफी संख्या में बनाया गया है। इसलिये यह इस उद्योग की शानदार प्रगति कही जा सकती है।

इस उद्योग को १९५४ में संरक्षण दिया गया था और वह अब तक जारी है। आयोग का अनुमान है कि इसे विदेशी मुकाबले से संरक्षण देने के लिये मूल्यानुसार ६५ प्रतिशत की आवश्यकता है। आयात की रोक के कारण, इस उद्योग को काफी लाभ है। आयोग की सिफारिश है कि वर्तमान संरक्षण ३१ दिसम्बर, १९५९ तक कायम रखा जाना चाहिये।

प्लाईवुड और चाय के बक्से बनाने के उद्योग को भी १९४७ में संरक्षण दिया गया और समय समय पर इसका विस्तार किया जाता रहा। इन चीजों की वार्षिक शक्ति १९५३ में १४५० लाख वर्ग फुट थी जो कि बढ़ कर आज २१८० लाख वर्ग फुट हो गयी है। प्रशुल्क आयोग के अनुमान के अनुसार मूल्यानुसार इसका संरक्षण ३१·३६ प्रतिशत शुल्क का होना चाहिये, ताकि इसे विदेशी मुकाबले से बचाया जाय। यह स्वदेशी चीज़ों में काफ़ी सुधार हुआ है, और यह अनिवार्य निरीक्षण को लाग करने का परिणाम है। आज स्वदेशी प्लाईवुड विदेशी के मुकाबले में किसी तरह भी कम नहीं है। बल्कि अब तो इन चीज़ों के निर्यात की भी गुंजायश हो रही है। इस उद्योग के कई कारखाने इस उद्योग के संयन्त्रों को आधुनिक स्तर पर लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिये इस उद्देश्य के लिये समय समय पर संरक्षण दिय जाना चाहिये। प्रशुल्क आयोग ने इस संरक्षण को ३१ दिसम्बर, १९६० तक वर्तमान दरों पर कायम रखने की सिफारिश की है।

अब मैं इस विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण बात की ओर आता हूं सूती कपड़ा मशीनरी उद्योग। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व इस उद्योग का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इसके निर्माण का कोई संगठित प्रयत्न नहीं किया गया था। कपड़ा उद्योग इस देश का महत्वपूर्ण उद्योग है, इस कारण इस उद्योग के विकास की ओर सरकार और उद्योगपतियों का ध्यान आकृष्ट हुआ। आयात पर रोक के कारण और प्रशुल्क के संरक्षण से इस उद्योग ने अपने पांव जमा लिये हैं। इसमें रिंगफ्रेम, लूम, रोलर, स्पिनिंग रिंग्ज़ और स्पिडल हैं। रिंगफ्रेम का उत्पादन १९४८ में केवल २१९ था अब यह २०५७ हो गया है। १९४८ में इस उद्योग का उत्पादन ·८ करोड़ रुपये का था, और अब १९५७ में यह बढ़ कर ३·५ करोड़ का हो गया है। बाजार क कीमतों के मुकाबले में भी स्वदेशी रिंगफ्रेमों की कीमत २·४ प्रतिशत ही ऊंची है। स्वदेशी फ्रेम में ४०० स्पिडल होते हैं और जापानी में ४४०। इसलिये प्रशुल्क आयोग ने सिफारिश की है कि तीन वर्ष और इसका संरक्षण जारी रहना चाहिये। मूल्यानुसार यह वर्तमान संरक्षण शुल्क का १० प्रतिशत होना चाहिये। हमारी चीजों की कोटि में वृद्धि हो रही है और आज स्वदेशी माल आयात हुये माल से किसी प्रकार भी कम नहीं। लूमों के निर्माण में भी १९४९ से काफी प्रगति हुई है। १९४९ में निर्माण किये गये लूमों की संख्या १५४१ थी। अब यह संख्या २७३० हो गयी है। १९५७ में इसकी कीमत ·५ करोड़ रुपये थी। इस सम्बन्ध में विदेशी माल के मुकाबले के अन्तर का ठीक अन्दाजा आयोग नहीं लगा सका। आज प्रवृत्ति यह है कि स्वतः चलने वाले लूम लगाये जायें। निकट भविष्य में साधे लूमों के आयात का कोई अनुमान दिखाई नहीं देता। इसलिये इसमें तो मुकाबले का कोई प्रश्न ही नहीं। इसलिये इसका संरक्षण तो प्रथम जनवरी १९५२ को समाप्त हो जायेगा, और इसका निर्णय सरकार ने कर दिया है।

स्वतः चलने वाले लूमों के बारे में प्रशुल्क आयोग का अनुमान है कि मूल्यानुसार २५·६ प्रतिशत शुल्क का संरक्षण अपेक्षित है। ताकि स्वदेशी चीजों को बचाया जा सके। वर्तमान अवस्था में शुल्क १० प्रतिशत है। स्वदेशी उद्योग को आयात के प्रतिबन्ध के कारण भी लाभ है। प्रशुल्क आयोग ने इसके संरक्षण को भी तीन वर्ष और चालू रखने की सिफारिश की है और यह ३१ दिसम्बर, १९६० तक चालू रहेगी। यह संरक्षण वर्तमान प्रशुल्क दर का १० प्रतिशत होगा।

[श्री मनुभाई शाह]

रोलरों, स्पिनिंग रिंगों और स्पिंडलों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। यह रोलर १९५१ में ८६,००० थे और १९५६ में इनकी संख्या ३·५ लाख हो गये। स्पिनिंग रिंग १९५१ में २·७३ लाख थे जोकि १९५६ में १२·६ लाख हो गये। स्पिंडल १९५१ में ३·९ लाख थे परन्तु आज उनकी संख्या ११ लाख हो गयी है। इसके लिये भी वर्तमान शुल्क दर के १० प्रतिशत का संरक्षण तीन वर्ष तक जारी रखा जाय।

सदन विभिन्न प्रकार की कपड़ा मशीनरी के उत्पादन की प्रगति भी जानना चाहेगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको संरक्षण नहीं दिया जा रहा। १९४८ में इस प्रकार की कपड़ा मशीनरी के उत्पादन की कुल कीमत ४० लाख थी। १९५२ में यह १·२ करोड़ हो गयी। और अब इस चालू वर्ष में यह उत्पादन ९ करोड़ रुपये वार्षिक का हो गया है। गत दस वर्षों में यह २२ गुणा बढ़ी है। यह बड़ी ही शानदार प्रगति है। यह प्रसन्नता की बात है कि स्थानीय निर्माता लोग अब इस मामले में देश की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। कई मामलों में कोटि और मूल्य में स्वदेशी चीजें विदेशी चीजों के मुकाबले में बहुत ही अच्छी हैं। इसलिये इन कई चीज़ों को संरक्षण की आवश्यकता नहीं, और यह बड़ी गौरवपूर्ण सफलता है।

इस उद्योग की सहायता करने और सरकार को परामर्श देने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिये एक समिति की स्थापना की गयी है। इस समिति ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल की कपड़ा मशीनरी की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है। वह विचार के योग्य है। कार्डिंग इंजिन ४०५०, रिंगफ्रेम २८००, साधे लूम ६१०० स्वतः चलने वाले लूम ८५००, कोम्बर सैट १०, और ब्लोरूम लाइन्ज़ १२५ देश की कुल कपड़ा मशीनरी की मांग योजना काल के अन्त तक १८ से २० रुपये वार्षिक तक की होगी। इन उपरोक्त आवश्यकताओं के आधार पर समिति ने निर्माताओं को अपने विस्तार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिये कहा। और समिति ने कई निर्माताओं के कार्यक्रमों को स्वीकार किया है। और यह आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक हम इस मामले में भी आत्मनिर्भर हो जायेंगे।

इस उद्योग को सभी प्रकार की कच्चे माल की सहायता दी जा रही है। यह भी एक विचार समिति के समक्ष है कि एक निरीक्षक मंडल बना कर स्वदेशी उत्पादन की कोटि का पूरा अध्ययन किया जाय। यद्यपि वर्तमान कोटि सन्तोषजनक है, परन्तु फिर भी हम इस मामले में ढीले नहीं पड़ना चाहते। इस सम्बन्ध में एक उपसमिति कपड़ा आयुक्त के सभापतित्व में बना दी गयी है जो कि इस उत्पादन सम्बन्धी कोटि की जांच करेगा। इस प्रकार सदन को यह प्रसन्नता होगी कि मशीनरी उत्पादन के क्षेत्र में इस उद्योग के प्रत्येक अंग ने महत्वपूर्ण प्रगति की है।

समाप्त करने से पूर्व मैं सदन का ध्यान विधेयक के खंड २ की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं, इसके अनुसार भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में एक और उपबन्ध लगाया गया है, ताकि अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा बनाये गये नियमों को सदन के समक्ष रखा जा सके। आपको याद होगा कि पहले प्रशुल्क संशोधन विधेयक की चर्चा के समय, १४ नवम्बर, १९५७ को मैंने ऐसा करने को कहा था। इस विधेयक की प्रस्थापना उसी बायदे के सम्बन्ध में है। और समय मैं लेना नहीं चाहता। मैं पुरःस्थापित करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वें० प० नायर: मेरा प्रस्ताव है कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये। इस संबंध में मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं। इन सभी मामलों पर विस्तार पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। प्रत्येक उद्योग हमारे देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इसलिये इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के लिये केवल एक आध घण्टे का समय पर्याप्त नहीं है। इसलिये यह आवश्यक है कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये ताकि वह इस पर विस्तार पूर्वक विचार कर सके।

उद्योगों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने बतया है कि प्रत्येक उद्योग पर्याप्त उन्नति कर रहा है। परन्तु हमें केवल आंकड़ों से ही सन्तुष्ट हो कर बैठ नहीं जाना चाहिये; उनकी वास्तविक प्रगति की जांच करनी चाहिये।

उदाहरणर्थ टिटेनियम डायाआक्साइड ही ले लीजिये। यह डायाआक्साइड इलेमिनाइट रेत से बनता है जो कि केवल मात्र केरल में ही मिलती है। वह रेत अमरीका तथा इंगलैंड को जाती है और फिर वहां से टिटेनियम डायाआक्साइड तैयार हो कर आता है जो कि लगभग १२१ रुपये की दर से विकता है, जब कि केरल राज्य में ही त्रिवेन्द्रम में स्थित एक कारखाने में तैयार किया हुआ टिटेनियम डायाआक्साइड १३५–१४० रुपये के हिसाब से बिक रहा है।

मैं पूछना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है? डायाआक्साइड के लिये अपेक्षित सारा कच्चा माल यहां पर विद्यमान है और बहुत सस्ता है और मजदूरी भी बहुत सस्ती है, तो फिर उस से बना हुआ सामान इतना महंगा क्यों है? इसका तो यही कारण प्रतीत होता है कि उसके निर्माण की प्रक्रिया में कोई आधार भूत गलती है, जिसकी ओर प्रशुल्क आयोग ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहा।

मैं चाहता तो यही हूं कि उद्योगों का संरक्षण अवश्य किया जाये। परन्तु उनके बारे में विस्तार पूर्वक जांच किये बिना ही और उनकी त्रुटियों के बारे में अनुसंधान किये बिना ही उन्हें संरक्षण प्रदान करना उचित नहीं है। हमें इन उद्योगों के बारे में कुछ भी पता नहीं। प्रशुल्क आयोग ने इस उद्योग की जो जांच की है वह वास्तव में वस्तुगत नहीं है। मेरा तो यही निवेदन है कि इस उद्योग के बारे में 'ऐतिहासिक' दृष्टि से जांच की जाये।

१९५३ के अन्त में तृतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९५३ के द्वारा टिटेनियम डायाआक्साइड पर प्रशुल्क लगा दिया गया था ताकि यदि कोई व्यक्ति अमरीका या इंगलैंड से इसे मंगाना भी चाहे तो वह माल १९५४ के मध्य से पहले यहां न पहुंच सके। और इधर १९५४ के मध्य में ही मैसर्ज टी० टी० कृष्णमाचारी एण्ड को० को ही सारे भारत के लिये मूल अभिकर्त्ता बना दिया गया। दूसरे ही वर्ष १९५५ में डायाआक्साइड की कीमतें १३० रुपये से बढ़ कर २२४ रुपये हो गयीं। उस कम्पनी को फिर १५ लाख रुपये का ऋण भी दे दिया गया।

मैं पूछना चाहता हूं कि प्रशुल्क आयोग ने इस सभी टनाओं के कारणों पर प्रकाश क्यों नहीं डाला? मैं पूछना चाहता हूं कि डायाआक्साइड की चीफ़ एजन्सी केवल उसी कम्पनी को क्यों दी गयी थी। हम कैसे जानें कि कोई विशेष कम्पनी इस कार्य के योग्य है या नहीं।

प्रशुल्क आयोग ने उस कम्पनी के खातों की जांच क्यों नहीं की, उसने उस कम्पनी के अभिलेख क्यों नहीं देखे, उसने उससे इस बात की जवाब तल्बी क्यों नहीं की, कि मूल्य इतने

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वें० प० नायर]

अधिक क्यों बढ़ गये थे ? अतः यदि हम ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी जांच करें तो हमें कुछ सन्देह होता है । मैं समझता हूं कि इतने महत्वपूर्ण उद्योग को सरकारी संरक्षण प्रदान करना उचित नहीं है ।

मेरा यह सविनय निवेदन है कि इस प्रकार की गड़बड़ और गोलमाल को रोका जाये और इस सम्पूर्ण मामले की एक सार्वजनिक जांच करायी जाये । इस समाचार को शीघ्रातिशीघ्र रोक दिया जाये ताकि केवल एक ही कम्पनी इस पर एकाधिकार न जमा ले । इस बात की भी जांच की जाये कि प्रशुल्क आयोग ने एक ऐसी कम्पनी को ही सोल एजन्ट बनाने की शिफ़ारिश क्यों की है जिसमें बड़े बड़े पदाधिकारी तथा मंत्रिगण सम्मिलित हैं ।

अनयस्य धातु उद्योग के सम्बन्ध में माननीय मंत्री का यह कहना है, कि यह उद्योग अच्छी प्रकार से चल रहा है । परन्तु वास्तव में उसका काम अच्छी प्रकार से नहीं चल रहा है । प्रशुल्क आयोग ने भी इसी बाहरी बात की ओर संकेत किया है । तांबे के सम्बन्ध में जो करार किये हुये हैं वे वास्तव में अलाभकारी सिद्ध हो रहे हैं ।

इसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण धातु जस्त ही ले लीजिये । इस की स्थिति भी बड़ी गंभीर है । यह जवार नामक स्थान से तो खोदा जाता है और ले जाया जाता है बिहार के टुंडला नामक स्थान पर । और फिर वहां से उत्पादन के लिये जापान भेजा जाता है । वहां से तैयार हो कर फिर वापिस इस देश में आता है । ऐसी स्थिति में भी यह कहा जा रहा है कि इसे संरक्षण प्रदान किया जाय । अनयस्य उद्योग कोई साधारण सा उद्योग नहीं है ; इस उद्योग से तो लाखों लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं । इंजीनियरिंग उद्योगों तथा विद्युत उद्योगों के सम्बन्ध में भी इस उद्योग का महत्व कम नहीं है, परन्तु प्रशुल्क आयोग ने यह स्पष्टतया स्वीकार किया है कि वह इस उद्योग के विभिन्न केन्द्रों की वास्तविक लागत की जांच नहीं कर सका है; तो फिर लागत जाने बिना इसे संरक्षण कैसे दिया जा सकता है ?

किसी भी उद्योग के सम्बन्ध में कीमतों तथा लाभ आदि का ज्ञान प्राप्त किये बिना उसे संरक्षण नहीं दिया जा सकता । प्रशुल्क आयोग के किसी भी प्रतिवेदन में इन केन्द्रों द्वारा प्राप्त किये जा रहे लाभों का कहीं भी उल्लेख नहीं है । प्रशुल्क आयोगों द्वारा की जाने वाली जांच तो केवल एक उपचार मात्र रह गयी है । आयोग वास्तविक जांच बिल्कुल नहीं करता । वह तो कही हुई बातों को ज्यों का त्यों मान लेता है ।

हमें किसी भी उद्योग को संरक्षण देने से पहले इस बात पर अच्छी प्रकार से विचार कर लेना चाहिये कि उस पर किसी सार्थ का एकाधिकार तो नहीं है । जहां तक पिस्टनरिंग उद्योग का सम्बन्ध है उस पर दो सार्थों ने एकाधिकार जमा रखा है । उस के लिये शत प्रति शत कच्चा माल आयात करना पड़ता है । इस उद्योग को हम संरक्षण दे रहे हैं । ठीक है मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं, परन्तु प्रश्न यह है कि प्रशुल्क आयोग ने इसके लिये क्या उपाय सुझाया है । इस उद्योग की होड़ से रक्षा करने के लिये आप इसे संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं परन्तु भारतीय उपभोक्ता इंगलैंड तथा अन्य देशों से आयात पिस्टन को भारतीय पिस्टनों से अच्छा समझते हैं । परन्तु भारत सरकार ने उस पर अत्याधिक प्रशुल्क लगा दिया है जिस के परिणाम स्वरूप भारतीय पिस्टन बहुत मंहगे हो गये हैं ।

अनयस्क धातु उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क-आयोग का यह कहना है कि उस के पास कीमतों का कोई हिसाब नहीं है, परन्तु जब तक हमें यह न ज्ञात हो कि किसी उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं

की कीमत क्या है और उन से कितना लाभ प्राप्त किया जा रहा है, तब तक उस विशेष उद्योग को संरक्षण कैसे दिया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि हमें यह बताया जाय कि इन उद्योगों को यह संरक्षण किस आधार पर दिया जाय ।

माननीय मंत्री ने साईकल उद्योग का उल्लेख करते हुये यह कहा है कि देश में ८ लाख से भी अधिक साईकलों का निर्माण हो चुका है जिससे इनका आयात बिल्कुल ही समाप्त हो गया है। २२ नवम्बर, को श्री झूलन सिंह द्वारा पूछे गये एक प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न में जब मैंने रैले तथा हरकुलीज़ साईकलों के निर्यात के बारे में प्रश्न पूछा था तो मंत्री जी ने यह उत्तर दिया था कि उनके निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है परन्तु हम देखते हैं कि प्रशुल्क आयोग ने अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ ५७ पर यह स्पष्टतया लिखा है कि रैले, हरकुलीज़ तथा बी० एस० ए० की साईकलों के निर्यात पर प्रतिबन्ध है। आयोग ने यह आशा भी प्रकट की है कि इन करारों को अवसर मिलने पर बदल दिया जाना चाहिये। इस देश में बनाई जाने वाली सभी की सभी साईकलें यहीं पर तो इस्तेमाल हो नहीं सकतीं, उन्हें दूसरे देशों में भेजना ही पड़ेगा। केवल पाकिस्तान अफगानिस्तान तथा नैपाल में भी अधिक बिक्री नहीं हो सकती। इसलिये मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि वे इस उद्योग को संरक्षण देने से पहले साइकलों के सम्बन्ध में किये गये करारों के उपबन्धों में समुचित परिवर्तन करें।

यह बड़े हर्ष की बात है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में फलों के विकास के लिये ३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, परन्तु मेरा प्रश्न है कि आन्ध्र में व्यर्थ में ही नष्ट हो जाने वाले लाखों टन आमों के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से केरल में ४० हजार मन काजू सेवों के उपयोग के सम्बन्ध में क्या सुझाव दिये गये हैं ?

योजना आयोग ने निर्यात के लिये लगभग २० हजार टन फल-उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है उस में हम केवल मुश्किल से केवल एक दो हजार टन ही भेज सके हैं। फल संरक्षण उद्योग कोई बड़ा उद्योग तो है नहीं, वह कहीं तो मध्यस्तर का उद्योग है कहीं छोटे स्तर का। क्या ऐसे उद्योग को सहायता देना हर सरकार का कर्तव्य नहीं। आज हमारे देश के फल व्यर्थ में ही नष्ट हो रहे हैं, परन्तु सरकार इस उद्योग के लिये उचित विकास के सम्बन्ध में कोई भी योजना नहीं बना रही, मेरा निवेदन है कि सरकार इस उद्योग के सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण में एक परिवर्तन लाये और इस की ओर उचित ध्यान दे। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि मंत्री महोदय मेरे इस प्रस्ताव पर विचार करें और इसे प्रवर समिति को सौंप दें।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव तथा विधेयक पर विचार करने का मूल प्रस्ताव दोनों सभा के सम्मुख हैं।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** (चन्दौली) : लगभग प्रत्येक सत्र में अथवा एक वर्ष में कम से कम एक बार तो अवश्य ही हमें प्रशुल्क की स्थिति पर पुनर्विचार करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि अब वह अवसर आ गया है जब कि हमें इसके सम्पूर्ण प्रश्न पर निश्चित रूप से विचार करना चाहिये ।

जिस समय प्रशुल्क बोर्ड की स्थापना की गई थी उस समय की परिस्थितियां भिन्न थीं। उस समय युद्ध तथा युद्धोत्तर परिस्थितियों के कारण कुछ उद्योगों को विशेष प्रकार का संरक्षण दान किया गया था। क्योंकि विदेशों से सामान मंगाने से कई प्रकार की कठिनाईयां थीं, इसलिये उन उद्यागों को संरक्षण देना ही पड़ा। आज कल इन उद्योगों के सम्बन्ध में एक और नई

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्रि० ना० सिंह]

स्थिति उत्पन्न हो रही है और वह यह कि विदेशी निर्माता अपने सार्थ भारत में प्रारम्भ कर रहे हैं, इस का कारण यही है कि वे जानते हैं कि आज कल सभी देश वस्तुओं पर अधिक से अधिक प्रशुल्क लगाते जायेंगे और उद्योगों को संरक्षण देते जायेंगे ।

युद्ध काल में और उसके बाद भी हमारे अत्याधिक उद्योगपतियों की यही वृत्ति रही है कि वे अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। प्रशुल्क बोर्ड अथवा प्रशुल्क आयोग भी इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं देता। प्रशुल्क बोर्ड अथवा प्रशुल्क आयोग उत्पादों की कीमत निकालते समय इस बात की ओर जरा भी ध्यान नहीं देता कि उद्योग पतियों को कई विशेष सुविधायें प्राप्त हैं । हमें उन उद्योगों को प्रशुल्क संरक्षण देते समय उपभोक्ताओं के दावों पर विचार करना चाहिये ।

मैंने आयात नीति का भी उल्लेख किया था । आज हम मशीन के पुर्जों को संरक्षण दे रहे हैं, परन्तु हम इस प्रकार की आयात मशीनें देश की किसी भी मार्किट में से प्राप्त कर सकते हैं । यह कोई संरक्षण तो न हुआ । यदि संरक्षण देना ही है तो वह संरक्षण प्रयाप्त होना चाहिये और इन वस्तुओं को खुले रूप में आयात करने की हर किसी को अनुमति नहीं होनी चाहिये। किसी भी उद्योग के सम्बन्ध में जब हम आयकर तथा शुल्क आदि में रियायत दे रहे हैं तो हमें इस बात के लिये पूर्ण सावधान रहना चाहिये कि वह वस्तु विदेशों से स्वतन्त्रतापूर्वक न मंगाई जा सके। हम अपनी ओर से तो किसी उद्योग को संरक्षण दे देते हैं परन्तु होता यह है कि वह सामान विदेशों से अत्याधिक मात्रा तथा सस्ते भाव पर आता रहता है जिसके अनुसार इस देश में उस उद्योग को दिये संरक्षणता का कोई महत्व नहीं रह जाता । इसलिये हम जब तक इन सभी बातों को ध्यान में नहीं रखते तब तक हम किसी निश्चित फैसले तक नहीं पहुंच सकते ।

किसी भी उद्योग को संरक्षण देते समय यह आवश्यक है कि उस की कीमतों के सम्बन्ध में हमें अवगत कराया जाय, परन्तु खेद है कि हमें उन के समबन्ध में पूर्णरूपेण अन्धकार में रखा गया है। उद्योगों की कीमतों को यदि गुप्त रखना है तो वह बात लोक-लेखा समिति को तो बताई जा सकती है । लोक लेखा समिति इन लेखों पर अच्छी तरह से विचार करेगी और इन्हें गुप्त भी रखेगी। उद्योगों के लेखों की जांच किये बिना हम उस की स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकते । इसलिये यह आवश्यक है कि लोक लेखा समिति अथवा सभा के कुछ अन्य सदस्यों को उनके लेखों की जांच करने की अनुमति दी जाय । इस सम्बन्ध में मेरा भी यह सुझाव है । मैं प्रशुल्क बोर्ड के निर्णयों में संदेह तो नहीं करता किन्तु मैं यह अवश्य चहाता हूं कि इस सभा के सदस्यों को भी यह अवसर प्रदान किया जाय कि वे वास्तविक तथ्यों की जांच कर सकें ।

फिर मैं सरकार का ध्यान एक और महत्वपूर्ण बात की ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं और वह है संरक्षण प्राप्त उद्योगों द्वारा बांटे जाने वाले लाभांश । ये सार्थ पिछले पांच छः वर्षों से निरन्तर अपने लाभ तथा लाभांश घोषित करते आये हैं । मेरा यह निवेदन है कि भविष्य में किसी भी उद्योग को संरक्षण प्रदान करने से पहले उसके लाभांशों की जांच अवश्य की जाये । यदि कोई सार्थ लाभांश सम्बन्धी अपना हिसाब नहीं बताता और नही अपना सन्तुलन पत्र बताता है तो वास्तव में वह संरक्षण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

जहां तक रिंग फ्रेम उद्योग का सम्बन्ध है मैं उसे संरक्षण देने के पक्ष में नहीं हूं । मैं तो यही अनुभव करता हूं कि यह उद्योग संरक्षण प्राप्त करने का अधिकारी है। यदि इसका काम समुचित ढंग से चलाया जाये तो मैं नहीं समझता कि उसे और अधिक समय तक संरक्षण की कोई आवश्यकता होगी ।

जहां तक साइकिल उद्योग का सम्बन्ध है, बड़े हर्ष की बात है कि इस उद्योग ने पर्याप्त प्रगति कर ली है। परन्तु मैं माननीय मंत्री के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि वास्तविक उद्देश्य यह है कि इसे छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के रूप में विकसित किया जाये। परन्तु वास्तव में इसका विकास बड़े बड़े केन्द्रों के रूप में ही हुआ है। झूठी आशायें करना अपने आपको धोखा देने के बराबर है। इसलिये हमें झूठी आशा नहीं करनी चाहिये। अन्त में मेरा फिर से यही निवेदन है कि उपरोक्त कुछ एक वस्तुओं के सम्बन्ध में फिर से अच्छी प्रकार से विचार किया जाये।

†**श्री विमल घोष** (बैरकपुर) : वैसे तो मैं इस विधेयक के विरुद्ध नहीं हूं, परन्तु फिर भी मैं प्रशुल्क आयोग की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालना आवश्यक समझता हूं। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि आज प्रशुल्क आयोग के काम की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। आज तो संरक्षण प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक उद्योग को संरक्षण दिया जा रहा है। होता यह है कि जब भी कोई उद्योग प्रारम्भ होता है, उसी समय उस सार्थ के स्वामी विकास विभाग पर इस बात का जोर देने लगते हैं कि अब इसका विदेशों से आयात बन्द कर दिया जाये। सरकार उसका निवेदन स्वीकार कर लेती है और उसे संरक्षण दे देती है।

मैं विधेयक के विरुद्ध तो नहीं हूं किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति में प्रशुल्क आयोग का क्या कार्य है ? मुझे तो इसका काम बेकार दिखाई देता है। आजकल जब कोई उद्योग चालू होता है तो वह विकास विंग से यह कहता है कि क्योंकि हम अमुक वस्तु का देश में निर्माण कर रहे हैं इसलिये इसका आयात बन्द कर दिया जाये। आजकल कोई भी उद्योग प्रशुल्क आयोग के पास संरक्षण मांगने नहीं जाता। आजकल संरक्षण शुल्क का कार्य आयात प्रतिबन्धों द्वारा किया जाता है। ऐसी दशा में प्रशुल्क आयोग के पास क्या कार्य रह जाता है ?

तब हमारे सामने प्रश्न आता है कि प्रशुल्क आयोग जैसी अनुभवी संस्था को क्या काम सौंपा जाये ? इसको किसी अन्य प्रकार का कार्य दिया जा सकता है। प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदनों में कीमतों का जिक्र जरूर आता है मगर आज तक कभी उनमें यह नहीं बताया गया है कि क्या सचमुच उद्योग भी कीमतें कम करने का प्रयास कर रहे हैं अथवा नहीं। प्रशुल्क आयोग की एक "गवेषणा शाखा" है। सुना है उसने पिछले वर्षों में 'द्वितीय पंचवर्षीय योजना में संरक्षित उद्योगों का विकास', 'दिसम्बर, १९५६ के कर प्रस्ताव' आदि कई विषयों के बारे में अध्ययन किये हैं किन्तु हमें आज तक उनकी कोई रिपोर्ट देखने को नहीं मिली है।

माननीय मंत्री महोदय ने इस पुस्तिका में पहली बार 'विदेशी सहायकों' के बारे में कुछ बातें बताई हैं। इसके लिये उनका धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगा कि उनको पेश की जाने वाली इन शर्तों का कभी पुनरीक्षण भी होता है, यदि हां, तो कैसे ? उदाहरण के रूप में हिन्दुस्तान चिलंकिगटन को ४९ प्रतिशत पूंजी पर १० प्रतिशत लाभ दिये जाने की अनुमति है जब कि अखाड़ी कम्पनी को केवल १ ½ प्रतिशत। इस प्रकार इंडियन कॉपर कारपोरेशन को भी प्राविधिक जानकारी आदि के लिये बहुत अधिक लाभांश रखने की अनुमति दी गई है। कपड़ा उद्योग में जब कि सभी विदेशी सहायकों को २ १।२ प्रतिशत लाभांश रखने की अनुमति है टेक्समेको को ३ प्रतिशत की अनुमति है। मैं इन सब भेदों का कारण जानना चाहूंगा। अन्त में मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि सरकार ने ही चेस्ट उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के बारे में, जिसके लिये कि टेरिफ कमीशन भी सिफारिश कर चुका है, अब तक क्या किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : उत्पादन के लिये इसके आयात की अनुमति दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कासलीवाल :** श्री त्रि० ना० सिंह ने लागत लेखा के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है । प्रत्येक उद्योग के सम्बन्ध में लागत लेखा के बारे में सम्बन्धित अधिकारियों की रिपोर्ट गोपनीय रहती है । वह प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन में नहीं दी जाती है । ऐसी हालत में हम उसे कैसे जान सकते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : भारतीय प्रशुल्क अधिनियम की धारा २२ के अनुसार यह लागत प्रतिवेदन गोपनीय माने गये हैं । मगर यदि कोई सदस्य उसे देखना चाहे तो सरकार को प्रतिवेदन दिखाने में कोई आपत्ति नहीं होगी । परन्तु वह गोपनीय रहेगा और उन्हें प्रकाशित नहीं किया जा सकता ।

†**श्री कासलीवाल :** हमारे देश के उद्योगों ने जो प्रगति की है मुझे उसका हर्ष है । किन्तु फिर भी मैं माननीय मंत्री का ध्यान कुछ उद्योगों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । अहमदाबाद मिल मालिक संस्था ने सूती कपड़ा उद्योग के उत्पादन के बारे में कुछ आपत्तियां उठाई हैं । इस उद्योग को पिछले १० वर्षों से संरक्षण मिला हुआ है फिर भी इसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति उठाई जाये इस बात की जांच की जानी चाहिये ।

अब मैं बाइसिकिल उद्योग को लेता हूं । इनकी कीमतें अब भी बड़ी बढ़ी चढ़ी हैं । १९५४ में इस उद्योग को ७० प्रतिशत तक संरक्षण दिया गया था परन्तु तब भी इनकी इतनी ऊंची कीमतें हैं । योजना आयोग की १९५६ की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हमारे देश से ३०,००० साइकिलों का निर्यात हुआ है मगर इस रिपोर्ट में उसकी कोई चर्चा नहीं है । बल्कि एक प्रश्न के उत्तर में इस सभा में यह बताया गया था कि पांच वर्षों में केवल २० साइकिलों का निर्यात किया गया है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में १५०,००० साइकिलों के निर्यात का अनुमान लगाया गया है । मगर हमें कुछ पता नहीं कि अब तक कितनी साइकिलों का निर्यात हुआ है । मैं यह भी नहीं जानता कि साइकिलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये कोई निर्यात विस्तार परिषद् भी है या नहीं ? अगर नहीं है तो यह बनाई जानी चाहिये ।

प्लाई वुड तथा टी चेस्ट उद्योग के बारे में भी प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के उपरान्त भी कोई विशेष प्रगति नहीं हो रही है । सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक टेरिफ बिल का सवाल है, यह बात स्वागत करने योग्य है कि इससे लघु उद्योगों को संरक्षण मिलता है, परन्तु जो संरक्षण मिलता है वह यहां की जनता के खर्चे से मिलता है और हमें यह देखना होगा कि जिन उद्योगों को यह संरक्षण दिया जा रहा है उन उद्योगों के प्रोडक्शन में क्या ऐसी कोई प्रगति हो रही है जिससे इस देश का उत्थान हो रहा है। मैं शीट ग्लास इंडस्ट्री के सम्बन्ध में चर्चा करना चाहूंगा। जो रिपोर्ट दी गई है, उसमें कहा गया है कि शीट ग्लास बनाने वालों की चार यूनिटें हैं । इन चार यूनिटों में यह शीट ग्लास बन रहा है, और जुलाई से इस शीट ग्लास का आयात बिल्कुल बन्द हो गया है । लेकिन अभी तक १० औंस से ले कर १६ औंस तक का जो शीट ग्लास होता है, उसका जरा भी उत्पादन कहीं नहीं हो रहा है । इस तरह की जो शीट होती है, वह फीरोजाबाद का जो चूड़ी उद्योग है उसमें नगीना काट कर लगाने के काम में आती है । इसका आयात बन्द कर देने से, जब कि हिन्दुस्तान में इसका उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, लोगों को पता नहीं कितना नुकसान हो रहा है । फीरोजाबाद की चूड़ी उद्योग में ४० हजार मजदूर काम करते हैं । शीट ग्लास से जो नगीना बनता है, वह चूड़ी में लगाया जाता है, उसके बिना चूड़ी

---

†मूल अंग्रेजी में

बेकार सी रहती है क्योंकि उसमें वह खूबसूरती नहीं आती है जो कि शीट ग्लास के नगीने से आती है। इस तरह के शीट ग्लास के हिन्दुस्तान में न बनने से और बाहर से आयात बन्द कर देने से बहुत नुकसान होता है क्योंकि नगीना बन नहीं सकता है और नगीने के न बनने से हजारों मजदूर बेकार होते जा रहे हैं। यहां पर इस शीट ग्लास के बनाने की कोई कोशिश ही नहीं की जा रही है। जो रिपोर्ट दी गई, उसमें भी स्पष्ट है कि जो शीट ग्लास बन रहा है हिन्दुस्तान में वह सिर्फ १६ औंस से ले कर १८ औंस तक है, २४ औंस है और ३२ औंस है। १० औंस से ले कर १६ औंस तक का नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि जब हम इस तरह का शीट ग्लास हिन्दुस्तान में नहीं बना पा रहे हैं, तब इसका बाहर से आयात बन्द करके यहां के इस उद्योग को, जो कि बहुत मशहूर उद्योग है, क्यों बरबाद किया जा रहा है और हजारों मजदूरों को बेकार किया जा रहा है। और अगर इसका आयात बन्द भी कर दिया गया है, तो इस तरह का शीट बनाने के लिये हिन्दुस्तान में क्या कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि मुझे पता है कि फीरोजाबाद से शाही ग्लास वर्क्स को १० औंस से १६ औंस तक के शीट ग्लास को बनाने का आर्डर दिया गया, लेकिन छः महीने होने को आ रहे हैं और उन्होंने अब तक कोई शीट ग्लास बना कर नहीं भेजा है। मैं समझता हूं कि वह अभी इस तरह का जरा भी शीट ग्लास नहीं बना पाये हैं।

जब हम किसी उद्योग को संरक्षण देते हैं तो एक तो यह होता है कि जो पैसा इम्पोर्ट ड्यूटी का हमको मिल सकता है वह कम होता है। फिर जनता के खर्चे पर वह सब होता है। अगर इस प्रोटेक्शन से यहां के उद्योगों को नुकसान पहुंचता हो, उससे कोई फायदा न हो, तब इस बात का पता लगाना पड़ता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस सिलसिले में मुझे दूसरा निवेदन यह करना है कि जो भी इस तरह के उद्योग काम कर रहे हैं उन उद्योगों में विदेशी पूंजी किस कदर लगी हुई है। विदेशी पूंजी न सिर्फ इस प्रकार से लगी हुई है कि उसमें काम करने वाले लोग विशेषज्ञ हैं, **टेकनिकल नो हाऊ** (प्रविधिक जानकारी) है, बल्कि उस पर हम प्रतिशत भी उनको देते हैं। दूसरी तरफ से भी उनकी पूंजी लगती है। इस शाही ग्लास वर्क्स में मैं समझता हूं कि इस तरह से ४९ फी सदी मेम्बर बाहर के हैं। साथ ही हम देखते हैं कि ६९ लाख रुपया इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन की तरफ से उन्हें कर्ज दिया गया है। जब इतना रुपया कर्ज दिया गया, तब क्या यह मुमकिन नहीं था कि यहां के लोग ही इस चीज को बना सकते और जिसको **टेकनिकल नो हाऊ** हम कहते हैं, जिनको विशेषज्ञ कहा जाता है, उन लोगों को हम किसी और विशेष टर्म्स और कंडीशन्स पर यहां रख सकते। मैं चाहूंगा कि जब हम अपने उद्योगों का विकास करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो इस ओर भी ध्यान दिया जायेगा। यह लोग वेतन की शक्ल में भी रुपया लेंगे और प्रतिशत की शक्ल में भी लेंगे साथ ही मुनाफे की शक्ल में भी लेंगे। शीट ग्लास के सम्बन्ध में मुझे यही निवेदन करना है मंत्री महोदय से कि वे इस तरफ भी ध्यान दें और खास कर चूड़ी उद्योग को नगीने न बनने की वजह से जो नुकसान पहुंच रहा है उसकी तरफ ध्यान दें।

फ्रूट प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री के बारे में कहा गया कि हमने ३ करोड़ रुपया रक्खा है बागों को बनाने और उनमें फल उगाने के लिये। बड़ी अच्छी बात है अगर रक्खा है। इससे यहां की फ्रूट प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री का विकास हो। लेकिन क्या यह भी देखा जाता है कि इसके लिये जो रुपया रक्खा जाता है वह इसी काम में खर्च हो रहा है या नहीं ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो रुपया हमने बागों को बढ़ाने, पेड़ों को लगाने और फलों के पैदा करने के लिये रक्खा है वह रुपया किसी दूसरे काम में खर्च हो रहा है और कहा जा रहा है कि हम बाग लगा रहे हैं। इधर भी ध्यान देने की जरूरत है, चाहे केन्द्रीय सरकार का काम हो चाहे राज्य सरकार का। अगर

[श्री ब्रजराज सिंह]

यह राज्य सरकारों का काम हो तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय राज्य सरकारों का ध्यान इधर दिलायेंगे ।

इसके बाद मुझे साइकिल उद्योग के सम्बन्ध में कहना है । साइकिल उद्योग के सम्बन्ध में मिनिस्टर महोदय ने कहा कि बहुत अच्छी प्रगति हुई है । इस से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि बहुत अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन हमें यह सोचना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान जैसे देश में रहने वालों के लिये साइकिल के अलावा कोई दूसरी सवारी अच्छी नहीं हो सकती । सेक्रेटेरियट में रहने और काम करने वाले क्लार्क हैं, हमारे गांवों में रहने वाले मजदूर हैं, दूध लाने वाले और छोटे छोटे दूकानदार तथा व्यापारी हैं जो हजारों की संख्या में साइकिलों पर अपनी दूकानें लगा लिया करते हैं । यह सब लोग ऐसे हैं जो साइकिलों का प्रयोग करते हैं और यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यहां पर करोड़ों की तादाद में साइकिलें बनाये बिना हमारा काम पूरा नहीं होगा । लेकिन क्या इधर भी कभी ध्यान दिया जाता है ? हम साइकिल उद्योग को संरक्षण दे रहे हैं । इस को संरक्षण दे कर हम यह कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर अच्छी तरह साइकिल उद्योग का विकास हो । यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाहर की जो साइकिलें होती हैं, उस पर जो खर्च होता है उसको देखा जाये तो उसकी लेबर कास्टली होती है, यहां के लेबर से ज्यादा कास्टली होती है, लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि इसके बाद भी वह साइकिल हमें कम पैसे में मिल सकती है । तब हम ६० और ७० परसेंट इम्पोर्ट ड्यूटी लगा कर यहां के साइकिल उद्योग को संरक्षण दे रहे हैं । यहां पर लेबर की कास्ट कम होती है, लेकिन फिर भी साइकिल की कास्ट बहुत होती है । इसकी भी जांच करने की आवश्यकता है । हम लोग साइकिल पहले से बढ़ा रहे हैं, हमारे यहां काफी तादाद में साइकिलें बन रही हैं फिर भी कीमत कम नहीं हो रही है । आज साइकिल देश के अमीर लोगों में नहीं चलती है, यह गरीब लोगों के काम आती है । तब इससे उन्हीं लोगों को तकलीफ होती है जिनके लिये साइकिल को छोड़ कर कोई दूसरी सवारी नहीं है । इससे उनका कितना नुकसान होता है । जहां सरकार आज ८ लाख से बढ़ा कर २० लाख साइकिलों का लक्ष्य बना रही है, वहां उसे यह भी देखना चाहिये कि जो यूनिटें साइकिलें बना रही हैं, खास तौर पर जो कारखाने हैं उन का ध्यान दिलाना चाहिये, वह साइकिलों की कीमतें कम करने की कोशिश करे । यहां पर लेबर की कास्ट कम है, और सब चीजों की भी कास्ट कम है, तब साइकिल की कीमत बहुत ही कम होनी चाहिये । मिनिस्टर महोदय का ध्यान इस ओर अवश्य जाना चाहिये । साइकिलों के सम्बन्ध में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा । यह कहा गया कि छोटे उद्योगों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जायेगा । तब खाली पांच लाख साइकिलों के छोटे उद्योगों को देने से ही काम नहीं चलेगा । हमें तो इससे सम्बन्धित नीति में ही परिवर्तन करने की जरूरत है । हमें चाहिये कि हम छोटे उद्योगों द्वारा और साइकिलें बनवा सकें । पांच लाख की बात कही गई है । इसके बजाय पंद्रह लाख का लक्ष्य रखा जाना चाहिये । अगर पंद्रह लाख साइकिलें छोटे उद्योगों से बनवा सकेंगे और पांच लाख बड़े उद्योगों से बनवा सकेंगे तो मैं समझता हूं कि आप ज्यादा आगे बढ़ सकेंगे और ऐसा हो सकेगा क्योंकि छोटे उद्योगों द्वारा इतनी साइकिलें बनाई जा सकती हैं ।

इसी तरह और भी उद्योगों का सवाल है, लेकिन मैं उनमें नहीं जाना चाहता । मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि प्रोटेक्शन का जो उद्देश्य है वह ध्यान से ओझल नहीं किया जाना चाहिये । प्रोटेक्शन जनता के पैसे पर चलता है, खास तौर पर वह इंडस्ट्रीज और उद्योग जिन्हें अब तक संरक्षण मिलता आ रहा है । बार बार इनको संरक्षण मिलता है, इसका क्या नतीजा निकलता है ? हो सकता है कि वह अपने मुनाफे को बढ़ाने का ही विचार करते हों । जैसी यहां पर बार

बार चर्चा की गई, माननीय सदस्यों के द्वारा, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये । कांफिडेंशल रिपोर्ट की बात कही जाती है, वह हमें कभी देखने को नहीं मिलती। यह चीज नहीं होनी चाहिये । कास्ट ऐकाउन्टिंग देखने को नहीं मिलती वह मिलनी चाहिये। यह पता लगना चाहिये कि इतनी सहायता करने पर भी उनकी कीमतें कम क्यों नहीं हो रही हैं। और अगर कोई दिक्कत है टैरिफ ऐक्ट के मुताबिक, जैसे कि कांफिडेंशल रिपोर्ट का जिक्र हुआ, तो हमें उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करनी चाहिये और दिक्कत को हल करना चाहिये । और अब तो यह हक होना चाहिये कि हम देखें कि इस बात को कि कौन कितना खर्च करता है, उसकी कितनी कीमत आनी चाहिये और किस तरह से यह काम चलना चाहिये । मैं समझता हूं कि इन सब बातों पर ध्यान दिया जायेगा और कोशिश यह की जायेगी कि हम जो संरक्षण दे रहे हैं वह लघु उद्योगों को मिले, जिससे जनता का फायदा हो, और जो चीजें बनें वे जनता को कम कीमत में मिल सकें । ऐसा होगा तभी अच्छी तरह से विकास हो सकेगा ।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : संरक्षण हमेशा प्रारम्भिक उद्योगों को दिया जाता है। हम किसी उद्योग को सदा के लिये संरक्षण नहीं दे सकते हैं । संरक्षण देने से पहले हमारे सामने पर्याप्त कारण होने चाहियें कि हम उस वस्तु को क्यों उस कीमत पर नहीं तैयार कर सकते हैं जिसके लिये कि हम उसके उत्पादक उद्योग को संरक्षण देना चाहते हैं । हमें इस बात की भली भांति जांच पड़ताल करनी चाहिये कि विदेशों की अपेक्षा हमारे यहां क्यों उत्पादन मूल्य अधिक होता है । केवल मूल्यों का ही नहीं साथ ही हमें वस्तुओं की क्वालिटी (कोटि) का भी ध्यान रखना चाहिये । इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वह इस बात की खूब छानबीन करें कि किसी उद्योग को क्यों संरक्षण दिया जाना चाहिये और इसको किस सीमा तक संरक्षण देना उपयुक्त है । केवल अधिक उत्पादन ही संरक्षण देने का पर्याप्त आधार नहीं है। सरकार को इन आधारों पर प्रत्येक संरक्षित उद्योग की जांच करनी चाहिये कि उसमें कितना उत्पादन बढ़ा है तथा उसके मूल्य इतने वर्षों में संरक्षण के बाद भी विदेशों की अपेक्षा क्यों इतने ऊंचे हैं । यदि सरकार चाहे तो ऐसी जांच में वह इस सभा को भी विश्वास में ले सकती है। हम कई उद्योगों को १०–१५ वर्षों से संरक्षण दे रहे हैं । हम उन्हें हमेशा के लिये संरक्षण नहीं प्रदान कर सकते हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि मंत्री महोदय इन लाइनों पर कुछ कार्यवाही करेंगे ।

†**श्री मनुभाई शाह** : माननीय सदस्यों ने इस विधेयक में उल्लिखित १८ उद्योगों में जो दिलचस्पी दिखाई है मैं उसके लिये उनका धन्यवाद करता हूं ।

श्री विमल घोष और श्री त्रि० ना० सिंह ने प्रशुल्क आयोग के कार्यों के बारे में कुछ प्रश्न उठाये हैं । मैं सभा के सामने यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रशुल्क आयोग केवल आयात शुल्क अथवा कतिपय वस्तुओं को संरक्षण देने का ही कार्य नहीं करता है । यह आयोग सारे उद्योगों की सम्पूर्ण प्रगति तथा गतिविधि का ध्यान रखता है । इस प्रकार यह सारे देश के उत्पादन की दृष्टि से उद्योग सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करता है। सब से पहले यह आयोग यह देखता है कि देश में उत्पादन बढ़ रहा है अथवा नहीं । प्रशुल्क आयोग का हमेशा यह दृष्टिकोण रहता है कि हमारे देश के उद्योग की सामर्थ्य तथा क्षमता बढ़े । और हमारे देश का उद्योग आयोग तथा सरकार का संरक्षण पाकर शीघ्रातिशीघ्र आत्मनिर्भर बन सके और वह विदेशी मंडियों में अन्य देशों का मुकाबला कर सके । इसके लिये यह आवश्यक है कि देश में उत्पादन की मात्रा अधिक हो । मात्रा के साथ ही मूल्यों का प्रश्न जुड़ा रहता है । जब तक उत्पादन की मात्रा नहीं बढ़ती, जब तक उत्पादित वस्तुओं का स्तर नहीं अच्छा होता तब तक

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

कोई भी उद्योग मूल्यों को नहीं घटा सकता है। इसलिये प्रशुल्क आयोग दूसरे स्थान पर वस्तुओं की क्वालिटी की ओर ध्यान देता है। इसीलिये मैंने बिल के प्रारम्भिक भाषण में इस बात का विस्तार से उल्लेख किया था कि हमारे यहां उद्योग में, विशेष रूप से सूती कपड़ा मिलों की मशीनरी बहुत अच्छे प्रकार की है। हमें अपनी मशीनरी की ऊंची क्वालिटी पर पूरा सन्तोष है। हो सकता है, जैसे कि अहमदाबाद मिल मालिक संस्था ने कहा है कहीं कहीं पर कुछ स्वचालित खड्डियां अथवा अन्य मशीनरी कुछ खराब हो गई हों किन्तु फिर भी मैं कह सकता हूं कि हमारे सूती वस्त्र उद्योग की मशीनरी के ९० प्रतिशत भाग बिल्कुल ठीक हैं और बड़े बढ़िया किस्म के हैं। हमें उनके बारे में आज तक एक भी शिकायत नहीं आई है। यद्यपि हमने मशीनरी की क्वालिटी का लगातार निरीक्षण करने के लिये कोई अभिकरण नहीं नियुक्त किया हुआ तथापि मैं इस सभा को आश्वासन देता हूं कि सरकार तथा प्रशुल्क उद्योग दोनों मात्रा के साथ साथ उत्तमता के पहलू का भी ध्यान रखते हैं।

प्रशुल्क आयोग का तीसरा काम मूल्यों की देख भाल करना है। प्रशुल्क आयोग किसी उद्योग को आयात कर, राजस्व कर, संरक्षण कर अथवा किसी अन्य प्रकार का आर्थिक अथवा वित्तीय सहारा देते समय हमेशा कीमतों के पहलू पर विचार करता है। केवल इतना ही नहीं यह निश्चय करते समय भी कि किसी उद्योग को किस रूप में तथा कितने समय तक संरक्षण दिया जाये वह कीमतों का कारण का सर्वदा ध्यान रखता है। संरक्षण की मात्रा तथा कीमतें परस्पर सम्बद्ध प्रश्न हैं और एक को देते समय दूसरे का हमेशा ध्यान रखा जाता है। इसलिये मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि आयोग प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा उद्योगों के मूल्यों का भली भांति निरीक्षण करता है तथा इस बात की ओर विशेष ध्यान देता है कि उनके उत्पादन मूल्य कम हो रहे हैं अथवा नहीं।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न पूछा है कि अगर यह बात है तो फिर क्या बात है कि कुछ वस्तुओं के मूल्य विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं से भी अधिक हैं? मैं इस प्रश्न का पहले भी विस्तार से उत्तर दे चुका हूं। बात यह है कि आज के औद्योगिक युग में जब कि प्रत्येक उद्योग में प्रत्येक प्रक्रिया तथा पद्धति में इतने शीघ्र परिवर्तन हो रहे हैं, वहां पर हमारा देश १५० अथवा १८० वर्ष से औद्योगिक देशों से, जो कि इस समय औद्योगिक क्षेत्र में बहुत समन्नत हैं, इतना शीघ्र मुकाबला नहीं कर सकता है जिसने कि उद्योग क्षेत्र में अभी कदम ही रखा है। हमारे यहां ऐसी प्रविधिक उन्नति नहीं हुई है, हमारे यहां उत्पादन की वैसी प्रणालियां नहीं हैं। हमारे यहां ढेरों की मात्रा में उत्पादन करने के उपाय नहीं हैं। और फिर हमारे देश में खपत भी कम है। इन परिसीमाओं के अन्दर रहते हुये हमारा प्रगतिशील औद्योगिक देशों से एकदम मुकाबला करना बड़ा कठिन है।

पिछली बार मैंने मोटरें बनाने के उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिये इस सभा में एक विधेयक रखा था। उस समय मैंने कुछ तुलनात्मक आंकड़े दिये थे जिनको अब यहां पर दोबारा दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस समय मैंने यह दिखाया था कि हमारे देश में साल में कुल कितनी मोटरें बनती हैं। वे अमेरिका में एक दिन में बनने वाली मोटरों से भी कम हैं। भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि में छोटे छोटे देशों में भी एक वर्ष में १ करोड़ साइकिलें बनती हैं जब कि इतना उपाय तथा प्रयत्न करने पर भी हम अभी तक इतने बड़े देश के लिये प्रति वर्ष २० लाख साइकिलें बनाने का लक्ष्य भी नहीं पूरा कर सके हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपने देश के उत्पादन की मात्रा को सन्तोषजनक नहीं कह सकते हैं। इसलिये मैं इस सभा से यह निवेदन करूंगा कि इसे उद्योगों के बारे में धैर्य तथा उदारता का दृष्टिकोण रखना चाहिये और उसके भली भांति से पनपने के लिये उसे सुविधायें देने का रवैया अपनाना चाहिये।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सभा का आशीर्वाद पाकर हमारे देश का उद्योग शीघ्र ही बढ़ने फूलने लगेगा । हमें कीमतों के घटाने के लिये इतनी उत्सुकता नहीं दिखानी चाहिये । इन वर्षों में जब कि हम अपने उद्योगों को दृढ़ बनाने के लिये बाहर से मशीनरी तथा अनेक कच्चे पदार्थ मंगा रहे हैं और हमारा उत्पादन अनेक सीमित सीमाओं से घिरा हुआ है हम विश्व की मंडियों में अन्य प्रगतिशील देशों का मुकाबला करने की बात नहीं सोच सकते हैं ।

फिर भी मैं सभा की सूचना के लिये कुछ उद्योगों की स्थिति का वर्णन कर देता हूं । हम आज भी अपने देश से अनेक इंजीनियरी वस्तुओं जैसे सिलाई मशीनें, बिजली के मीटर, वोल्टा-मीटर तथा अन्य मीटरों तथा अन्य छोटी बड़ी मशीनरी का निर्यात कर रहे हैं । यह इसलिये कि इस उद्योग का काफी विकास हो चुका है। पिछली बार मैंने बताया था कि हम सुदूर पूर्व तथा मध्य-पूर्व, बर्मा, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान आदि पड़ौसी देशों में चालू वर्ष में लगभग ५ या ६ करोड़ रुपये की इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात करने की आशा रखते हैं । भारी मशीन उद्योग में भी जहां कि हमारे यहां सारी की सारी मशीनरी बाहर से आया करती थी इस वर्ष हम अपने देश में ही ३५ करोड़ रुपये की मशीनरी बना लेंगे । यह प्रगति देख कर किसका उत्साह नहीं बढ़ेगा ?

इसलिये मैं सभा के सामने यह निवेदन करूंगा कि प्रशुल्क आयोग जब किसी उद्योग के बारे में जांच करता है तो वह उस पर सभी पहलुओं से विचार करता है । यह आयोग केवल संरक्षण प्रशुल्क अथवा प्रतिबन्धात्मक प्रशुल्क देने के लिये ही नहीं बनाया गया है । इसके सम्पूर्ण कार्यों को देखते हुये ही इसे बोर्ड के स्थान पर आयोग का रूप दिया गया है ।

जैसे जैसे हमारी आर्थिक व्यवस्था का विस्तार होता जाता है, जैसे जैसे हमारे उद्योग तरक्की करते जाते हैं तथा हमारे देश की सामाजिक पद्धति का हमारे विचारों के अनुकूल परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे प्रशुल्क आयोग के कर्तव्य बदलते जायेंगे । इसीलिये हमने हाल ही में इस आयोग को उद्योगों के संरक्षण के प्रश्न के अतिरिक्त कई अन्य आर्थिक पहलुओं पर भी विचार करने के निर्देश दिये हैं । इस सम्बन्ध में इस सभा को भी कुछ जानकारी दी जा चुकी है । मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि जब उन पहलुओं पर प्रशुल्क आयोग की रिपोर्टें आ जायेंगी हम सदस्यों की सूचना के लिये तुरन्त उन्हें लोक-सभा के पटल पर रख देंगे ।

इस प्रकार हम हमेशा यह प्रयत्न करते रहते हैं कि प्रशुल्क आयोग देश के उद्योग के लिये मार्ग प्रदर्शन, विचारक तथा मित्र की हैसियत से काम करता रहे।

कुछ सदस्यों ने समझौतों का उल्लेख किया है । इस सभा में पहले भी कई बार बताया जा चुका है कि हमारे कुछ समझौते सीमित प्रकार के हैं । विश्व में कई ऐसे निर्माता हैं जिनकी वस्तुयें कि हम अपने देश में बनाना चाहते हैं । ऐसे लोगों से कोई करार करते समय हम अपने मन की सभी शर्तें नहीं रख सकते हैं । हमें कई बार झुकना भी पड़ता है । हमें अपने देश की अविकसित अवस्था को देखते हुये तथा अपने उद्योगों के शैशवकाल को देखते हुये कई बार ऐसी शर्तें स्वीकार करनी पड़ती हैं जो कि हमारे देश को हानिकर नहीं होतीं किन्तु जिनमें हमें अपने आपको अवश्य कुछ सीमाओं में बांधना पड़ता है ।

प्रशुल्क आयोग ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है । मोटर उद्योग के बारे में भी उसने हमारी सीमाओं की ओर ध्यान दिलाया है । यदि हम अपने पिछले १० वर्षों के व्यापारिक करारनामों को देखें तो हमें पता चल जायेगा कि ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है हमारे करारों की शर्तों में अधिक सुधार हो रहा है और वे क्रमशः कम से कम प्रतिबन्धात्मक हो रहे हैं ।

[श्री मनुभाई शाह]

श्री वें० प० नायर ने सेन एण्ड रेले तथा हरक्यूलिस कम्पनियों के करारों के सम्बन्ध में यह कहा है कि वे प्रतिबन्धात्मक हैं। मैं सभा को पहले बता चुका हूं कि फिर भी उनका आन्तरिक उत्पादन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यह प्रतिबन्ध केवल दो तीन देशों को निर्यात न करने के ही बारे में है क्योंकि ये पार्टियां उन देशों में निर्यात करने के बारे में सहमत नहीं हुई। अब भी मैं इस सभा को सूचना देना चाहता हूं कि जब हमारे साइकिलों की कीमतें, जो कि अभी १० या १५ रुपये अधिक हैं, मुकाबले के स्तर पर आजायेंगी तब हम इन दो कम्पनियों से उन देशों को निर्यात करने के बारे में कह भी सकते हैं जिनके बारे में वे इस समय सहमत नहीं हुई हैं।

इन क्षेत्रों को छोड़ कर बड़े उद्योगों के क्षेत्र में हमने २३ समझौते किये हैं और छोटे उद्योगों के क्षेत्र में ४५, इनमें से कोई भी प्रतिबन्धात्मक नहीं है। इनके द्वारा बनाई गई साइकिलें भी बड़ी अच्छी किस्म की होती हैं और वे प्रसिद्ध कम्पनियों की साइकिलों से किसी प्रकार घटिया नहीं हैं।

पिछली बार मैंने लुधियाना तथा गाजियाबाद के सिलाई की सिंगर मशीनों के कारखानों के बारे में कुछ कहा था। ये इतनी अच्छी मशीनें बना रहे हैं कि कुछ लोगों ने मुझसे यह कहा कि वे समझ रहे थे कि शायद ये दोनों निर्माता किसी विदेशी कम्पनी की एजन्ट थे और वे केवल आयात की मशीनों को ही अपनी कह कर बेच रहे थे। भारतीय उद्योग के लिये यह बड़ी प्रशंसनीय बात थी।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : कानपुर में जो युद्ध सामग्री कारखाने हैं उनमें से एक में आजकल लगाम और जीनें आदि बनती हैं और इस सिलाई की मशीन के कुछ पुर्जे बन सकते हैं। मैंने प्रतिरक्षा मंत्रालय और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को यह सुझाव दिया था कि यह फैक्टरी सिलाई की मशीन के कुछ पुर्जे बना सकती है। क्या इस फैक्टरी से यह पुर्जे बनाने को कहा गया था ?

† **श्री मनुभाई शाह** : माननीय सदस्य ने मुझे यह सूचना दी है। अब मैं इसकी जांच करूंगा और यह देखूंगा कि इसका उपयोग किया जा सकता है या नहीं। यदि इस देश में ऐसा कोई उद्योग हुआ जिसकी क्षमता का उपयोग किया जा सकता हो तो मैं उन्हें और इस सभा को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम वह कार्य करने की उसकी कुशलता और योग्यता पर निश्चय ही विचार करेंगे। हम मध्यम और छोटे उपक्रमों को विशेष रूप से आगे बढ़ने के लिये प्रोत्साहन देते हैं।

करारों के प्रश्न पर मैं केवल यही बता रहा था कि समय समय पर जो भय-प्रगट किये जाते हैं वह वास्तविक नहीं हैं। यह करार वास्तव में उतने प्रतिबन्ध नहीं लगाते जितना इनके विषय में कहा जाता है। मैं यहां केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हम जो कुछ चाहते हैं केवल उसी के अनुसार करार करना आसान नहीं है। जिस समय विदेशियों का प्रविधिक अथवा वित्तीय सहयोग देश के हित में हो उस समय उससे इंकार करना सहज नहीं है। मैं सभा को जो आश्वासन दे सकता हूं वह केवल इतना ही है कि सरकार अपनी औद्योगिक नीति का सदा ध्यान रखती है और इस बात की पूरी व्यवस्था करेगी कि जो करार देश के लिये सर्वाधिक लाभदायक हों वे सदैव ही किये जायें और उन पर जोर दिया जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : यह बात तो सरकार और विदेशी फर्मों के बीच सहयोग के बारे में हुई। यहां के गैर-सरकारी पक्षों और विदेशों की गैर-सरकारी फर्मों के बीच सहयोग के बारे में क्या स्थिति है ? क्या प्रभावकारी होने से पहले इन करारों का सरकार अनुमोदन करती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ऐसे सभी करार सरकारी अनुमोदन के अधीन होते हैं २। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन व्यौरे की प्रायः प्रत्येक बात, यहां तक कि प्रावस्थामाजित कार्यक्रम, भत्ते की प्रतिशतता आदि सभी बातों पर विचार किया जाता है और यह सब अनुमोदन के अधीन रहती हैं।

एक माननीय सदस्य, श्री विमल घोष यह पूछ रहे थे कि एक फर्म विशेष को २½ प्रतिशत दिया गया और दूसरी को ३ प्रतिशत दिया गया। मुझे यह तर्क सुन कर वास्तव में आश्चर्य होता है क्योंकि उसी दिन एक फर्म, जिससे माननीय सदस्य सम्बन्धित हैं, अन्य फर्मों को दी जाने वाली रायल्टी से अधिक रायल्टी चाहती थी। यह किसी सिद्धान्त के आधार पर नहीं वरन् इसलिये दी जाती है कि कुछ निर्माता अन्य निर्माताओं की अपेक्षा बढ़िया किस्म के लैम्प बनाते हैं। इसलिये यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर किसी सिद्धान्त के आधार पर विचार किया जा सके।

†**श्री विमल घोष** : मैंने यह बात नहीं कही थी। मैंने यह कहा था कि यदि यह बाद का करार है और यदि पहले के करार में २½ प्रतिशत दिया गया है तब जब तक कुछ विशेष बात न हों, ३ प्रतिशत की बात नहीं मानी जानी चाहिये थी। मैंने यह भी पूछा था कि क्या पहले किये गये करारों का भी सरकार आगे चल कर पुनरीक्षण कर सकती है।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं करार के पुनरीक्षण के इसी पहलू पर आ रहा था। मैं जो बात कह रहा था वह केवल इतनी ही थी कि प्रत्येक मद के बारे में करारों की आपस में तुलना नहीं की जा सकती। आप किसी पक्ष के साथ किये गये पूरे करार को ही लें और उसकी तुलना किसी अन्य पक्ष के साथ किये गये पूरे करार के साथ करें। कुछ मामलों में, एक मद के बारे में हो सकता है कि वह उतना अच्छा न हो ; किसी दूसरे मामले में कोई अन्य मद अधिक अनुकूल हो सकती है। लेकिन मैं सभा को जो आश्वासन दे सकता हूं वह यह है कि ऐसा कोई करार नहीं किया जाता जो इस देश और उसके सामान्य आर्थिक विकास के लिये अनुकूल न हो।

जहां तक करारों के पुनरीक्षण का प्रश्न है, जो करार सत्यनिष्ठा पूर्वक किये जाते हैं और जो देश की प्रचलित विधि के अधीन स्वीकार किये जाते हैं, उनका एक-पक्ष द्वारा पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता। लेकिन जब भी किसी करार के पुनरीक्षण का अवसर आता है और जब कोई पक्ष नये पक्षों को शामिल कर अपने कार्यक्रम को बढ़ाने के लिये हमारे पास आता है, मैं सभा को यह विश्वास दिला सकता हूं कि जब भी हम देखते हैं कि कुछ बातें ठीक नहीं हैं और जिन्हें फिर कार्यक्षेत्र में नहीं लाया जाना चाहिये, हम निर्माताओं और सहयोग करने वालों को जोर देकर यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जहां तक संभव हो उनको समाप्त कर दिया जाये। मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हरक्यूलीस और सेन एण्ड रैले आदि के बारे में हमारा विश्वास है कि धीरे धीरे हम इन सभी प्रतिबन्ध-मूलक बातों को हटा देने में सफल हो जायेंगे।

मुझे कुछ ज्यादा बातें नहीं कहनी हैं। मैं केवल यही कहना चाहता था। जहां तक श्री वें० प० नायर द्वार उठायी गयी बातों का प्रश्न है, मैं केवल यही कहना चाहता था कि टाइटैनियम

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

डायोक्साइड का मामला इस सभा के समक्ष कई बार आने के बावजूद, इस कारखाने का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ जाने के बावजूद--मैं इसके आंकड़े दे चुका हूं--और मूल्यों में भी काफी कमी कर दी गयी है, वह अपने विचारों पर कायम हैं। इस बात पर ही कायम रहना ही ठीक नहीं है कि वितरण कौन करता है, नियुक्तियां कौन करता है। यह मसला ऐसा है जिसे सभा को कई बार स्पष्ट रूप में समझाया जा चुका है, कि इस या किसी अन्य फर्म के साथ किसी प्रकार का भेदभाव का व्यवहार नहीं किया जाता है। इसके विपरीत, मुझे तो यह कहना चाहिये कि जहां तक त्रावनकोर-कोचीन में टाइटैनियम डायोक्साइड के उत्पादन का उम्बन्ध है, उन्होंने उसमें काफी वृद्धि कर दी है। अगले साल वह उससे भी दूना उत्पादन करने जा रहे हैं और हम बड़ी मात्रा में टाइटैनिमम डायोक्साइड का निर्यात भी करने लगेंगे क्यों कि यह फैक्टरी वास्तव में इस पदार्थ का भारी निर्यात करने वाली फैक्टरी है। तैयार माल के गुणों, बनाने वालों की कुशलता और इस देश के साथ उनके सहयोग के अलावा ऐसी कोई बात नहीं है। जिसने उन्हें निर्माता स्वीकार करने के निर्णय को जरा सा भी प्रभावित किया हो, और यदि माननीय सदस्य फुछ अन्य प्रकार के निष्कर्ष सभा के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे तो मेरे ख्याल से वह बिल्कुल अप्रासंगिक होंगे।

उत्तर प्रदेश के किसी उद्योग के बारे में, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वह १० गज की कांच की चादरों की कमी की वजह से नहीं पन पाती, मैं ने माननीय सदस्यों के सुझाव लिख लिये हैं। मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूं --वास्तव में अपने भाषण में भी मैं ने उसे शामिल कर लिया है --कि हमने अपने उत्पादन के स्वरूप में भिन्नता लाने पर जोर दिया है और भविष्य में जो उत्पादन होगा उसमें १ से लेकर १६ फुट तक की बढ़िया कांच की हर तरह की चादरों का उत्पादन हमारे यहां होने लगेगा। देश की विदेशी-मुद्राओं सम्बन्धी स्थिति का ध्यान रखते हुए सभी चीजों का आयात करने जाना संभव नहीं होगा क्योंकि हमें विदेशी मुद्राओं को बहुत बचा कर रखना है और अत्यन्त सावधानीपूर्वक बचत की ऐसी दृष्टि से उन्हें खर्च करना है जिस से एक ओर तो औद्योगिक विकास जारी रहे और दूसरी ओर देशी उद्योगों की बढ़ोत्तरी भी जारी रहे।

क्योंकि सभा और सदस्यों ने इसमें अत्यन्त रचनात्मक ढंग से भाग लिया है, इसलिये मैं कह सकता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं उसे वापस लेता हूं।

**संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।**

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब खंडवार विचार आरम्भ होगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।**

---

†मूल अंग्रेजी में

**खंड ३ ( प्रथम अनुसूची का संशोधन )**

† **श्री वें० प० नायर :** मैं संशोधन संख्या ३ का प्रस्ताव करता हूं :

मेरा संशोधन टाइटैनियम डायोक्साइड उद्योग को १९६१ तक के बजाय १९५९ तक संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करता है । मुझे विस्तार से इसके सम्बन्ध में कुछ कहने की जरूरत नहीं है ।

लेकिन क्योंकि मंत्री महोदय ने उन बातों का जवाब नहीं दिया है जो मैं ने उठायीं थीं, और जिस तरह मेरी बातों को अप्रासंगिक कह कर ही टाल दिया, उसकी वजह से मुझे यह कहना पड़ेगा कि मंत्री महोदय के बोलने के ढंग से मुझे ऐस प्रतीत हुआ है जैसे वह यह बात स्वीकार कर रहे हैं कि उनका पक्ष अत्यन्त ही कमजोर है । फिर भी मेरी सब बातों का उत्तर देने में उन्हें जो कठिनाई थी उसे मैं समझता हूं और यह भी समझता हूं कि उनके सभी तर्क मुझे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकते ।

उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिक और रीत्यात्मक प्रगति में भेद किया जाना चाहिये और प्रौद्योगिक प्रगति में भारत अभी बहुत पिछड़ा हुआ है । यही कारण है कि मैं प्रशुल्क आयोग से संतुष्ट नहीं हूं ।

टाइटैनियम डायोक्साइड के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग ने जिस तालिका की नियुक्ति की थी, उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो टाइटैनियम डायोक्साइड उद्योग से परिचित हो । साथ ही उसे बाहर के किसी आयोग को देखने का अवसर भी नहीं मिला था । इसी लिये मैं मंत्री महोदय से यह पुछना चाहता हूं कि इसकी कीमत इतनी अधिक क्यों रखी गयी है । इसकी वजह सिर्फ यही है कि इस फैक्टरी की स्थापना ब्रिटेन की उस फर्म के प्रतिनिधि की प्रविधिक देखरेख में की गयी थी जो विश्व में टाइटैनियम डायोक्साइड के सब से बड़े निर्माताओं में से एक हैं । ब्रिटेन में वह हमारे यहां से मंगाये गये कच्चे माल से टाइटैनियम डायोक्साइड बना कर फिर ६–७ हजार मील ला कर उसे हमारे यहां सस्ते मूल्य पर बेच सकते हैं, लेकिन हमारे यहां की फैक्टरी में बने टाइटैनियम डायोक्साइड की कीमत बहुत अधिक है हालांकि उसे विश्व के सब से बड़े कारखानों म से एक का प्रविधिक ज्ञान उपलब्ध है और वह ऐसी जगह पर स्थिति है जहां सब से सस्ता कच्चा माल मिल सकता है । ऐसा क्यों ?

टाइटैनियम डायोक्साइड बनाने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है । फैक्टरी म ही कुछ बुनियादी खराबी होने के कारण यह बात हुई है । मुझे आशा थी कि मंत्री महोदय हमें उसके बारे में बतायेंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रशुल्क आयोग हमें इन बुनियादी कमजोरियों को दूर करने का उपाय बताने में सफल क्यों नहीं हुआ है । और यह देखने के लिये उस कम्पनी के लेखे की जांच क्यों नहीं की कि भाव ऊंचे रखने की जिम्मेदारी किस की थी । यही बात है जिसका मैं उत्तर चाहता हूं । यह हो सकता है कि हम इसके परिणामों की प्रतीक्षा कर लें और अगले वर्ष संरक्षण प्रदान कर दें ।

† **उपाध्यक्ष महोदय :** संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : जिस समय मैं ने टाइटैनियम डायोक्साइड का जिक्र किया था उस समय मुझे आशा थी कि मैं ने माननीय सदस्य को संतुष्ट कर दिया है। पहले तो मैं ने यह बताया था कि १९५३ में २५७ टन उत्पादन था जबकि अब वह बढ़ कर १७०० टन हो गया है। माननीय सदस्य को पता है कि ब्रिटिश टाइटन प्रोडक्ट्स की वार्षिक उत्पादन-क्षमता १२००० टन है। टाइटैनियम डायोक्साइड में हमारे पास एनाटीस और रूटाइल किस्में हैं। सभा को यह भी मालूम होगा कि रासायनिक उद्योगों में उत्पादन-लागत पर केवल मुख्य उत्पाद का ही नहीं वरन उप-उत्पादों का भी असर पड़ता है।

†**श्री वें० प० नायर** : यही तो मैं जानना चाहता था क्योंकि प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन में हमें यह बात नहीं मिली थी।

†**श्री मनुभाई शाह** : किसी उद्योग द्वारा जो विभिन्न शाखायें निकाल कर विभिन्न उप-उत्पाद तैयार किये जाते हैं वास्तव में वही उत्पादन लागत को कम करने में सहायक होते हैं। किसी उद्योग से यह आशा करना उचित नहीं है कि वह अपने आरम्भ होने के तीन वर्षों के भीतर ही, जब कि कुछ घटिया किस्म का उत्पादन ही कर सकती होगी, उसी बढ़िया एनाटीस और रूटाइल किस्मों की टाइटैनियम डायोक्साइड का उत्पादन उन फैक्टरियों की अपेक्षा कम लागत पर कर लेगी जो अन्य स्थानों पर काफी अर्से से चल रही हैं।

अपने भाषण में मैं ने सभा को केवल यही आश्वासन दिया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में हमने कम्पनी को अपना उत्पादन बढ़ा कर दूना कर लेने की छूट दे दी है और उन्होंने मशीनें लाना शुरू भी कर दिया है। हमने ऋण के रूप में सहायता भी दी है और हमें आशा है कि १९६०–६१ तक ३६००—४००० टन का उत्पादन होने लगेगा। साथ ही हमने कम्पनी से १०–२० उप-उत्पादों का उत्पादन आरम्भ करने के बारे में भी बातचीत की है। इतने पर भी मैं सभा को यह आश्वासन नहीं दे सकता कि उस समय भी भाव ब्रिटेन के भावों की अपेक्षा सदा कम ही रहेंगे। मुझे इतना विश्वास है और कम्पनी भी कमोबेश हमसे सहमत है—कि योजना की अवधि के अन्त तक वह अपने उत्पादन का बहुत बड़े अंश का निर्यात करने का प्रयास करेंगे। निर्यात करना तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि भाव ऐसे न रखे जायें जो दूसरों के भावों से होड़ ले सकें। इस समय भी ब्रिटेन के और केरल के भावों में विशेष अंतर नहीं है। उत्पादन दूना होने पर यह अन्तर और भी कम हो जायेगा। यह हो सकता है कि निर्यात के लिये भावों को दूसरी जगहों के मुकाबले आने लायक बनाने के लिये हमें व्यावहारिक रूप में यह करना पड़े कि निर्यात के लिये तो हम कम मूल्य रखें लेकिन देश के भीतर उसका भाव कुछ अधिक रखें। इसके अलावा अन्य ओर कोई रहस्यपूर्ण कारण नहीं है, जैसा कि माननीय सदस्य सभा को बताने की कोशिश कर रहे थे। यह कोई रहस्यपूर्ण अथवा एकाधिकार प्राप्त उद्योग नहीं है। मैं देश के किसी भी उद्योगपति को आमंत्रित करता हूं। यदि वह एनाटीस और रूटाइल किस्म के या अन्य किसी भी किस्म के टाइटैनियम डायोक्साइड का उत्पादन करने के लिये किसी फैक्टरी की स्थापना करना चाहें तो हम उनके दावे का स्वागत करेंगे लेकिन साथ ही मैं उन्हें यह चेतावनी भी देता हूं कि टाइटैनियम डायोक्साइड का उत्पादन करना कोई साधारण रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। इस का उत्पादन करने की प्रणाली बहुत ही गुप्त है, इसकी भी अपनी कला है जो देश के केवल थोड़े ही निर्माताओं को मालूम है। यदि श्री वें० प० नायर या अन्य कोई माननीय सदस्य किसी उद्योगपति के सहयोग से इस कारखाने की स्थापना करना चाहें तो हम निश्चय ही उनका स्वागत करेंगे। लेकिन मैं यहां यह मिथ्या धारणा दूर कर देना चाहता हूं कि किसी विशेष कारण से किसी एक

†मूल अंग्रेजी में

कम्पनी को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। हमारा इरादा यह नहीं है प्रौद्योगिक दृष्टि से एवं इस पदार्थ का बढ़िया उत्पादन करने की दृष्टि से यह काम कठिन है। इसीलिये प्रगति उतनी तेजी से नहीं हो रही है जितनी कुछ लोग चाहते हैं। फिर भी तीन वर्षों के भीतर ही उत्पादन को पंचगुना छः गुना बढ़ा देने के लिये वह बधाई के पात्र हैं—इसलिये भी कि अगले तीन वर्षों के भीतर उन्होंने उत्पादन बढ़ा कर दूना कर देने का विश्वास दिलाया है।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।**

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।**

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकत हुआ।**

---

## संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : क्रम पत्र का अगला विषय संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५७ पर विचार करना है। किन्तु कार्य मंत्रणा समिति की सर्वानुमति और अध्यक्ष महोदय की इच्छा का सम्मान करते हुए सरकार ने इस विधेयक को राज्य सभा की सहमति से दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने का निर्णय किया है। कार्य मंत्रणा समिति ने सर्वसम्मति से इस विषय का निर्णय किया था और इस तरह की समिति के गठन की सिफारिश मुझ से की गई थी। इसी बीच मुझे यह भी बताया गया था कि सभा पुराने अधिनियम की अवधि बढ़ाने वाले किसी विधेयक को जो मौजूदा विधेयक द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, शीघ्र पारित कर देगा।

माननीय सदस्य जानते हैं कि संविधान के अन्तर्गत अनर्हता के लिये एक अनुच्छेद है। अनुच्छेद १०२(१) के अधीन कतिपय लाभ पदधारी संसद् सदस्य बनाने के पात्र नहीं होंगे। उसी अनुच्छेद में संसद् को यह अधिकार दिया गया है कि वह विशिष्ट मदों के सम्बन्ध मे अनर्हता हटा दे।

इसके कारण स्पष्ट हैं। अनर्हता वाला उपबन्ध तो ब्रिटिश इतिहास की विरासत मात्र है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

[ पण्डित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए ]

वहां जब राजाओं और संसद् में तनातनी उत्पन्न हुई तो संसद् उन सब व्यक्तियों को सदस्यता से हटाने के लिये आबद्ध हो गई जो राजाश्रय पर निर्भर थे । धीरे धीरे संघर्ष कम हुआ, संसद् की सत्ता दृढ़ होती गई और सामाजिक जीवन में राज्य का प्रभाव अधिक हो गया और वे लोक कल्याण , व्यापार, वाणिज्य, उद्योग आदि में भाग लेने लगे तो यह अनुभव किया जाने लगा कि पुराना कानन नहीं रह सकता है । अनेक स्थितियों में उसे अपवाद घोषित किया गया ।

आज इंगलैंड में सम्पूर्ण चिकित्सा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हो गया है और किसी डाक्टर को स्वेच्छा से प्रेक्टिस करने की स्वतंत्रता नहीं है । उसे राज्य से वेतन मिलता है । यदि हम यहां लोक सभा में चिकित्सकों को लाना चाहें तो ऐसा व्यक्ति मिलना असम्भव हो जायेगा जो किसी लाभ पद का धारी न हो । किन्तु यदि इस व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है तो केवल उसी आधार पर चिकित्सकों को सभा में न लेना तर्कहीन होगा ।

मेरा विचार है कि निकट भविष्य में ही वह अवस्था आ जायेगी जब अवकाश प्राप्त और पुरातन समृद्धि सम्पन्न व्यक्ति तथा जमीन जायदाद पर निर्भर रहने वाले लोगों की संख्या कम हो जायेगी । वे राजकीय उपक्रमों और उद्योगों में संलग्न दिखाई देंगे । परन्तु वे अपने अवकाश का उपयोग संसदीय कार्य के लिये कर सकेंगें । समाजवादी ढंग के समाज का निर्वचन मेरी सम्मति में यह है कि शनै : शनै : उत्पादन और वितरण के माध्यम राज्य के हाथों में आ जायेंगे । इस तरह अधिकतम व्यक्ति राजकीय व्यवसायों पर आश्रित रहेंगे तथा इंजीनियरों, अध्यापकों आदि को अपवर्जित करना असम्भव हो जायेगा । उस दिन इसका एक व्यावहारिक रूप हमारे सामने आया था । पोलीटेक्नीक में अच्छे अध्यापक प्राप्त करने के लिये—ब्रिटेन और भारत में भी—हमें उन लोगों को भरती करना पड़ा जो पहले ही किसी फैक्टरी अथवा वाणिज्यिक सार्थ में काम कर रहे थे । हम ऐसे लोगों को पॉलिटेक्निक म अंशकालिक आधार पर भरती करना होता है ताकि वे संध्या-कालीन कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ा सकें । ये लोग वास्तव में बड़े योग्य अध्यापक हैं और उन्हें प्रविधिक एवं वैज्ञानिक नौकरियों के लिये नवयुवकों को प्रशिक्षण देने के लिये नियुक्त किया जाता है । यह संभव नहीं है कि उन लोगों को पॉलिटेक्निकों में अध्यापक भी रखा जाये और उनकी सेवायें स्थानीय विधान मंडलों अथवा संसद् के लिये भी प्राप्त की जायं । मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि उनकी सेवाओं की व्यवसायिक राजनीतिज्ञों की सेवाओं से अधिक आवश्यकता होगी क्योंकि अब विधान-कार्य अत्यन्त प्रविधिक बन गया है ।

हम समस्त प्रविधिज्ञों अथवा व्यवसायिक व्यक्तियों को छट नहीं दे सके हैं ताकि उनकी सेवायें संसद् और विधान मंडलों के लिये उपलब्ध हो सकें वरन कुछ प्रकार की सेवाओं के सम्बन्ध में ही वैसा कर सके हैं जिनका अधिनियम में उल्लेख है तथा जो प्राय: वैसी ही हैं जोकि पहले अधि-नियम में उल्लिखित थीं और जो प्राय : वही हैं जिनकी इस संयुक्त समिति द्वारा सिफारिश की गई थी जो एक रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर चुकी थी और जिसके सम्बन्ध में उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में उल्लेख किया गया था । जहां तक इन छूटों का सम्बन्ध है, हो सकता है कि प्रवर समिति कुछ और भी सुझाव रखे या इनमें से भी कम कर दे । परन्तु यहां इतना बता देना पर्याप्त है कि हम ने अपनी समझ के अनुसार न्यूनतम छूटे रखी हैं जो संसद् में विधान-कार्य में हमारी सहायता करने के लिये नए रक्त के संचार के लिए आवश्यक हैं ।

उदाहरण के लिये डाक्टरों और विशेषज्ञों को ले लीजिये जो अस्पतालों में विजिटिंग सर्जन तथा चिकित्सक नियुक्त किये जाते हैं और जिन्हें कुछ अंशकालिक भत्ता भी मिल रहा हो । यदि लाभ-

पद के कानून का कठोरता से पालन किया जाये तो संभवतः वे सब एक साथ निकाल दिये जायेंगे और केवल साधारण प्रैक्टिस करने वाले ही संसद् में आ सकेंगे। जहां तक चिकित्सा व्यवसाय का सम्बन्ध है जिन लोगों की प्रैक्टिस खूब चलती है वे सुबह से ले कर शाम तक मरीजों को देख कर अच्छी आय प्राप्त कर लेते हैं। परन्तु जो सरकारी प्रयोगशालाओं में गवेषणा में लगे हुए हैं और जो घरों में मरीजों को देखकर आय नहीं कर सकते वे वंचित रह जायेंगे। यह निर्णय संसद् करेगी कि हम ऐसे विशेषज्ञों को लें जो विज्ञान के क्षेत्र में गवेषणा कार्य में लगे हुए हैं अथवा केवल उन व्यवसायिक राजनीतिज्ञों को जो सामान्य कार्य करते हैं, गवेषणा जैसा कठिन कार्य नहीं।

जो कानून संविधान द्वारा निर्धारित अनर्हताओं से कुछ प्रकार के पदों को छूट देना चाहते हैं उनके मूल में यही सिद्धांत निहित हैं।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५७, को दोनों सदनों की ३० सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें लोक-सभा के २० सदस्य, अर्थात् सरदार हुक्म सिंह, पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री मं० रं० कृष्ण, श्री बसुमतारी श्री राजेश्वर पटेल, श्री चतुर्वेदी, श्री जीनचन्द्रन, श्री रा० स० तिवारी, श्री सुब्बया अम्बलम्, श्री सिद्धनंजप्पा, श्री पन्ना लाल, श्री रामेश्वर राव, श्री दामानी, श्री राने, श्री विमल घोष, श्री महन्ती, श्री ब्रजराज सिंह, श्री घोषाल, और श्री ईश्वर अय्यर और प्रस्तावक, और राज्य-सभा के १० सदस्य हों।

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई हो ;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन तक अपना प्रतिवेदन दे ;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसी विभिन्नताओं तथा रूपभेदों के साथ लागू हों जैसा कि अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम लोक-सभा को बताये।"

† **सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

† **श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम) : मैं अपना संशोधन संख्या ८ प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक ऐसा है जिस पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। एक संयुक्त समिति अनर्हताओं के प्रश्न की जांच कर चुकी है। समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह बताया है कि कौन से लाभ-पदों को अनर्हता माना जाना चाहिए और किन को नहीं।

अब इस विधेयक द्वारा अनर्हताओं के संबंध में एक व्यापक कानून बनाया जा रहा है और इस कार्य में सहायता करने के लिए यह समिति निर्मित की गई है। परन्तु मेरे विचार से

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ईश्वर अय्यर]

यह विधेयक उतना व्यापक नहीं है जितना कि होना चाहिए था । उसमें केवल दस लाभ-पद गिनाए गए हैं जिन्हें अनर्हता नहीं समझा जाना चाहिए । उसमें भी मैं समझता हूं कि अनर्हता के मूल सिद्धान्त पर ध्यान नहीं दिया गया है । विधेयक के प्रभारी माननीय विधि कार्य मंत्री ने यह तर्क रखा है कि चूंकि समाज समाजवादी व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है इसलिए अधिकाधिक व्यक्तियों को शासन में भाग मिलना चाहिए । ऐसी अवस्था में व्यवसायिक एवं प्रविधिक योग्यता वाले व्यक्यिों पर संसद में आने के लिए कोई रोक नहीं होनी चाहिए । मंत्री महोदय का विचार है कि निकट भविष्य में अधिक व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण होगा, इसलिए सरकारी उद्योग क्षेत्र में अधिक प्रविधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी । यदि इस तर्क को तूल दिया जाय तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि संविधान के अनुच्छेद १०२ को रद्द ही क्यों न कर दिया जाय ? अनुच्छेद १०२ के अनुसार लाभ-पद वाले व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं हो सकते। तो फिर निकट भविष्य में, जैसे कि मंत्री जी कल्पना कर रहे हैं, जब व्यवसायिक व्यक्तियों की संसद में आवश्यकता होगी तब उसको रद्द करना पड़ेगा क्योंकि जब तक वह लागू रहेगा कोई भी लाभ पद वाला व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं हो सकेगा ।

मैंने इस लाभपद का अर्थ जानने के लिए बहुत प्रयत्न किया है । परन्तु मैंने उसके लिए जितना ही अधिक प्रयत्न किया है उतना ही मैं उलझन में पड़ता गया हूं । इस विधेयक में भी उसकी कोई व्याख्या नहीं की गई है ।

अनर्हता के सिद्धान्त के अनेक आधार हो सकते हैं । एक यह कि कोई व्यक्ति सरकारी पदाधिकारी रहते हुए संसद के सदस्य का कार्य नहीं कर सकता । दूसरे यदि सरकार चाहे तो लाभपद का लालच देकर संसत्सदस्य की स्वतंत्रता नष्ट कर सकती है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि दोनों कार्य करते हुए कोई व्यक्ति अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता ।

माननीय मंत्री ने डाक्टरों के संबंध में बड़े जोरदार शब्दों में उल्लेख किया था परन्तु विधेयक में उन्हें कहीं भी छूट नहीं दी गई है ।

उपखण्ड (च) में उप-कुलपति को छट दी गई है। यह उचित नहीं है। भूतपूर्व विधि-मंत्री श्री विश्वास ने २४ दिसम्बर, १९५३ को लोक-सभा में कहा था कि उप-कुलपतियों के पास विश्वविद्यालयों का इतना कार्य रहता है कि वे संसद् के कार्य करने के लिए समय नहीं निकाल सकते। इसलिए लाभपद संबंधी समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह विचार व्यक्त किया था कि उनको छट देना उचित नहीं होगा फिर पता नहीं अब किन कारणों से उनको छट दी जा रही है ?

इसके अतिरिक्त परिनियत निकायों के सदस्यों और संचालकों को भी छूट दी जा रही है । मैं विस्तार में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि विधेयक पर विस्तृत चर्चा तो प्रवर समिति में होगी ही परन्तु इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में ऐसी छूट नहीं दी जानी चाहिए ।

इस विधेयक में एक बहुत बड़ी कमी यह है कि इसमें यह नहीं बताया गया है कि कौन कौन से लाभ-पद अनर्हता समझे जायेंगे । जब हम कोई कानून बनाते हैं तो हमें चाहिए कि उसे अत्यन्त व्यापक बनायें ताकि किसी बात के संबंध में सन्देह न रह जाय ।

एक बात की ओर मैं सरकार का ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं । अनुच्छेद १०२ में केवल लाभ-पदों का ही उल्लेख नहीं है। उसमें अनर्हता की अन्य शर्तों का उल्लेख भी है । इसलिए हमें ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें ऐसी अनर्हतायें भी आ जायें । उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी व्यापार में रुचि रखता हो और उस व्यापार का उसके निर्वाचन के पूर्व सरकार से कोई संबन्ध रहा हो । संभवतः वह उस व्यापार में अपने संबंधियों को सम्मिलित कर लेगा । परन्तु एक बार संसत्सदस्य बन जाने पर वह किसी जिम्मेदार पद को प्राप्त कर लेता है और फिर उस व्यापार विशेष से संबद्ध हो जाता है तो ऐसी हालत में उसे अनर्हता माना जाना चाहिए और उसका उपबन्ध होना चाहिए ।

अस्तु मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें एक ऐसा व्यापक कानून बनाना चाहिए जिसमें सब प्रकार की अनर्हतायें आ जायें ।

† **श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : सभापति महोदय, अनुच्छेद १०२ में एक हितकारी सिद्धान्त विनहित है इसलिए लाभपदों को छूट देते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस सिद्धान्त को तनिक भी आंच न लगे ।

मैं माननीय विधि मंत्री का यह तर्क नहीं समझ सका कि प्रविधिक परामर्श के लिए संसद में विशेषज्ञों का होना आवश्यक है । ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब विशेषज्ञ परामर्श की आवश्यकता पड़ती है और ऐसे मौकों पर एक समिति नियुक्त करके उसके समक्ष विशेषज्ञों को बुलाकर ऐसा परामर्श प्राप्त किया जा सकता है ।

विधेयक में लम्बरदार, मालगुजार, पटेल आदि गांव के राजस्व पदाधिकारियों को छूट देने की जो बात कही गई है वह तो बिलकुल हास्यास्पद है ही परन्तु यदि अन्य पदों को भी लें जिनको विधेयक में छूट दी जा रही है तो भी प्रश्न उठता है कि क्या सरकार पर आश्रित व्यक्ति सरकार का विरोध कर सकेगा ? संसत्सदस्य के लिए सबसे बड़ी योग्यता उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए ।

यह कहना ठीक नहीं है कि चूंकि ये लोग अंशकालिक कार्य करते हैं इसलिए उन्हें देश को सेवा करने से नहीं रोका जाना चाहिए । जो व्यक्ति सच्ची सेवा भावना रखता है वह अपने पद या व्यवसाय का त्याग कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि हम इन पदों की जांच करें तो मालूम होगा वे किसी न किसी प्रकार सरकार के आश्रित हैं। इस तरह तो थोड़े समय बाद सभा में सब व्यक्ति सरकार के आश्रित ही रह जायेंगे । इस पर बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता है ।

मैं नहीं जानता कि यह विधेयक प्रवर समिति में किस उद्देश्य से भेजा जा रहा है । मैं चाहता हूं कि कम से कम लाभ पदों को अनर्हता से छूट मिलनी चाहिए। उनकी सूची तो नहीं बनाई जा सकती कि कौन से पद लाभ के माने जायेंगे और कौन से पद नहीं, परन्तु हम ऐसा कानून तो बना सकते हैं जिससे सरकार पर आश्रित लोग व्यवस्थापिकों में न आ सकें । इसलिए मेरा निवेदन है प्रवर समिति को चाहिए कि वह सरकार के आश्रितों को इस सभा में न आने दे और पूर्वकालीन ब्रिटेन के दिखावटी बौरोज़ की तरह यहां सरकार की आश्रित सीटें न बनने दे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बी० चं० शर्मा** ( गुरदास पुर ) : इस विधेयक का नाम सार्थक नहीं है । इसका नाम अर्हता संवर्धन विधेयक होना चाहिए था न कि अनर्हता निवारण विधेयक ।

लोक प्रतिनिधान विधेयक पर चर्चा के समय सदन में यह कहा गया था कि वह इतना अच्छा बनाया गया है कि उसमें कोई त्रुटियां नहीं रही हैं और चुनाव याचिकाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । परन्तु वास्तव में इस विधेयक के विपरीत हुआ और पिछले निर्वाचन की अपेक्षा इस बार कहीं अधिक याचिकायें प्रस्तुत हुईं । यह विधि मंत्रालय और भारत सरकार की विद्वता का परिणाम है ।

अब चूंकि यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है मैं यह निवेदन करूंगा कि यह विचार पूर्ण ढ़ंग से निर्मित नहीं किया गया है और इसके परिणाम अत्यन्त भयंकर होंगे । यह विधेयक बहुत जल्दबाजी में तैयार किया गया है और बहुत दोषपूर्ण एवं अपूर्ण है । इसलिए यह उचित होगा कि विधि-कार्य मंत्रालय इस पर पुनः विचार करे और फिर विधेयक प्रस्तुत करे । इस प्रकार के तीन विधेयक पहले भी आ चुके हैं । उनमें तो कमियां भरीं थी परन्तु इसमें कमियां और त्रुटियां दोनों ही हैं । इसलिए इस विधेयक से कुछ हित भी नहीं होगा ।

इस प्रश्न पर एक संसदीय समिति ने विचार किया था । उसका प्रतिवेदन मंत्रालय को उपलब्ध था । परन्तु उसका कोई लाभ नहीं उठाया गया है । अस्तु संसदीय समिति नियुक्त करने का लाभ ही क्या है जब उसके प्रतिवेदन से लाभ न उठाया जाय । विधेयक में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका सामवेश नहीं होना चाहिए था और कुछ ऐसी बातें नहीं है जिनको सम्मिलित किया जाना चाहिए था ।

मूल प्रश्न है लाभ–पद की व्याख्या का । लाभ-पद की व्याख्या की जानी चाहिए क्योंकि उसके संबंध में अभी तक जो गलतफहमी है वह इस विधेयक के पारित हो जाने पर और भी बढ़ जाएगी । लाभपद क्या है ? उसका तात्पर्य धन से है अथवा समय से अथवा संरक्षण से ? यदि आप ऐसे व्यक्तियों को लेना चाहते हैं जो पूरे समय यही कार्य करे तो उपकुलपतियों को क्यों ले रहे हैं ? यदि उन्हें लेकर आप संसद का लाभ कर रहे हैं तो दूसरी ओर विश्व विद्यालयों को उनसे वंचित किया जा रहा है जिनको उनसे अधिक लाभ है ।

फिर आप परिनियत निकायों के सदस्यों को लेने जा रहे हैं । मैं नहीं समझता कि उनसे क्या लाभ होगा । यह ठीक है कि हमें प्रविधिज्ञों की आवश्यकता है । जो व्यक्ति पूरे संयम के कार्यों में संलग्न हैं उन्हें संसद् के साथ खिलवाड़ न करने दीजिये । प्रत्येक कार्य को गम्भीरता के साथ करना चाहिये । संसद् के अधिकांश सदस्य पूरे समय इस कार्य में लगे रहते हैं किन्तु फिर वे न्याय नहीं कर पाते हैं ।

देश की एक बड़ी विशाल राजनैतिक संस्था ने यह नियम बनाया है कि विधान सभा अथवा लोक-सभा का सदस्य किसी प्रान्तीय अथवा जिले की निकाय का अध्यक्ष नहीं हो सकता है । आखिर यह प्रशंसनीय व्यवस्था क्यों की गई है । क्या एक व्यक्ति संसद् और विश्वविद्यालय दोनों संस्थाओं के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकता है ।

यह विधेयक परस्पर विरोधी तत्वों से परिपूर्ण है । पता नहीं इस विधेयक का क्या स्त्रोत्र है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भरुचा ने कहा था कि हमें संसद में स्वतंत्र व्यक्ति चाहिये। मैं विशाल हृदय वाला व्यक्ति हूं। मैं आपत्ति उस समय भी नहीं करूंगा। यदि आप संसद् में सशस्त्र सैनिकों को भर दें। यदि आप "शेरिफ" में लोक सभा की सदस्यता के लिये उपयुक्त समझते हैं तो फिर "शेरिफ" के समय भी अन्य व्यक्तियों को उसमें सम्मिलित क्यों नहीं करते हैं। उस विधेयक के खण्डों को समझना कठिन है। संसद् की सदस्यता पवित्र वस्तु है; यह सम्मान की वस्तु है। आप इस विधेयक को पारित कर पार्लियामेंट के प्रति ही नहीं प्रत्युत इस विशाल देश के प्रति अन्याय कर रहे हैं।

विधि मंत्री के प्रति विनम्रता प्रकट करते हुए और आदर की सम्पूर्ण भावना के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह लाभपद ही स्पष्ट परिभाषा रखे। अन्यथा मुकदमें बाजी की काफी गुजाइश इस विधेयक में रह जायेगी।

विधि मंत्री का भाषण सुन कर मुझें बर्नाड शा की याद आ गई। शा के भी यही विचार थे। उनका मत था कि प्रजातंत्र के कार्य परिनियत होने चाहिये। मुझे उम्मीद थी कि उस महान दृष्टा और विचारक की भांति हमारे विधि मंत्री भी वैसा ही विधेयक प्रस्तुत करेंगे। किन्तु इसमें ऐसी कोई भावना दृष्टिगत नहीं हुई।

†**श्री रघुवीर सहाय** (बदायूं) : यह विधेयक निस्संदेह ही महत्वपूर्ण है किन्तु विरोधी भावनाओं से युक्त भी है। लाभप्रद की परिभाषा नहीं की गई है। ब्रिटेन में भी १९५५ तक यही अवस्था थी। सभापति महोदय ने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि लाभपद का इतिहास तीन सदियों से भी अधिक पुरातन है और अभी भी उसकी सूक्ष्म और निश्चित परिभाषा नहीं की जा सकी है।

हम इस विधेयक को पूर्ण और सर्वांग कह सकते हैं। इसमें उन विभिन्न पदों की अनुसूची नहीं दी गई है जो अनर्हता के अन्तर्गत नहीं आते हैं तथा जिनके बारे में हमें अनर्हता से विमुक्ति की घोषणा कर देना चाहिये। यह विधेयक अपूर्ण है। 'हाउस आफ कामन्स' में प्रस्तुत किये गये बिल की पृष्ठ भूमि का उल्लेख करते हुए भी यह विधेयक अभावग्रस्त ही है। यह सच है कि सरकार ने समिति की कुछ सिफारिशें स्वीकृत की हैं और वे इसमें सम्मिलित भी हैं किन्तु वे सिफारिशें भी विवाद से परे नहीं हैं। वाइस चांसलर के पद और उसके कार्य के बारे में पिछली समिति का यह विचार था कि वाइस चांसलर को अपने दुर्वह उत्तर-दायित्व का निर्वाह करने में पर्याप्त समय देने की आवश्यकता रहती है। वे सारे समय कार्य में लगे रहते हैं। और फिर संसद् के सदस्य का कार्य भी निरन्तर गहन और व्यस्त होता जा रहा है।

इन अर्थपूर्ण शब्दों से कोई व्यक्ति असहमत नहीं हो सकता है। फिर भी पता नहीं क्यों वाइस चांसलर का पद इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। शेरिफ का कार्य इतना अधिक है कि उस जैसा व्यक्ति संसद का निर्वाचन क्यों लड़ेगा। ब्रिटेन में शेरिफ का कार्य दुहरा है। न्यायपालिका और प्रशासन से सम्बद्ध कार्यों की पूर्ति उसका उत्तर दायित्व है।

†**सभापति महोदय :** आप भाषण सोमवार को जारी रख सकते हैं।

**इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, १६ दिसम्बर, १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

---

†मूल अंग्रेजी में

# दैनिक संक्षेपिका

[ शनिवार, १४ दिसम्बर, १९५७ ]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री अशोक महता ने शपथ ग्रहण की।

**सभा-पटल पर रखे गये पत्र**

विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं और वचनों के संबन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्न लिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखी गई :—

(१) अनुपूरक विवरण संख्या ५

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ६

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १४

**सभा का कार्य**

वित्त मंत्री ने १६ दिसम्बर, १९५७ से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य के क्रम के बारे में एक वक्तव्य दिया।

**अनुदानों की अनुपूरक मांगें**

१९५७-५८ के लिये अनुदानों की अनपूरक मांगों (सामान्य) पर, जो सभा के समक्ष ३ सितम्बर, १९५७ और ६ दिसम्बर, १९५७ को प्रस्तुत की गई थीं, और आगे चर्चा समाप्त हुई। मांग संख्या १८, २३-क, ९३, १०४ और १२६ की पूरी पूरी राशि स्वीकृत की गई।

**विधेयक पारित**

उद्योग मंत्री ( श्री मनुभाई शाह ) ने भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन विधेयक) १९५७ सभा द्वारा विचार करने के लिये प्रस्तुत किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खण्ड वार विचार करने के पश्चात् विधेयक पारित किया गया।

**संयुक्त समिति को विधेयक सौंपने का प्रस्ताव--विचाराधीन**

विधि मंत्री ( श्री अ० कृ० सेन ) ने संसद् ( अनर्हता निवारण ) विधेयक, १९५७ संयुक्त समिति को सौंपने के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। विधेयक पर १ फरवरी, १९५८ तक जनमत प्राप्त करने के लिये इसे परिचालित करने का संशोधन श्री ईश्वर अय्यर द्वारा प्रस्तुत किया गया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

**सोमवार, १६ दिसम्बर, १९५७ के लिये कार्यावली—**

**संसद् (अनर्हता निवारण ) विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा ; अतिरिक्त उत्पादन शुल्क ( विशेष महत्व की वस्तुएं ) विधेयक पर विचार और जीवन बीमा निगम विधियों के विनियोजन पर चर्चा।**